# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र
Ninth Session ]

5th Lok Sabha

[ खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20 ]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two Rupees

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 1973/9 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 15, Friday, November 30, 1973/Agrahayana 9, 1895 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. No. | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| 282. वर्ष 1973 के दौरान पर्यटन से संभावित आय | Expected Earnings from Tourism during 1973 . . . | 1 |
| 285. चौथी योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिये वन्य जीव शरण-स्थलों/राष्ट्रीय पार्कों में बनाये गये विश्राम कक्ष | Rest Houses Built in Wild Life Sanctuaries/National Parks for Foreign Tourism during Fourth Plan | 3 |
| 286. रुपया का मूल्य | Value of Rupee . . . . | 6 |
| 287. वेतन आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन | Implementation of Pay Commission's Report . . . . | 8 |
| 289. तेल की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि होने के कारण पर्यटन और नागर विमानन विभागों पर प्रतिकूल प्रभाव | Affect on Tourism and Civil Aviation Departments due to Shortage and Rise in prices of Oil . . . | 13 |
| 290. समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Exporters of Sea Food . . . . . | 14 |
| 291. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कदाचारों को रोकने के बारे में किये गये निर्णय | Decision taken by Nationalised Banks to Check Malpractices . | 16 |
| 292. पैट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क से आय | Revenue from Excise duty on Petroleum Products . . . . . | 17 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 283. | भारतीय जूट निगम का घटिया काम | Poor Performance of Jute Corporation of India . . . . . | 18 |
| 284. | दार-ए-सलाम में राष्ट्र मंडल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन | Commonwealth Finance Ministers' Conference held at Dar-Es-Salam . . | 18 |
| 288. | अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की मांग समाप्त होना | Loss of International market by Indian Tea . . . . . | 18 |
| 293. | वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात किये गये काजू का मूल्य | Value of Cashew Nuts Exported during 1972-73 . . . . . | 19 |
| 294. | इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों की ऐलकोहल जांच | Alcohol Test for Pilots of Indian Airlines . | 19 |
| 295. | व्यापार मेला निकाय बनाने का कार्यक्रम | Programme to form a Trade Fair Body | 20 |
| 296. | भारतीय झींगा मछलियों (श्रिम्प) के लिये जापान की मांग | Demand by Japan for Indian Shrimps . | 20 |
| 297. | स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा के कार्यकरण के बारे में शिकायत | Complaint in regard to Functioning of Hissar Branch of State Bank of India . | 20 |
| 298. | विदेशों में महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापार केन्द्रों का स्थापित किया जाना | Setting up of Trade Centres at Strategic Points Abroad . . . . | 21 |
| 299. | दुर्लभ जानवरों की खालों का बाहर भेजा जाना रोकना | Checking of Outflow of Rare Animal Skins . . . . . | 21 |
| 300. | भांडुप बम्बई में 'अनिल बोर्डस' को अग्रिम धन देने में कथित अनियमितताएं | Alleged Irregularities in giving Advances to Anil Boards at Bhandup, Bombay | 21 |
| 301. | पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाना | Banning Export of Cattle Feed | 22 |
| **अता० तं० संख्या U.S.Q. No.** | | | |
| 2792. | बुनकरों को सस्ते मूल्यों पर धागे का वितरण | Distribution of yarn to weavers on Cheaper Rates | 22 |
| 2793. | विदेशों से अखबारी कागज | Newsprint from Foreign Countries . | 22 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2794. | दिल्ली में होटलों के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान | Payment of Hotel Bills in Foreign Exchange in Delhi . . | 23 |
| 2795. | गत छः महीनों में विदेशों से आये पर्यटकों की कुल संख्या | Total number of Tourists who came from Abroad during the Last Six Months . | 23 |
| 2796. | जस्ते की भस्म (जिंक ऐश) का निर्यात | Export of Zinc Ash | 24 |
| 2797. | पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रम | Public Sector undertakings in Madhya Pradesh in Fifth Plan . . | 24 |
| 2798. | विदेशी पर्यटकों के लिये सुविधायें प्रदान करने हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता | Central Assistance provided for creating Facilities for Foreign Tourists . . | 24 |
| 2799. | जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर का पुनरीक्षण | Revision in the Rate of C.C.A. to Government Employees as a result of increase in cost of living Index . . | 26 |
| 2800. | कुतुब मीनार, दिल्ली के निकट सरकारी ("फाइव स्टार") होटल स्थापित किया जाना | Setting up of Government owned Five Star Hotel near Qutab Minar, Delhi . | 26 |
| 2801. | पूर्व निमाड़ जिले (मध्य प्रदेश) में विभिन्न फर्मों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण | Loans given by State Bank of India to different Firms in East Nimar District (M.P.) . . . . . | 27 |
| 2802. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में बेरोजगार स्नातकों को ऋण देना | Advancing of loans by Nationalised Banks to Unemployed Graduates in Madhya Pradesh . . . . . | 27 |
| 2803. | मंडी विकास निधि में से निर्यातकर्त्ताओं को सहायता | Assistance to Exporters from the Market Development Fund . . | 28 |
| 2804. | पूर्वी अफ्रीका से काजू की गिरी का आयात | Import of Cashew Kernels from East Africa . | 29 |
| 2805. | बम्बई में माल के लादने-उतारने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि | Loss of Foreign Exchange due to loading and unloading Cargo at Bombay . | 29 |
| 2806. | भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों को 'आगे आदेशों तक' वाली वेतन स्लिपें जारी करना | Issuing of Pay Slips Until Further Orders in respect of officers of Indian Statistical Service . . | 30 |

| ता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2807. | भारतीय रुई निगम द्वारा आयात की गई मिस्री रुई | Import of Egyptian Cotton by Cotton Corporation of India . . | 30 |
| 2808. | मारुति लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम धनराशि | Loans and Advances received by Maruti Limited . . . . | 31 |
| 2809. | पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरकों का उपलब्ध न होना | Non-availability of Fertilizer from East European Countries . . | 31 |
| 2810 | विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों का अणु-परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देना | Financing N-Projects in Developing Countries by World Bank . . | 32 |
| 2811. | प्रत्येक व्यक्ति के वेतन और अन्य आय तथा व्यय की अधिकतम सीमा | Ceiling on Individual Salary and Income and other Expenditure . | 32 |
| 2812. | विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 | Foreign Exchange Regulation Act, 1973 | 32 |
| 2813. | रुई के वसूली मूल्य का निर्धारण | Fixation of Procurement price of Cotton | 33 |
| 2815. | तूफान की सूचना देने वाले राडारों का निर्माण करने का प्रस्ताव | Proposal to Manufacture Cyclone Warning Radars . . . . | 33 |
| 2816. | जूट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा त्रिपुरा में जूट की खरीद | Purchase of Jute in Tripura by Jute Corporation of India . . . | 34 |
| 2817. | राज्य व्यापार निगम में अर्जित लाभ में गिरावट | Decline in the Profits earned by STC | 34 |
| 2818. | इंस्टीट्यूट आफ जूट टैक्नालोजी का कुप्रबन्ध | Mismanagement of the Institute of Jute Technology . . | 34 |
| 2819. | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पृथक वाणिज्य मंडल | Separate Chamber of Commerce for Public Sector Undertakings | 35 |
| 2820. | भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण | Working of Industrial Reconstruction Corporation of India | 35 |
| 2821. | भारत में पुराने और अलाभप्रद काफी बागान | Overage and Uneconomic Coffee Plantation in India. | 36 |
| 2824. | तमिलनाडु में कपड़ा मिलें | Textile Mills in Tamil Nadu | 37 |
| 2825 | लौह अयस्क के बारे में जापान के साथ करार | Agreement with Japan regarding Iron Ore | 38 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2826. | राज्य व्यापार निगम में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की पद्धति को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal to do away with Ad-Hocism in STC . . | 38 |
| 2827. | लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि | Increase in Export of Iron Ore | 38 |
| 2828. | लौह अयस्क निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम की योजना | M.M.T.C.'s Plan for Ore Exports | 39 |
| 2829. | तमिलनाडु के शिवकाशी में जाली करेंसी नोटों को छापने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति | Persons Arrested in connection with Printing of Fake Notes in Shivakashi Tamil Nadu . . . | 39 |
| 2830. | त्रिवेन्द्रम में बैंक का कार्य-संचालन | Bank operations in Trivandurm . . | 39 |
| 2831. | बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्या | Problem of Sick Tea Gardens in Bengal | 40 |
| 2832. | वर्ष 1973-74 में विदेशी सहायता | Foreign Aid in 1973-74 . . . | 40 |
| 2833. | "एयर बस" की लागत, यात्री और भार-वहन क्षमता | Cost, Passenger and Load Capacity of 'Air Bus' . . . . . | 41 |
| 2834. | पश्चिमी जर्मनी के गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं द्वारा पूंजी-विनियोजन | Investment by Private West German Enterpreneurs . . . . . | 41 |
| 2835. | बाट और पैमाने पर मित्रा समिति का प्रतिवेदन | Mitra Committee Report on Weights and Measures . . . . . | 42 |
| 2836. | सिले सिलाये वस्त्रों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकर्त्ताओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिया जाना | Cash Incentive Given to Exporters of Ready Made Garments and other Handicraft Items . . . . | 43 |
| 2837. | राज्यों के करों से प्राप्त राजस्व में कमी | Decline in States Revenue from Taxes | 44 |
| 2838. | अपरिष्कृत पटसन व्यापार में मुनाफाखोरी और चोर बाजारी | Profiteering and Blackmarketing in Raw Jute Trade . . . | 44 |
| 2839. | आयकर से प्राप्त राजस्व में राज्यों का हिस्सा | Share of States in Revenue from Income Tax | 45 |
| 2840. | विश्व बैंक से वित्तीय सहायता | Financial Aid from World Bank . . | 45 |
| 2841. | पंजाब नेशनल बैंक श्रीनगर की अनन्तनाग शाखा में डकती | Robbery in Anantnag Branch Punjab National Bank, Srinagar . . . | 45 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2842. | समुद्री खाद्य-पदार्थ के समग्र संवर्धन संबंधी योजना | Scheme for Overall Promotion of Sea Food Export . . . . . | 46 |
| 2843. | चोर बाजारियों द्वारा बैंक के ऋणों का दुरुपयोग | Misuse of Bank Loans by Black marketeers . . . . | 46 |
| 2844. | मुद्रा-स्फीति से निपटने के लिये बड़े व्यापार-गृहों के विस्तार पर प्रतिबन्ध | Expansion of larger houses to Combat Inflation . | 46 |
| 2845. | अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि | Increase in Export of Textile to U.S.A. | 47 |
| 2846 | पूर्व एशियाई देशों से भारत का व्यापार | India's trade with East Asian countries . | 48 |
| 2847. | जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग | Bonus demanded by Employees of LIC and General Insurance | 48 |
| 2848. | अकबर होटल के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अदायगी करना | Payment of interim relief to Employees of Akbar Hotel . | 49 |
| 2849. | अक्तूबर, 1973 में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के कारण अकबर होटल को हुई हानि | Loss suffered by Akbar Hotel due to strike by workers in October, 1973. . | 49 |
| 2850. | भारत के सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का विश्व बैंक के दल का दौरा | Visit by World Bank's Team to Drought Prone Areas in India . | 49 |
| 2851. | मारुति के शेयर होल्डरों को दी गई आयात हकदारियां | Import Entitlements given to Maruti Shareholders . . . . | 50 |
| 2852. | सामान्य बीमा कम्पनियों के उच्च अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और वेतनेतर लाभों के ऊपर बीमा नियंत्रक का नियंत्रण | Control of Controller of Insurance Over Perquisites and Salaries paid to Top Officers of General Insurance Companies | 50 |
| 2853. | आयकर के लिये सूती कपड़ा मिलों का कर-निर्धारण | Assessment of Cotton Mills for Income Tax . . . . . | 51 |
| 2854. | चीरफाड़ की पट्टियों (सर्जीकल बैन्डेज ) के लिये विशेष किस्म का धागा | Special variety of yarn for surgical bandages . . . | 52 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2855. | विदेशी फर्मों द्वारा धन का बाहर भेजा जाना | Remittances by foreign firms . | 52 |
| 2856. | चाय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति | Appointment of a non-official as Chairman of Tea Board . | 53 |
| 2857. | कपड़े के मूल्य-नियंत्रण की स्वैच्छिक योजना | Valuntary Cloth Price Control Scheme . | 53 |
| 2858. | "एस० टी० सी० स्लीप्स व्हाइल पेपर्स स्टार्व्ड आफ न्यूजप्रिंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार | News item captioned "STC Sleeps while papers starved of newsprint" | 54 |
| 2859. | मुद्रा का परिचालन | Circulation of Currency . . | 54 |
| 2860. | लाभप्रद हवाई मार्ग और हवाई अड्डे | Airports and Air routes which are remunerative . . . . . | 55 |
| 2861. | राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के साथ उपभोक्ताओं को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव | Proposal to Associate consumers with management of STC . . . | 55 |
| 2862. | इंडियन एयरलाइंस द्वारा नये करों पर विमान सेवायें आरम्भ करना | Operation of new routes by Indian Airlines | 55 |
| 2863 | सरकार द्वारा भारतीय चाय केन्द्र के प्रबन्ध का अधिग्रहण | Taking over management of Indian Tea Centre by Government . . | 56 |
| 2864 | 1973 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या | Number of Foreign Tourists who visited India during 1973 . | 57 |
| 2865. | मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा | Announcement of DA to Government Employees as a result of rise in price index . . . . . | 57 |
| 2866. | खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों को अभ्रक निर्यात | Export of Mica to Foreign Countries by MMTC . . . . | 58 |
| 2867. | अप्रैल सितम्बर, 1973 के दौरान श्रीलंका को निर्यात में कमी | Decline in Exports to Ceylon during April-September, 1973. . . . . | 58 |
| 2868 | वर्ष 1972-73 की तुलना में 1973-74 में पर्यटकों की प्रतिशतता में वृद्धि | Increase in the percentage of Tourists in 1973-74 as compared to 1972-73 . | 58 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2869. | पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार में मौलिक परिवर्तन | Radical change in Trade with East Europe | 59 |
| 2870. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिया गया ऋण | Amount advanced to Small Scale Industries in Bihar by Nationalised Banks . | 59 |
| 2871. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि मजदूरों, छोटे किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिया जाना | Loan advanced by Nationalised Banks to Agricultural Labourers, Marginal Farmers and other weaker sections at concessional rate of interest . . . | 59 |
| 2872. | समाजवादी तथा गुटनिरपेक्ष देशों के साथ विदेश व्यापार नीति का पुनरीक्षण | Revision of Foreign Trade Policy with Socialist and Non-aligned countries | 60 |
| 2873. | स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा द्वारा छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों को ऋण दिया जाना | Granting of loans to small traders and shopkeepers by Hissar Branch of State Bank of India . . . . | 60 |
| 2874. | आंध्र प्रदेश के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना | Submission of Report in regard to Techno-Economic Survey of Andhra Pradesh . | 61 |
| 2875. | ब्रिटेन से पूंजीनिवेश | Investment from U.K. . | 61 |
| 2876. | होटलों का निर्माण | Construction of Hotels . . . . | 62 |
| 2877. | आंध्र प्रदेश में वन्य पशु शरण-स्थलों के विकास का प्रस्ताव | Proposal for development of Wild Life Sanctuaries in Andhra Pradesh . | 64 |
| 2878. | जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऋण | Loan Credit given by LIC to Public Sector Companies . . . . | 64 |
| 2879. | कर सम्बन्धी सुधारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र-संघ की समिति से सुझाव | Suggestions from U.N. Panel on Tax Reforms . . . . . | 65 |
| 2880. | नायलोन धागे के मूल्यों में वृद्धि | Increase in prices of Nylon yarn . | 65 |
| 2881. | वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिक ऋण देने सम्बन्धी नीति को विफल बनाने का कथित समाचार | Alleged sabotaging of policy of RBI by Commercial Banks in regard to expansion of credit . . . . | 66 |
| 2882. | इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी किये जाना | Issue of shares by Indian Oxygen Limited . . . . . | 67 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2883. | इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बोनस शैयर | Amount of Bonus shares issued by Indian Oxygen Ltd. . . . | 68 |
| 2884. | निजी व्यापारियों को ऋण देने के विरोध में बैंक कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन | Demonstration staged by Bank Employees to protest against extension of credit to private traders . . . | 68 |
| 2885. | भारतीय उद्योगपतियों द्वारा दक्षिण एशिया में उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries in South Asia by Industrialists . | 69 |
| 2886. | दक्षिण एशियाई देशों को भारतीय वस्तुओं का निर्यात | Export of Indian Goods to South Asian Countries . . . | 69 |
| 2887. | दक्षिण एशिया में उद्योग स्थापित करने हेतु भारतीय उद्योगपतियों को निमंत्रण | Invitation to Indian Industrialists to set up Industries in South Asian Countries | 70 |
| 2888. | स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा गांवों में नई शाखायें खोलने के लिये अपनाई जाने वाली कसौटी | Criteria adopted by the State Bank of India to open New Branches in villages . . . . . | 70 |
| 2889. | दिल्ली और राजकोट के बीच विमान सेवा | Air Service between Delhi and Rajkot | 70 |
| 2890. | मछली तथा मछली उत्पादों का व्यापार करने वाले बड़े व्यापार गृह | Big Business Houses dealing in Fish and Fish products . . . . . | 70 |
| 2891. | राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to West Bengal for giving D.A. to State Employees . | 71 |
| 2892. | शुल्क मुक्त पटसन आयात करने के लिये डच सरकार की सहमति | Permission by Dutch Government to Import Duty free Jute . . . | 71 |
| 2893 | आय-कर कार्यालयों में मशीनीकरण | Automations in Income Tax Offices . | 71 |
| 2894 | भारत के विदेशी मुद्रा संरक्षित कोष में कमी | Fall in India's Foreign Exchange Reserves . . . . . | 72 |
| 2895. | राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यय में वृद्धि | Increase in expenses of Nationalised Banks . . . . . | 73 |
| 2896 | खाद्यान्नों तथा पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव | Impact of rise in prices of Food grains and Petroleum . . . . | 74 |
| 2897 | आय-कर की राशि वापिस करने के लिये अनिर्णीत पड़े मामले | Cases Pending for Refund of Income-tax . . . . . | 74 |
| 2898. | चाय, काफी तथा औषधीय जड़ी बूटी का निर्यात | Export of Tea, Coffee and Medicinal Herbs . | 75 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2899 | मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अक्सर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का निर्धारण | Demarcation of drought prone areas by Meteorological Department . . | 77 |
| 2900. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों तथा व्यापारों को वित्तीय सहायता दिया जाना | Providing of Financial Assistance by Nationalised Banks to Industries and Trades . . . | 77 |
| 2901. | जाली बैंकिंग फर्मों द्वारा किया जाने वाला व्यापार | Business carried on by Bogus Banking Firms . . . . . | 77 |
| 2902. | आय-कर की बकाया राशि की वसूली | Recovery of Arrears of Income Tax | 78 |
| 2903. | महाराष्ट्र में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं | Smuggled goods seized in Maharashtra . | 79 |
| 2904. | राजस्थान में बरामद तस्करी का माल | Smuggled Goods seized in Rajasthan | 80 |
| 2905. | वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता | Overtime Allowance paid to the Employees of Commerce Ministry | 81 |
| 2906. | वित्त मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी | Temporary Employees in the Ministry of Finance . . . . . | 81 |
| 2907 | "बिग होजरी यूनिट्स कारनरिंग रैग्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार | New item captioned Big Hosiery Units Cornering Rags . . . | 82 |
| 2908. | रेयन, स्टेपल धागे और नायलोन धागे के वितरण के बारे में अखिल भारतीय बुनकर एसोसिएशन द्वारा दिया गया अभ्यावेदन | Representations made by All India Weavers Association regarding distribution of Rayon, Staple Fibre and Nylon Yarn . | 82 |
| 2909 | अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों को कम दरों पर वेतन का दिया जाना | Wages paid at Low Rates to Employees of All India Handicrafts Board . | 83 |
| 2910. | राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता विभाग के अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन का दिया जाना | Submission of report by Study Team of Central Vigilance re: frauds in Nationalised Banks . . | 83 |
| 2911. | नगरों का 'ए' श्रेणी में सम्मिलित किया जाना | Inclusion of Cities in 'A' Category | 84 |
| 2912 | इंडियन एयरलाइन्स की अनियमित उड़ानें | Irregular Flights of Indian Airlines | 84 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2913. | विकासशील देशों को उनके निर्यात के संबंध में विशेष रियायतें देने के लिये इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स की सिफारिश | Recommendation of International Chamber of Commerce for Special concessions to developing countries for their Exports . . . . . . . | 85 |
| 2914. | व्यापार वार्ता के बारे में भारत-कनाडियन आर्थिक परामर्श | Indo-Canadian Economic Consultation on Trade Talks . . . . . | 85 |
| 2915. | पंजाब विद्युत् बोर्ड द्वारा बाजार से ऋण लेने के लिये किया गया अनुरोध | Request made by Punjab Electricity Board for permission to raise market Borrowings . . . | 86 |
| 2916. | श्रेणी 2 के आय-कर अधिकारियों की पदोन्नति | Promotion of Income tax Officers Class II . . . . | 86 |
| 2917. | यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन | Exploitation of Indian Natural Resources by ECM Countries . . | 86 |
| 2918 | सर्जिकल उपकरणों का निर्यात | Export of Surgical Instruments . . | 86 |
| 2919. | अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में काफी की बढ़ती हुई मांग | Increasing Demand of Coffee in International Market . . . . | 87 |
| 2920. | बम्बई जल प्रदाय एवं निकासी परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की ओर से विशेष ऋण | Special Credit from IDA for Bombay Water Supply and Sewage Project | 87 |
| 2921. | फ्लाइंग क्लब | Flying Clubs . . . | 88 |
| 2922. | पटसन उत्पादकों को सांविधिक उपबन्धों के अंतर्गत नियत न्यूनतम मूल्य न देना | Denial of Statutory Minimum Price to Jute Growers . | 88 |
| 2923. | राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में नई शाखाएं खोलना | Opening of new branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh . . | 88 |
| 2924. | राज्यों को उनके कर्मचारियों को न्यूनतम मंजूरी में वृद्धि करने के लिये वित्तीय सहायता | Fanancial Assistance to States for Raising Minimum Wage of their Employees. | 89 |
| 2925. | खगौल में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी | Payment of C.C.A. to Government Employees Working at Khagaul . | 89 |
| 2926. | पटना टाउन (बिहार) में चार तथा पांच स्टार होटल बनाने की योजना | Scheme to set up four and five star Hotels in Patna Town (Bihar) . | 90 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2927 | 5 नवम्बर 1973 को पटसन श्रमिकों द्वारा सांकेतिक हड़ताल | Token Strike by Jute Workers on 5th November, 1973 . . | 90 |
| 2928 | प्रतिरक्षा लेखों के नियंत्रक के पटना कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण | Transfers of Employees Working in the Office of CDA Patna . . | 91 |
| 2929. | विदेशों में नये संयुक्त उपक्रम स्थापित करना | Setting up of new Joint Ventures in Foreign Countries . . . . . | 91 |
| 2930. | दीर्घावधि निर्यात नीति का पुनरीक्षण | Review of Long Term Export Policy | 92 |
| 2931. | डी० जी० सी० आई० एस० द्वारा एकत्रित निर्यात आंकड़े | Export Data Collected by DGCIS | 92 |
| 2932. | राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋणों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया सर्वेक्षण | Survey conducted by CBI in regard to Loans from Nationalised Banks . | 92 |
| 2933. | दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग | Increasing Demand of Indian Goods in South African Countries . | 93 |
| 2934. | ग्वालियर सिटी का दर्जा बढ़ाया जाना | Upgradation of Gwalior City | 93 |
| 2935. | भारतीय बाजार में रुपये का तुलनात्मक मूल्य | Comparative value of Rupee in Indian Market . . . . . | 93 |
| 2936. | तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना | Upgradation of Cities in Pursuance of Recommendation made by Third Pay Commission | 94 |
| 2937. | रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निरीक्षण किये गये बैंक | Banks Inspected by RBI | 94 |
| 2938. | पर्यटकों को बिहार में आकर्षित करने की योजना | Scheme to Attract Tourists to Bihar | 96 |
| 2939. | कुल्लू घाटी के भुन्तर के लिए अनियमित वायु सेवा | Irregular Air Services to Bhuntar in Kulu Valley . . | 97 |
| 2940. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कार्यालयों की इमारतों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों को किराए के रूप में दी गई अग्रिम राशि | Payment of Advance Money as Rent by Nationalised Banks to Private Parties/ Individuals for construction of Buildings for their office . . . . | 97 |
| 2941. | अपने निजी वायुयानों वाले व्यक्तियों/ फर्मों/संस्थानों द्वारा अदा की गई राशि | Charges paid by Individuals/firms Institutions having their private Planes | 98 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2942. | बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की सरकारी टकसालों में अप्रयुक्त क्षमता | Unutilised Capacity in Government Mints at Bombay, Calcutta and Hyderabad . | 98 |
| 2943. | राजकोट में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का कार्यकरण | Functioning of Branches of SBI, Rajkot | 99 |
| 2944. | मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण | Banks Credits to Finance Profiteering | 99 |
| 2945. | कृषि वस्तुओं में अवैध वायदा व्यापार | Illegal Forward Trade in Agricultural Commodities . . . . . | 100 |
| 2946. | अखबारी कागज की कमी | Shortage of Newsprint . . . | 101 |
| 2947. | 'एयर इंडिया टू पे 45,000 डालर पेनल्टी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार | News Item Captioned "Air India to Pay $ 45,000 penalty" . . . . | 101 |
| 2948. | वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में असम्बद्ध यूनियनों/एसोसियेशनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग | Demand for Separate Representation of Disaffiliated Unions/Associations in the Ministry of Finance Departmental Council . . . . . | 102 |
| 2949. | निर्यात शुल्क की कटौती के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार | Agreement for cut in Export Duty with EEC . . . . . | 102 |
| 2950. | मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के दौरों के बारे में अपनाए गए मित-व्ययिता संबंधी उपाय | Steps taken for adoption of austerity measures in regard to tours undertaken by Ministers and other officials . . | 103 |
| 2951 | पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव | Impact of increase in prices of Petroleum . | 104 |
| 2952. | सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण | Advances made by Nationalised Banks to cultivators in drought and flood affected areas . . . . . | 104 |
| 2953. | इलायची व्यापार में सामूहिक विपणन प्रणाली | Pooled Marketing System in Cardamom Trade . . . . . | 105 |
| 2954. | मयीथुरा (केरल) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना स्थल के बारे में निर्णय | Decision on International Airport at Mayithura (Kerala) . . . | 106 |
| 2955. | 1970 से 1973 तक की अवधि में मानव केशों, बन्दरों, सांपों और मेंढकों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय | Foreign Exchange earnings by the Export of Human Hair, Monkeys, Snakes and Frogs from 1970 to 1973 . | 106 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2956. | देश में 'एयर-टैक्सी' सेवा | Air Taxi Service in the country . . | 107 |
| 2957. | पांचवीं योजना के दौरान लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय पर्यटन केन्द्रों की स्थापना | Establishment of Indian Tourist centres in Latin American countries during Fifth Plan . . . | 108 |
| 2958. | जामनगर को हवाई अड्डे से मिलाने वाली सड़क | Approach Road from Jamnagar to Airport . . . . . | 108 |
| 2959. | सूती धागे की कमी और चोरबाजारी | Shortage and blackmarketing of cotton yarn . . . . . | 108 |
| 2961. | कुटीर उद्योग तथा पशुपालन उद्योग को ऋण देना | Advancement of loans to cottage industries and Animal Husbandry Industry. . | 109 |
| 2962. | रुपयों में भुगतान करने वाले देशों के साथ दीर्घावधि व्यापार करार | Long term trade contract with rupee payment countries . . . . | 109 |
| 2963. | भारत और टर्की के बीच व्यापार समझौता | Trade Agreement between India and Turkey . . . . . | 109 |
| 2964. | पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क | Excise duty on petrol and kerosene oil | 110 |
| 2965. | इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा अर्जित कुल राजस्व में अधिकारियों तथा प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का योगदान | Contribution of Central and State Government for the travel of officials and delegations in the total revenue earned by Indian Airlines and Air India | 111 |
| 2966. | भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन क्रय केन्द्रों की स्थापना | Setting up of Jute purchase centres by Jute Corporation of India . . | 111 |
| 2967. | रूस को ऊनी हौजरी का निर्यात | Export of Woollen Hosiery to Russia . | 111 |
| 2968. | वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कच्चे माल का सीमित मात्रा में आयात | Import of Limited quantities of raw material by Actual users . . | 112 |
| 2969. | वित्त मंत्रालय द्वारा हिन्दी में सामान्य आदेश जारी किया जाना | Issuing of General Orders by Ministry of Finance in Hindi . . . . | 112 |
| 2970. | फ्रांस और इटली और वहां के उद्योग पतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश | Investments by France and Italy and their Industries in India . . . . | 113 |
| 2971. | भारत में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के मत | Views of Eminent Economists on Deficit Financing in India . . . . | 114 |
| 2972. | मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा आयातित लिमूसीन मोटरकार का प्रयोग | Use of Imported Limousines by Ministers and Government Officials . | 114 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2973. | मैसर्स साहू जैन को वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किये गये/दिये गये ऋणों की राशि | Amount of loan granted paid to M/s Sahu Jain by financial Institutions . | 115 |
| 2974. | मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर करों की बकाया राशि | Arrears of Taxes against M/s Kores India Limited . . . . . | 116 |
| 2975 | मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि | Increase in Money Supply . . . | 117 |
| 2976. | केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना . . | Closure of Cashew Factories in Kerala . | 117 |
| 2977. | वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यातकर्त्ताओं को माल को जहाज पर लादने से पूर्व ऋण दिया जाना | Grant of Pre-shipment Advances by Commercial Banks to Exporters of Silver Ornaments/Wares . . . . | 118 |
| 2978. | जोरहाट और डिब्रूगढ़ तक बोइंग विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव | Proposal to extend Boeing Service to Jorhat and Dibrugarh . . . | 119 |
| 2979. | वर्ष 1972-73 में कपड़े के निर्यातकर्ताओं को दी गई नकद सहायता | Cash subsidy given to Textile Exporters during 1972-73 . . . . . | 119 |
| 2980. | देहाती और शहरी क्षेत्रों में लीड बैंकों की शाखायें खोलने के लिये निर्धारित लक्ष्य | Target fixed for opening of Branches of Lead Banks in Rural and Urban Areas . . . . . | 120 |
| 2981. | वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य में तस्करी के माल का बरामद किया जाना | Seizure of Smuggled Goods in each State in 1972-73 . . . | 120 |
| 2982. | एयर कस्टम्स हाउस, पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली में चोरियों के कारण मुआवजे की अदायगी | Payment of Compensation due to Thefts in Air Customs House, Palam Airport, New Delhi . . . . . | 121 |
| 2983. | चिलका झील पर पर्यटन विकास के लिये योजना | Scheme for Development of Tourism in Chilka Lake . . . . . | 121 |
| 2984. | उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना | Setting up of a Jute Mill in Orissa . . | 123 |
| 2985. | फसल बीमा योजना आरंभ करने संबंधी निर्णय को प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित करना | Implementation of Decision in Regard to Implementation of Crop Insurance Scheme on Pilot Basis . . . | 123 |
| 2986. | चौथी योजना में सिमिलिपाल पहाड़ियों (उड़ीसा) को नेशनल पार्क के रूप में विकसित करना | Development of Simplipal Hills (Orissa) as a National Park in the Fourth Plan . | 123 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 2987. देश में हथकरघा बुनकरों को धागे का वितरण | Distribution of Yarn to Handloom Weavers in the country . . . . | 124 |
| 2988. लारीज होटल आगरा को सरकारी नियंत्रण में लेने का अनुरोध | Request for taking over of Lawries Hotel, Agra . . . . . . . | 124 |
| 2989. समाजवादी देशों को निर्यात में वृद्धि | Increase in Export to Socialist Countries . | 125 |
| 2990. उत्तर प्रदेश में हथकरघों और विद्युत-चालित करघों को धागे का वितरण | Distribution of Yarn to Handlooms and Powerlooms in U.P. . . . . | 125 |
| 2991 जीवन बीमा निगम का कारोबार | Business procured by LIC . . . | 125 |
| अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance . . . . | 126 |
| कुछ रेलवे कर्मचारियों के 'नियमानुसार कार्य आन्दोलन' के कारण अनेक रेलगाड़ियों के देर से चलने का समाचार | Reported late running of several trains due to 'work to rule' agitation by some Railway Staff . . . . . | 126 |
| श्री अटल बिहारी बाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . | 126 |
| श्री एल० एन० मिश्र | Shri L. N. Mishra . . | 127 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . | 132 |
| राज्य सभा से संदेश | Message from Rajya Sabha . . | 133 |
| विधेयकों पर अनुमति | Assent to Bills | 133 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया | Statement re: Welfare and Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Laid . . . . . . | 133 |
| श्री राम निवास मिर्धा | Shri Ram Niwas Mirdha . . | 134 |
| सभा का कार्य | Business of the House . . | 134 |
| श्री के० रघुरामैया | Shri K. Raghu Ramaiah . . . | 134 |
| विधेयक पुरःस्थापित | Bills Introduced : . . . . . | 138 |
| (1) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा 2, 9 आदि का संशोधन), श्री मधु लिमये का | Untouchability (Offences) Amendment Bill (Amendment of sections 2, 9 etc.) by Shri Madhu Limaye . . . | 138 |
| (2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 77-क और 168-क का अंतःस्थापन), श्री मधु लिमये का | Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new Sections 77A and 168A) by Shri Madhu Limaye . | 139 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| (3) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक (धारा 17, 19 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये का | State Bank of India (Amendment) Bill Amendment of Sections 17, 19 etc. by Shri Madhu Limaye . . . . | 139 |
| (4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (विधेयक का पूरा नाम तथा प्रस्तावना आदि का संशोधन) श्री सी० एच० मोहम्मद कोया का | Aligarh Muslim University Bill (Amendment of Long Title and Preamble, etc.) by Shri C. H. Mohamed Koya . . | 140 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन), श्री अटल बिहारी बाजपेयी का, विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 124) by Shri Atal Bihari Vajpayee Motion to consider—negatived . . . . . | 140 |
| श्री श्यामनन्दन मिश्र | Shri Shyamnandan Mishra . . . | 140 |
| श्री एच० आर० गोखले | Shri H. R. Gokhale . . . | 141 |
| श्री अटल बिहारी बाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . . . | 144 |
| श्री एस० एम० सिद्दय्या के संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 339क का अन्तःस्थापन) के बारे में | Re. Constitution (Amendment) Bill Insertion of new Article 339A by Shri S. M. Siddayya . . . . . | 146 |
| श्री समर गुह के संघ राज्य क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विधेयक के बारे में आधे घंटे की चर्चा | Re. Union Territories Secondary Education Bill by Shri Samar Guha and Half an hour Discussion . . . | 147 |
| निश्चित तिथि बीत जाने के बाद फर्मों से लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र | Application for COB Licences from Firms after expiry of due date . . . | 150 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye . . . . | 150 |
| श्री सी० सुब्रह्मण्यम | Shri C. Subramaniam . . . . | 152 |

## लोक सभा

## LOK SABHA

शुक्रवार 30 नवम्बर, 1973/9 अग्रहायण, 1895 (शक)

*Friday November 30, 1973/Agrahayana 9, 1895 (Saka)*

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### वर्ष 1973 के दौरान पर्यटन से संभावित आय

*282. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1973 के दौरान पर्यटन से 60 करोड़ रुपये की आय होने की आशा कर रही है; और

(ख) 31 अक्तूबर, 1973 तक कितनी वास्तविक आय हुई ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) :** (क) जी हां, जहां तक विदेशी मुद्रा की आय का संबंध है।

(ख) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। अनुमान है कि जनवरी-सितम्बर 1973 की अवधि में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कुल आय लगभग 49 करोड़ रुपये थी।

**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि अधिक सुविधाएं तथा आकर्षण प्रदान करके लाभ में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

**डा० सरोजिनी महिषी :** जी हां, अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं। कई बनाये जा रहे हैं और अन्य के निर्माण का प्रस्ताव है।

**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : ये प्रस्ताव किस प्रकार के हैं।

**डा० सरोजिनी महिषी** : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे देश में पर्यटन का विकास करने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार कराने के लिये प्रयत्न किया गया है। यदि माननीय सदस्य अपने राज्य अर्थात तमिलनाडु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं सूचना दे सकती हूं .....

**डा० रानेन सेन** : हम जानना चाहते हैं कि सारे देश के लिए क्या किया जा रहा है। यह मामला मंत्री महोदय तथा माननीय सदस्य के बीच का नहीं है।

**डा० सरोजिनी महिषी** : भवन बनाये जा रहे हैं । तट विकास का कार्य किया गया है । गुलमर्ग तथा कोवालम नामक दो प्रमुख परियोजनाएं उपयोग के लिए तैयार हैं और अनेक विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक इनका उपयोग कर रहे हैं। अनेक स्वागत केन्द्र, होटल और युवक होस्टल भी बनाये जा चुके हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ये अपने राज्य के बारे में रुचि नहीं रखते लेकिन पंजाब और काश्मीर के बारे में रुचि रखते हैं।

**डा० सरोजिनी महिषी** : इनका निर्माण सारे देश में किया गया है जिसके फलस्वरूप भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गयी है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि अक्तूबर के अंत तक भी 3,25,000 पर्यटक भारत में आये। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पर्यटन का अधिक विकास करने के लिए प्रयास किये जायेंगे और मूलभूत ढांचा बनाने तथा आवास तथा परिवहन सुविधायें प्रदान करने और देश में पर्यटकों को आराम की व्यवस्था करने के लिए हम अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

**श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या अन्य देशों में पर्यटन को एक समृद्ध उद्योग माना जाता है और क्या इससे बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । क्या पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में "रोपवे" की व्यवस्था करने से देश में अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित किये जा सकते हैं ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके.....

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं कि मूल प्रश्न विस्तार नहीं बल्कि अर्जन से सम्बन्धित है ।

**श्री ए० के० एम० इसहाक** : मेरा अनुपूरक प्रश्न भी अर्जन से सम्बन्धित है। दो पहाड़ों को मिलाने के लिए यदि "रोपवे" हो तो हम अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित कर सकेंगे।

**डा० सरोजिनी महिषी** : विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। "रोपवे" एक ऐसा सुझाव है जो मूलभूत आधार बनाने के लिए सहायक होगा। माननीय सदस्य शायद सिंगला बाजार और जोर्डीबुंगालों की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मंत्रालय ने इसका सूझाव दिया था। बाद में इस पर कार्यवाही बन्द भी कर दी गई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इससे पहले इसका प्रस्ताव था लेकिन फिर भी "रोपवे" विदेशी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है।

**Mr. Speaker** : The question related to the earnings till October, 1973, then how does the ropeway figure.

**श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले** : मंत्री महोदय ने कहा है कि कोवालम पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। इंडियन एयरलाइन्स की तालाबन्दी तथा केरल के लिए उपलब्ध अपर्याप्त

परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अधिक पर्यटक आकर्षित करने के उद्देश्य से अधिक उड़ानों की व्यवस्था करेंगे ?

**डा० सरोजिनी महिषी :** पर्यटन विकास के लिए कई बातें जरूरी हैं जिनमें से परिवहन सुविधा भी एक है। अभी तक तालाबन्दी आदि का पर्यटन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है । इसका प्रभाव कुछ समय में पड़ सकता है। लेकिन मैं कह सकती हूं कि कोवालम परियोजना ने असंख्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है और अब तक भी पर्यटकों ने इसे छः महीने पहले बुक किया है ।

**Mr. Speaker :** You should put some relevant questions.

**चौथी योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए वन्य जीव शरणस्थलों/राष्ट्रीय पार्कों में बनाए गए विश्राम कक्ष**

*285. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए वन्य जीव शरणस्थलों/राष्ट्रीय पार्कों में उपयुक्त विश्राम कक्ष देश में कहां-कहां स्थापित किये गये हैं।

(ख) प्रत्येक विश्राम कक्ष पर कितनी धनराशि व्यय हुई और प्रत्येक रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है; और

(ग) इन विश्राम कक्षों में प्रत्येक में कितने विदेशी पर्यटक ठहरे और प्रत्येक से कितनी आय हुई ।

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) :** (क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

**विवरण**

(क) निम्नलिखित वन्य जीव शरण-स्थलों/राष्ट्रीय उद्यानों में विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा है।

1. काजीरंगा (आसाम)
   काजीरंगा वन्य जीव शरण-स्थल
2. ससनगिर (गुजरात)
   गिर वन्य जीव शरण-स्थल
3. डांडेली (कर्णाटक)
   डांडेली वन्य जीव शरण-स्थल
4. भरतपुर (राजस्थान)
   भरतपुर पक्षी शरण-स्थल
5. जल्दापाड़ा (पश्चिमी बंगाल)
   जल्दापाड़ा वन्य जीव शरण-स्थल

(ख) इनमें से प्रत्येक विश्राम गृह/फारेस्ट लॉज पर हो चुके व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. काज़ीरंगा (आसाम)---10.40 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 2.60 लाख रुपए।

2. ससनगिर (गुजरात)-- 13.11 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से 7.08 लाख रुपए।

3. डाडेली (कर्णाटक)--6.63 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 1.15 लाख रुपए।

4. भरतपुर (राजस्थान)—14.49 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 4.63 लाख रुपए।

5. जल्दापाड़ा (पश्चिमी बंगाल) —2.28 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 0.85 लाख रुपए ।

इनके रख-रखाव पर अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गयी है क्योंकि इन विश्राम गृहों/फारेस्ट लॉजों का अभी निर्माण किया जा रहा है।

(ग) क्योंकि इन विश्राम गृहों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

**Shri Mool Chand Daga :** May I know whether the Government is Constructing separate resorts and rest houses for foreign and domestic tourists. If so, the reasons thereof?

**डा० सरोजिनी महिषी :** वन्य जीवन शरण स्थलों पर पहले जिन विश्राम गृहों का निर्माण किया गया था वे वन विभाग द्वारा बनाए गए थे, इस समय पर्यटन विभाग, चाहे वह केन्द्रीय सरकार का है या राज्य सरकारों का, जिन विश्राम गृहों का निर्माण कर रहा है, वह विदेशी तथा अपने देशी पर्यटकों के लिए है, इन दोनों में कोई अधिक अन्तर नहीं है।

**श्री मूल चन्द डागा :** क्या कोई अन्तर नहीं है, परन्तु आपने कहा था कि यह विदेशी पर्यटकों के लिए है.....

**अध्यक्ष महोदय :** आप प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु बहस में मत पड़िये ।

**Shri Mool Chand Daga :** The construction of rest houses was started in the Fourth Plan. Now the Fourth Plan is heading for an end. But this work has not yet been completed. All the fine rest houses are lying incomplete. We never know when you start construction and when it is completed ? May I know when you thought of Constructing them?

**Dr. Shrimati Sarojini Mahishi:** We thought of completing it in fourth Plan. But this work is dependent on State Governments. They provide site and get the development work done. Unless they provide site, the work cannot be started. Then the work is done by State P. W. D. or Forest Department. When they do not start works inspite of receiving fund from Government, the work do not go ahead. If the site is available the tender is called for. But if there is no response then again the tender is called for. The thing is going on like this. Those buildings have been included in Fifth Plan construction of which have not come up to foundation level. According to this some works are going on at slow pace while some are yet to be started.

**श्री पी० जी० मावलंकर :** विवरण से यह पता चलता है कि अन्य स्थानों के साथ-साथ गुजरात में सनसानगिर में पर्यटकों के लिए एक विश्रामगृह का निर्माण होने वाला है, क्या सरकार का गुजरात में

सनसानगीर के अलावा नल सरोवर में, जो गुजरात में पक्षियों का एक शरण स्थल है, एक विश्रामगृह निर्माण करने की कोई योजना है ?

**डा० सरोजिनी महिषी :** यदि माननीय सदस्य ने पूरा विवरण पढ़ा होता तो उन्हें यह पता चलता कि नल सरोवर को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया गया है।

**डा० रानेन सेन :** मैं कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं मंत्री महोदया को यह सूचित करना चाहता हूं कि उनका यह वक्तव्य सही नहीं है कि जल्दापाड़ा विश्रामगृह का निर्माण हो रहा है। यह आठ महीने पहिले बना था तथा अब इसका प्रयोग विदेशी तथा भारतीय पर्यटक कर रहे हैं, उन्होंने पुरानी जानकारी की है।

**डा० सरोजिनी महिषी :** यह एक छोटी सी इमारत थी, मेरे कहने का तात्पर्य वर्तमान इमारत को बढ़ाने से था, इसका शिलान्यास कोई छह महीने पूर्व किया गया था और अभी यह निर्माणाधीन है।

**डा० रानेन सेन :** यह पहिले ही से स्थित है। मैं वहां 15 दिन पूर्व गया था और उसमें दो दिन रहा था ।

**अध्यक्ष महोदय :** पश्चिम बंगाल में इमारतें रातों-रात बन जाती हैं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** जलदापाड़ा विश्राम गृह के बारे में विवरण में कहा गया है कि मंजूर किए गए कुल राशि 2.28 लाख रुपयों में से 0.85 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। यह निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और इसके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

**डा० रानेन सेन :** उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है।

**डा० सरोजिनी महिषी :** पहिले यहां एक छोटी सी इमारत थी और अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह भी सच हो सकता है ..... (**व्यवधान**) यदि पश्चिम बंगाल सरकार पूरी इमारत को छह महीनों में बना सकती है तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** वे कुछ भी कर सकते हैं।

**डा० सरोजिनी महिषी :** मुझे इसके लिए भूमि लेने तथा अनुमति लेने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा।

**श्री पी० वी० मावलंकर :** मंत्री महोदय ने कहा है कि यह सूचना विवरण में दी गई है, परन्तु इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है, उन्होंने कहा है कि मैंने इसे नहीं पढ़ा है।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया इसको और ध्यान से देखने का कष्ट कीजिये।

**डा० सरोजिनी महिषी :** नल सरोवर को विकास योजना में शामिल किया गया था परन्तु कुछ कारणों से इस पर कार्य आरम्भ नहीं हो सका। इस पर निर्माण कार्य स्थगित किया गया था और अब इसे पांचवीं योजना में शामिल किया गया है।

## रुपया का मूल्य

*286. **श्री एस० सी० सामन्त :**

**श्री शंकर राव सावन्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टर्लिंग और डालर की तुलना में रुपये की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) यह कहां तक सच है कि रुपये के अवमूल्यन की संभावना है; और

(ग) रुपये के घटते हुए मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारत ने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, 18.9677 रुपये = 1 पोंड स्टर्लिंग की एक केन्द्रीय दर निर्धारित की है। इस देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सभी लेन-देन, इस केन्द्रीय दर से 2.25 प्रतिशत अधिक अथवा कम की अनुमत दर के आधार पर किये जाते हैं। चूंकि इस समय विकसित देशों की महत्वपूर्ण मुद्राएं जिनमें पौण्ड स्टर्लिंग भी शामिल है, विनिमय दर से मुक्त है, रुपया-डालर दर में समय-समय पर होने वाली घट-बढ़ डालर तथा पौंड स्टर्लिंग के बीच की "क्रास" दरों पर निर्भर करती है । 19 नवम्बर, 1973 की, रुपया और डालर के बीच उपर्युक्त तरीके से निकाली "क्रास" दर 7.935 रुपया प्रति अमरीकी डालर थी।

(ख) इस बात में लेशमात्र भी सचाई नहीं है कि रुपये का अवमूल्यन किये जाने की संभावना है ।

(ग) ऐसी स्थिति में जबकि विश्व की प्रमुख मुद्राएं विनिमय दर से मुक्त हैं, विनमय दर से मुक्त मुद्राओं के मूल्यों में होने वाली घट-बढ़ के अनुसार, रुपये की विनियम दर पर दो तरफा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-बाजारों में होने वाली घट-बढ़ पर बराबर नजर रखी जाती है और हमारे राष्ट्रीय-हित में जब कभी किसी उपचारात्मक कार्रवाई की जरूरत होगी तब वह कार्रवाई की जाएगी।

**श्री एस० सी० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि इस बात में लेशमात्र भी सचाई नहीं है कि रुपये का अवमूल्यन किये जाने की कोई संभावना है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि रुपये का अवमूल्यन किया गया तो इससे हमारे समक्ष क्या कठिनाइयां आयेंगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

**श्री० एस० सी० सामन्त** : मंत्री महादय ने 19 नवम्बर की विनिमय दर दी है, मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष पूर्व क्या विनिमय दरें प्रचलित थीं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैंने उस समय की विनिमय दर दी हैं । जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने 1 पौंड स्टर्लिंग के लिए 18.9677 रुपये की केन्द्रीय दर निर्धारित करने की अनुमति दी थी, इस विनिमय दर से हमने कार्य आरम्भ किया था। 19 नवम्बर, 1973 के दर मेरे दिए हुए हैं। एक अवसर पर यह दर अमरीकी डालर पर दिए गए थे और यह मैं आपको दे सकता हूं। स्मिथसोनियम करार के उपरान्त अमरीका ने डालर का अवमूल्यन 8.57 प्रतिशत तक कर दिया था और गत वर्ष यह अनुपात 7.279 रुपये निर्धारित किया गया था।

**श्री समर गुह :** मैं जान सकता हूं कि पौंड और डालर के मूल्य की घट-बढ़ से भारतीय रुपये का मूल्य कहां तक गिरा और देश में मूल्यों की वृद्धि पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** माननीय सदस्य को सबसे पहले एक मूलभूत बात को समझ लेना चाहिए यथा रुपये अथवा किसी मुद्रा की विनिमय दर का रुपये के आन्तरिक मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह अन्य अनेक कारणों पर निर्भर करता है। इस समय समाजवादी देशों की मुद्राओं को छोड़कर विश्व की प्रत्येक मुद्रा के समान भारतीय रुपये के मूल्य में घट-बढ़ होती रहती है । विश्व की मुद्राओं में से एक मुद्रा होने के नाते हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी मुद्रा में घट-बढ़ नहीं हो रही है क्योंकि इसका फिर व्यावहारिक महत्व कुछ भी नहीं रहेगा। इस समय यह ऐसी स्थिति में है। इसकी स्थिति आगे क्या होगी, यह इस पर निर्भर करती है कि हम सामान्य मुद्रा ढांचे के अंतर्गत किस समय तथा किस प्रकार समझौता करते हैं।

**श्री समर गुह :** जब रुपये के बाहरी मूल्य में घट-बढ़ होती है। तो हमारे निर्यात तथा आयात के मूल्यों पर प्रभाव पढ़ता है । स्वभावतः इससे हमारी आतरिक बाजार में भी प्रभाव पड़ता है। अतएव इससे रुपये के आन्तरिक मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** विश्व में प्रत्येक चीज एक दूसरे से सम्बद्ध है। इस से निश्चित रूप में हमारा आयात-निर्यात प्रभावित होता है। परन्तु मुख्य रूप से मेरा तात्पर्य यह था कि इससे रुपये के देशीय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह अन्य कई बातों पर निर्भर है। इसे आपको सीमित संदर्भ में समझना चाहिये।

**श्री बी० वी० नायक :** क्योंकि विश्व की दुर्लभ मुद्रायें अर्थात् पौंड स्टर्लिंग तथा डालर अस्थिर स्थिति में हैं, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय रुपया, यद्यपि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, देश से बाहर वस्तुतः अस्थिर स्थिति में है?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जी हां ।

**प्रो० मधु दंडवते :** मुद्राओं की अस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्टर्लिंग से अपनी मुद्रा की परम्परागत सम्बद्धता के प्रति अपनी विचारधारा में परिवर्तन करेगी?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यह नहीं कहा जा सकता कि परम्परागत रूप से हमारी मुद्रा केवल स्टर्लिंग से ही सम्बद्ध है क्योंकि मत वहां की स्थिति पर निर्भर करता है। श्री सामंत के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि हमें अपने विदेश व्यापार तथा अन्य उद्देश्यों के लिये अपनी मुद्रा को सोने अथवा डालर अथवा स्टर्लिंग अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण मुद्रा से, जो रक्षित परिसम्पत्ति के रूप में प्रयोग की जा सकती है, मूल्यांकन करना होता है। अतः यह उचित समझा गया कि हम वह माध्यम चुनें जो हमारे लिये बहुत उपयुक्त हो। केन्द्रीय दर के लिये हमने स्टर्लिंग स्वीकार किया है क्योंकि हमारा विदेश व्यापार अधिकांशतः स्टर्लिंग क्षेत्रों में है। यह हमारे लिये उपयुक्त और सुविधाजनक है।

**प्रो० मधु दंडवते :** पिछली बार मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि वे कठोर विचारधारा नहीं अपनायेंगे ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** हमारी विचारधारा कभी भी कठोर नहीं है। मैं कह सकता हूं कि यह अभी भी कठोर नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से माननीय सदस्य अब संतुष्ट हैं।

**डा० रानेन सेन** : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गतवर्ष से ही डालर के मूल्य में गिरावट आई है। तब इसका कारण क्या है डालर के सन्दर्भ में भारतीय रुपये का मूल्य जो 7.50 रुपये प्रति डालर था अब बहुत कम हो गया है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह बड़ी रुचिपूर्ण बात है कि डालर के मूल्य में हाल के महीनों में योरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मज़बूती आयी है।

**वेतन आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन**

*287. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सभी सिफारिशों के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लगने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इन सभी सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) तथा (ख) वेतन आयोग की श्रेणी-II, III और IV के कर्मचारियों से संबंधित मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर निर्णय लिया जा चुका है और उनको लागू किया जा रहा है। अन्य सिफारिशें, जिन में श्रेणी-I तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सिफारिशें भी शामिल हैं, विचाराधीन हैं। उन पर लिये जाने वाले निर्णय, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व यथासंभव शीघ्र लागू हो जाने की आशा है।

**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या यह सच है कि जब चतुर्थ श्रेणी के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया था तब यह आश्वासन दिया गया था कि तृतीय श्रेणी के वेतनमानों में भी आनुपातिक वृद्धि की जायेगी? उस आश्वासन का क्या हुआ? अन्तिम आदेश कब तक जारी किये जाने की आशा है?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं उत्तर को फिर से पढ़ता हूं।

"श्रेणी दो, तीन तथा चार के कर्मचारियों से संबंधित वेतन आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर निर्णय लिया जा चुका है और उनको लागू किया जा रहा है। अन्य सिफारिशें जिनमें श्रेणी एक तथा अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल हैं, विचाराधीन हैं।"

अतः श्रेणी दो, तीन तथा चार के वेतनमान तथा पेंशन का भी प्रश्न तय हो गया है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ भिन्न है। उन्होंने उस आश्वासन के बारे में पूछा है जो वार्ता के समय दिया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे उन पर छोड़िये। वह इसे दूसरे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : यह कहा गया था कि वेतन का तीन और चार प्रतिशत मंहगाई भत्ते के रूप में दिया जायेगा और मंहगाई भत्ते का दूसरा स्लैब मंजूर कर दिया गया है फिर भी, नये वेतनमानों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। नये वेतनमानों की घोषणा कब तक की जायेगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ उठा सकें?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं ऐसे विस्तृत प्रश्न का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता इसके लिये नोटिस आवश्यक है।

**Shri Ramavatar Shastri** : There is a strong resentment among the Central Government employees at Governments decision on third Pay Commission Report and the employees are going to arrange a strike to express their resentment. They are not going to accept their Pay Packets on 1st December. If there is strike then there will be a big loss to the country. May I know whether in view of this the Government propose to reconsider their decision?

What is the difficulty in granting Rs. 250 as the minimum wage for the Central Government employees when this amount as minimum wage is being paid in Banks and other Public concerns ? Why don't you agree to this ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जहां श्रेणी दो, तीन और चार के कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है हमने उन्हें अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया है। यहां तक कि हमने वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ सुधार भी किये हैं, हम वेतन आयोग की सिफारिशों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से लम्बी वार्ता के पश्चात् ऐसा किया गया है। अतः मैं सदन से क्षमा चाहता हूं तथा माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यदि उनके विचार में इस हड़ताल से राष्ट्रीय हित की हानि होने की संभावना है तो वे अपने प्रभाव का प्रयोग करके कर्मचारियों से ऐसे मार्ग न अपनाने के लिये कहें।

**श्री रामावतार शास्त्री** : सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन के रूप में 250 रुपये दिये जा रहे हैं। इतनी राशि केन्द्रीय कर्मचारियों को देने में क्या आपत्ति है? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री ए० पी० शर्मा** : यह सच है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों पर बातचीत करने के लिये पहली बार सहमत हुई है पहले और दूसरे वेतन आयोगों के समय ऐसा नहीं हुआ था बातचीत में दो बातें हमारे सामने थीं पहली यह कि तीसरे वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशों में क्या सुधार किये जायें और दूसरी यह कि वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार के विभिन्न निर्णयों को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगतियों को किस प्रकार दूर किया जाये।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारी वर्ग इन सुधारों को पर्याप्त नहीं समझता क्या सरकार इन पहलुओं पर और बातचीत करने के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगतियों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करेगी?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मेरे विचार से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान मैंने यह बात स्पष्ट की थी कि जहां तक असंगतियों का प्रश्न है विभागीय परिषदें अथवा समितियां इनकी जांच कर सकती हैं। "असंगति" क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई "असंगति" के नाम में सुधार के लिये नई मांग करता है तब इसे असंगति नहीं माना जायेगा। परन्तु वास्तविक असंगतियों की विभागीय परिषदों द्वारा अथवा समितियों द्वारा निश्चित ही जांच करायी जायेगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने क्या मांग की थी तथा उनके द्वारा रखे सुझावों को पूरी तरह स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई थी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह स्पष्ट है कि उनकी प्रत्येक मांग स्वीकार नहीं की गई।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : जब उनके साथ वार्ता हुई तब उनकी विशिष्ट मांगें क्या थीं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस समय उन मांगों का विवरण मेरे पास नहीं है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से न्यूनतम वेतन की मांग रखी . . .

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : वह मांग क्या थी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मुझे पता नहीं आप पता कीजिये। इस समय उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि उनकी मांगें क्या थीं। इस समय इस सम्बन्ध में जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

**Shri Govind Das Richhariya:** May I know whether the Ministries have been allowed to go scot free or any date has been fixed regarding the implementation of the recommendation of Pay Commission ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जब आदेश जारी किये जाते हैं और जो समय-समय पर जारी किये जा रहे हैं उनमें तारीख बतायी जाती है।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : सरकार ने हाल ही में जिस वृद्धि की घोषणा की है उसे जोड़कर वेतन का कुल बिल बजट का 70 प्रतिशत बनता है। यदि कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाये तो क्या यह बजट का 80 प्रतिशत हो जायेगा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : बजट प्रतिशतता के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : उठे

**अध्यक्ष महोदय** : आपको प्रश्न पूछने का प्रत्येक अधिकार है परन्तु . . .

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैंने चर्चा की मांग की है। मेरा इससे निकट का सम्बन्ध है। मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये। यदि मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं चर्चा की मांग करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके दल से दो सदस्यों को बुला चुका हूं। दूसरे दलों के सदस्यों को भी बोलने दीजिये। श्री कछवाय।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Is it a fact that each Class is dissatisfied over the recommendations of the third Pay Commission and every now & then they have given representations and notices to the Government, if so, the number of representations and notices given and the number out of those which are under consideration ?

The hon. Minister has stated that recommendations will be implemented within this year. May I know whether any date has been fixed for implementation? May I also know whether the recommendation will also be made applicable to State Governments employees working in Central Governments Offices/departments or the issue will be left for the State Governments.

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : उन सभी के लिये ये सिफारिशें लागू की जायेंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। यह एक सामान्य बात है इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं।

जहां तक प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने की बात है, मैंने उनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा है परन्तु ये काफी संख्या में हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** This has not been said whether the Government are considering those representations or not ?

**Mr. Speaker :** The hon. Minister has replied to it.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I have asked about the number of representations and notices received. Employees are preparing to go on strike. May I know whether the Government will take note of it ?

**Mr. Speaker :** You say whatever you like.

**Shri Yeshwantrao Chavan :** I have got nothing more to say.

**श्री किरुतिनन :** क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिकर भत्ते के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है। मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते सम्बन्धी सिफारिशों को जनवरी के स्थान पर जबसे कि वेतनमानों को कार्यरूम दिया जा रहा है, अक्तूबर से लागू करने का निर्णय किया है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जहां तक क्रियान्वयन की तारीख का प्रश्न है वेतनमानों तथा पेंशन लाभ के लिये यह 1 जनवरी है। अन्य आदेशों के सम्बन्ध में आदेशों के जारी किये जाते समय उनमें तारीख दी जायेंगी।

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** Sir, the Pay Commission has recommended that the population is not the only criterion but the cost of living of the particular city should also be taken into account to arrive at a decision regarding CCA. May I know whether the Government is going to accept this recommendation, and whether Government propose to amend the present formula ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे विचार में ऐसा नहीं है। परन्तु जनसंख्या के हिसाब से कुछ शहरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** Sir, my question has not been replied to. I wanted to know whether the hon. Minister knows that the Pay Commission has recommended that the population is not the only criterion but the cost of living of a particular city should also be taken into account to arrive at a decision regarding the CCA and if so, whether the Government agree to it.

**Shri Yeshwantrao Chavan :** This is not a specific recommendation and therefore no final decision has been taken so far in this regard **(interruptions)**

**Shri R. N. Sharma :** The hon. Minister has said that the recommendations of the Pay Commission will be implemented from 1st January, 1973 and the instructions have been issued to implement these recommendations in Class II, III, & IV employees. May I know whether the improvement including the decision of 100 percent neutralisation for Class IV employees made by the Government, will also be implemented ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जो कुछ निर्णय किये गये हैं उनके बारे में कुछ मामलों में आदेश जारी कर दिये गये हैं और शेष मामलों में आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि वार्ता के पश्चात् कुछ संशोधनों की घोषणा की गई। क्या यह सच है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 314 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया? उन्होंने 1-8-72 क्रियान्वयन को मांग की थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने मंहगाई भत्ते के फारमूले को बदलने की मांग की थी जिसे नामंजूर कर दिया गया। प्वाइंट टू प्वाइंट वेतन निर्धारण की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। मंत्री महोदय ने ये सभी मांगे अस्वीकार कर दी थीं।

क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो इस समय 196 रुपये न्यूनतम वेतन मंजूर किया गया है यह भी डा० गिरि की ही एक सिफारिश है जो वेतन आयोग के सदस्य हैं सरकार ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया है? क्या मंत्री महोदय को पता है कि ये संशोधन केन्द्रीय कर्मचारियों को इस आधार पर स्वीकार्य नहीं हैं कि इन वेतनमानों को बढ़ते हुए जीवन मूल्य से कोई समता नहीं है। आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि रुमालों की कीमतें बढ़ गई हैं। "दिल्ली के लोगों के लिये आंसू पोंछ सकना भी कठिन हो गया है। रुमालों के मूल्य में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजधानी में मक्खन, सरसों का तेल दालों के मूल्यों में यकायक वृद्धि हो गई है...

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया भाषण नहीं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : इसलिये मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या इस समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जायेगा और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन इस प्रकार निर्धारित किये जायेंगे कि उनका बढ़ते हुये जीवन मूल्य से सम्बन्ध हो। क्या मंत्री महोदय इस बात पर भी विचार करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में भिन्नता न हो। इसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं उन्हें स्पष्ट उत्तर देता हूं।

सर्वप्रथम कर्मचारियों ने विभिन्न प्रकार की मांगें रखीं जिनमें से कुछ मैंने अभी बतायीं हैं। उन सभी मांगों पर और आधारों पर विचार किया गया और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस प्रेस टिप्पणी से उदाहरण देना चाहता हूं जो वार्ता के पश्चात् जारी की गई थी। यह इस प्रकार है:

> "कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर सरकार ने आगे विचार किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सामाजिक न्याय के आधार पर श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को कुछ और लाभ देने की आवश्यकता है।"

अतः हमने मांग पर विचार किया और मांगों के औचित्य पर विचार किया और हमने इतना कुछ देने का प्रयास किया जो सरकार के वश की बात थी...(**व्यवधान**) वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश में न्यूनतम वेतन की राशि को 185 से बढ़ाकर हमने 196 रुपये कर दिया है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : यह भी वेतन आयोग की ही एक सिफारिश थी।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह अल्पमतीय सिफारिश थी। यह वेतन आयोग की सिफारिश नहीं थी। इसके पश्चात् वेतन निर्धारण फारमूले के लिये मूल वेतन का 5 प्रतिशत न्यूनतम लाभ जिसकी सिफारिश वेतन आयोग ने की थी, को 10 रुपये बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। यह एक अन्य सुधार है। इसके साथ 300 रुपये तक वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ते में शत प्रतिशत निष्प्रभावीकरण

किया जायेगा। कर्मचारियों का सबसे छोटे वर्ग को जो संभव्यतया संख्या में सबसे बड़ा है शत प्रतितश तथा 75 प्रतिशत 300 रुपये 900 रुपये वेतन तक निष्प्रभावीकरण दिया जायेगा।

मैं मुख्य रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि हमने समस्या पर उदारता से विचार किया है और सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं थे।

हमने वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार करने का प्रयास किया है। अतः अब इस सम्बन्ध में सरकार और कोई सुधार नहीं कर सकती।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह भेदभाव क्यों है?

**अध्यक्ष महोदय** : आप तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : सरकारी उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार में भेदभाव क्यों हो? क्या केवल उनकी संख्या अधिक होने के कारण ? यह बहुत ही अजीब बात है.....

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। यह वाद-विवाद का समय नहीं है। यह सीधा प्रश्न है, इस पर वाद-विवाद खड़ा न करें।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। भेदभाव के बारे में उत्तर दिया जाना चाहिये।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : वह तर्क कर रहे हैं मैं नहीं।

## तेल की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि होने के कारण पर्यटन और नागर विमानन विभागों पर प्रतिकूल प्रभाव

*289. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले तेल की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि का पयटन तथा नागर विमानन विभागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बहुत सी विमान उड़ानें बन्द कर दी गई हैं और विमान किरायों में वद्धि कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी)** : (क) तेल के मूल्य में वृद्धि के पर्यटन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन अभी इतने जल्दी नहीं किया जा सकता। ईंधन के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारी दोनों एयर लाइनों की परिचालन लागत काफी बढ़ गयी है। इन एयरलाइनों को 1974-75 में, अपने परिचालनों के कार्यक्रम के आधार पर, इस मद में लगभग 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

(ख) जी नहीं, अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन का सदस्य है। समझा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन ने सभी यात्री किरायों और माल भाड़ों में अगले वर्ष 1 जनवरी से 6 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।

**Shrimati Savitri Shyam :** It has been stated that the airlines will have to incur additional expenditure of Rs. 16 crores. I want to know whether Flying Clubs having their own planes have also been hit by rise in fuel prices ? Wheather they have sent a memorandum to Government asking for special concession so that they may service ?

**डा० सरोजिनी महिषी** : पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि का प्रभाव फ्लाइंग क्लबों पर भी पड़ेगा। उन्होंने तदर्थ अनुदान शीघ्र दिए जाने की मांग की है और उनके अनुसार अन्यथा उन्हें अपना कार्य बन्द कर देना पड़ेगा।

**Smt. Savitri Shyam :** I wanted to know whether their demands are under consideration by Government?

**डा० सरोजिनी महिषी** : वह विचाराधीन है।

**श्री एम० कतापुत्तु** : उत्तर के भाग (घ) के अनुसार आई०ए०सी० ने यात्री और माल भाड़े में अगले वर्ष प्रथम जनवरी से 6 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है---क्यों? क्या पेट्रोल में मूल्य वृद्धि के कारण हैं या किसी अन्य कारण ?

**डा० सरोजिनी महिषी** : यह निर्णय आई०ए०सी० का नहीं आई०ए०टी०ए० का है जो अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है कि 1-1-74 से 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाये। आई०ए०सी० और एयर इंडिया इसके सदस्य हैं। यह सुझाव मात्र ही है और सभी देशों ने ऐसा नहीं किया है।

## समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें

*290. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोप एवं ब्रिटेन के आयातकों ने हाल ही में यह शिकायत की है कि समुद्री खाद्य उत्पादों के भारतीय सप्लायर्स डिलिवरी तालिका के अनुसार नहीं चल रहे हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आयातकों ने भारतीय सप्लायर्स को दिये गये अनेक क्रयादेश रद्द कर दिये हैं: और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारतीय सप्लायर्स डिलीवरी तालिका का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है कि समुद्री खाद्य पदार्थों के भारतीय सप्लायर्स ने यूरोप तथा ब्रिटेन को निर्यातों के लिए सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार माल नहीं भेजा।

(ख) सरकार को इस प्रकार के आर्डरों के रद्द किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री एच० एम० पटेल** : क्या मंत्री महोदय ने कभी "इकनामिक टाइम्स" पढ़ा है जिसमें 18 सितम्बर को छपा है कि नौवहन कठिनाई के कारण अनेक क्रयादेश पूरे करने में विलम्ब हुआ है। उसके अनुसार:

"कोचीन में जहाज की प्रतीक्षा में 45 लाख मूल्य के झींगा मछली की 50,000 पेटियां पड़ी हुई।

"एक निर्यातक ने इस कठिनाई के बारे में बताया है कि कलकत्ता—यू०के० मार्ग पर चलने वाला और 25 अगस्त को कोचीन पहुंचने वाला जहाज अभी तक नहीं आया है....."

अतः ये कठिनाइयां स्पष्ट ही विद्यमान हैं और आश्चर्य है कि विदेश व्यापार से सम्बन्धित वाणिज्य मंत्रालय को इनकी जानकारी नहीं है।

**श्री ए० सी० जार्ज** : यह ठीक है कि उक्त समाचार पत्र में यह बात छपी थी और इसे मैंने स्वयं पढ़ा था परन्तु उनका प्रश्न विदेशी आयातकों की शिकायत के सम्बन्ध में था जिसके उत्तर में मैंने कहा था कि उनकी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। हां, यू० के० और यूरोप में नौवहन कठिनाइयां हैं और कुछ अवसरों पर हमें जहाज उपलब्ध नहीं हुए हैं। ये कठिनाइयां आयतकों और निर्यातकों दोनों को पेश आती हैं।

**श्री एच० एम० पटेल** : मंत्री महोदय को इनकी जानकारी तो है परन्तु क्या उन्हें यह भी पता है कि यूरोप और यू० के० के साथ समुद्री खाद्य पदार्थों का व्यापार नया-नया है और यह मान लेना कि ये कठिनाइयां पेश आ रही हैं काफी नहीं हैं क्योंकि प्रश्न तो यह है कि इस स्थिति में क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्री ए० सी० जार्ज** : यू०के० और यूरोप के बीच जहाज सेवा चलती है। वास्तव में वर्ष 1972-73 में समुद्री खाद्य उत्पादों के 59.72 करोड़ के कुल निर्यात में से 5 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात इन देशों को किया गया था और यह निर्यात इससे पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगने से भी अधिक है। यह व्यापार वास्तव में वृद्धि पर है। हमारी समस्या अधिक स्थान वाले जहाजों की है क्योंकि झींगा मछली के साथ-साथ हम मेंढकों की टांगों का भी निर्यात करते हैं। मेरे उत्तर से यदि सदस्य महोदय को गलत बोध हुआ है तो इसका मुझे खेद है। हमने वास्तव में यह मामला नौवहन के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों से उठाया है और हम जहाजी कम्पनियों और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम इसको हल करने की गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।

**श्री वयालार रवि** : हमारे देश का समुद्री खाद्य-पदार्थों का निर्यातकर्ता छोटा उद्यमी है। क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में टाटा, इण्डियन टोबेको, यूनियन कार्बाइड जैसे बड़े एकाधिकार बादी गृह प्रवेश कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा की आय हो? भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सुझाव ही है।

**श्री वयालार रवि** : सरकार उन्हें 50 ट्रालर अलाट कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उनका ध्यान कुछ बातें नोट करने के लिये दिलाया है। तथापि, यदि मंत्री महोदय कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

**श्री ए० सी० जार्ज** : मैं सदस्य महोदय की इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** As addmitted by the hon. Minister just now that we have exported sea food on a large scale. Is it a fact that the actual gain has gone to a few big houses rather than small exporters and whether by and large licences have been given to the farmer.

**Mr. Speaker :** Where the licence have come from ? It does not arise there from.

**श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि कोचीन के चाय निर्यात को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चाय के लिए निर्यात जहाज नहीं मिल रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न तो यू० के० संबंधित है।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री :** फिर भी इसका कुछ तो मुख्य प्रश्न से संबंध है ही।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय यदि सूचना दे सकते हैं तो ठीक है।

**श्री ए० सी० जार्ज :** मुझे इसका पता नहीं है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कदाचारों को रोकने के बारे में किये गये निर्णय**

*291. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :**

**श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कदाचारों को रोकने के लिये हाल ही में आन्तरिक सर्तकता को कड़ा करने एवं समुचित आचार नियम लागू करने का निर्णय किया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने बैंकों में सतर्कता कक्षों की स्थापना कर दी है और उन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया है। इन सतर्कता कक्षों को कड़ा करने तथा और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रश्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के निरन्तर विचाराधीन है। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी वर्ग के लिये आदर्श आचरण नियमावली भी तैयार कर रहे हैं ताकि उसे राष्ट्रीयकृत बैंक अपना सके।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या स्टेट बैंक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन व्यय में 95 करोड़ तक की वृद्धि हुई है जबकि 1972 में उनके लाभ घटे हैं और यद्यपि घाटे हुये हैं फिर भी ऋणों आदि पर ब्याज की दर बढ़ाई गई है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं समझा था कि शायद वह सतर्कता के बारे में सवाल पूछेंगे।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या मंत्री महोदय ने इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रशासकों के साथ गत मास हुई उनकी बैठक में चर्चा की थी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** पहली नवम्बर को सतर्कता संबंधी विषयों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ चर्चा हुई थी और सतर्कता आयुक्त को भी आने के लिये कहा गया था।

**नवल किशोर सिंह :** क्या सतर्कता आयुक्त ने कदाचार दूर करने के लिये ठोस सिफारिशें की थीं ? क्या राज्य सरकारों और संसद्-सदस्यों ने वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दिया था कि राष्ट्रीयकृत

बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी जान बूझ कर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें उद्यमियों और ऋण के लिए आवेदकों को अपने आवेदन मंजूर कराने के लिए घूस देनी पड़ती है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरा ध्यान कुछ शिकायतों पर दिलाया गया है और मैंने उन पर विचार के लिए कह दिया है। जहां तक सतर्कता आयुक्त का संबंध है, उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं और मैं सभा को बता दूं कि सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनके क्षेत्राधिकार को मान लिया है।

**पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क से आय**

*292. **श्री के० मालन्ना :**

**श्री एम० एस० पुरती :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क से कितनी आय हुई; और

(ख) हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के उपरान्त कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** (क) विभागीय विवरणियों के अनुसार, वर्ष 1972-73 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व की रकम 767 करोड़ रु० आंकी गई है।

(ख) मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन-शुल्क की दरों में हाल ही में किये गये परिवर्तनों के कारण वसूल किये जाने वाले अतिरिक्त राजस्व की संभावित रकम एक पूरे वर्ष में 116 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में 48 करोड़ रु० आंकी गई है।

**श्री के० मालन्ना :** क्या यह अतिरिक्त राजस्व देश में तेल उद्योग के सुधार के लिए उपभोग में लाया जाएगा ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इस समय मैं धन के किसी आवंटन का आश्वासन नहीं दे सकूंगा।

**श्री के० मालन्ना :** इस उत्पादन-कर लगाने का आशय पेट्रोल की खपत घटा कर उसे देश में उर्वरक बनाने के लिए नैफथा तैयार करने पर लगाने का है। पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** 10—25 प्रतिशत कटौती प्रत्याशित है यदि नियमों का कठोरता से पालन हो।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अभी भी हम प्रश्नों की औसत संख्या से काफी पीछे हैं।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## भारतीय जूट निगम का घटिया काम

*283. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों अथवा पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा भारतीय जूट निगम के घटिया काम के संबंध में कोई शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :** (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण के सुधार के लिए सुझाव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं और वे मुख्यतः निगम की अवस्थापना की अपर्याप्तता के बारे में हैं। सरकार संगठन के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और प्रशासनिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना के विस्तार और जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

## दार-ए-सलाम में राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

*284. **श्री बक्शी नायक :**

**डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दार-ए-सलाम में राष्ट्र मण्डल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें तथा टिप्पणियां की गयीं ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने पर भारत की अर्थ-व्यवस्था को कितनी सहायता मिलेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मंत्रियों ने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में तेजी से ऐसा सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया हो। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इन सुधारों से इस बात को बढ़ावा मिलना चाहिए कि विकासशील देशों को वास्तविक संसाधनों का अन्तरण अधिक मात्रा में तथा अधिक सुनिश्चित रूप से हो। उन्होंने मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति के रूप में विशेष आहरण अधिकारों की व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया।

विश्व की आर्थिक स्थिति के संबंध में, उन्होंने मुद्रा स्फीति और उसके दुष्प्रभावों पर काबू पाने के उद्देश्य से अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी राष्ट्र मंडलीय देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार वार्तालाप की सफलता के महत्व पर जोर दिया।

ये बातें विकासशील देशों के हित की हैं जिनमें हमारा देश भी शामिल है।

## अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की मांग समाप्त होना

*288. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की मांग इस लिए गिर गयी है क्योंकि पुराने पौधों के स्थान पर नये पौधे नहीं लगाये गये और उन्हें बदला भी नहीं गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संकटग्रस्त चाय बागानों का सरकारीकरण करने के लिए बनाये गये कार्यदल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों के अनुसार उन्हें अपने हाथ में लेने की शक्ति प्राप्त करने का है ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)** : (क) जी नहीं।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

**वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात किये गये काजू का मूल्य**

*293. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य के काजू का निर्यात किया गया; और

(ख) भविष्य में काजू के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान 68.54 करोड़ रु० मूल्य की 66,065 मे० टन काजू गिरियों का निर्यात भारत से किया गया।

(ख) काजू की गिरी के हमारे निर्यात में वृद्धि इस बात पर काफी निर्भर करती है कि हम यथेष्ठ मात्रा में कच्चे काजू प्राप्त कर सकें जिसके लिये हमें अधिकतर आयात पर निर्भर करना पड़ता है। प्रतियोगी कीमतों पर सभी संभव स्रोतों से कच्चे काजू के अतिरिक्त आयात की व्यवस्था करने के लिये तथा साथ ही देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक जानकारी के संचयन तथा प्रसार, समुद्र पार बाजारों में व्यापक प्रचार, विदेशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी निर्यात संर्धन कार्यवाहियां की जा रही हैं।

**इंडियन एयर लाइंस के विमान चालकों की ऐलकोहल जांच**

*294. **श्री डी०डी० देसाई** :

**श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1973 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों ने ऐलकोहल जांच के प्रश्न पर एयर लाइंस के साथ संघर्ष करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** :(क) और (ख) जी, हां। किन्तु समाचार पत्र की रिपोर्ट में स्थिति का ठीक चित्रण नहीं किया गया है। 15 मार्च, 1973 को सिकन्दराबाद में हुई एच० एस-748 विमान दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त जांच-अदालत के सामने भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने स्वयं कहा था कि उनके सदस्य काकपिट में कर्मीदल के प्रवेश करने से पहले डाक्टरी जांच के लिये सहमत हैं तथा सदैव सहमत रहे हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के अनुसार, विमानचालक संघ ने इस बात पर आपत्ति की थी कि कुछ चिकित्सा अधिकारी जांच के समय विमान चालकों से कुछ फार्म तथा रजिस्टर भरवाना चाहते थे। इस मामले को सुलझा लिया गया था तथा अब फार्म संबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरे जा रहे हैं।

**व्यापार मेला निकाय बनाने का कार्यक्रम**

*295. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में व्यापार मेला निकाय बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निकाय के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक प्राधिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना है जो कि सभी व्यापार अभिमुख प्रदर्शनियों, जिनमें भारत में होने वाली प्रदर्शनियां भी शामिल हैं, के आयोजन के लिये उत्तरदायी होगा और भारत तथा विदेशों में वाणिज्यिक प्रचार का कार्य भी संभालेगा । ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

**भारतीय झींगा मछलियों (श्रिम्प) के लिए जापान की मांग**

*296. **श्री सी० जनार्दनन :**

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय झींगों मछलियों की जापान में भारी मांग है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय झींगों मछलियों का आयात करने वाले जापानी आयातकर्ता उनकी किस्म और स्तर में सुधार चाहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो झींगों मछलियों को निर्यात सामग्री पर किस्म नियंत्रण लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार का अनुरोध हाल ही में सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

(ग) समुद्री उत्पाद, जिसमें झींगा मछलियां भी हैं, मार्च 1965 से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आते हैं ।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया को हिसार शाखा के कार्यकरण के बारे में शिकायत**

*297. **श्री झारखंडे राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया , नई दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की हिसार शाखा के कार्य करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इस शिकायत में स्टेट बैंक आफ इण्डिया कि हिसार शाखा के फील्ड आफिसर के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वह आरोपों के बारे में छानबीन कर रहा है।

**विदेशों में महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापार केन्द्रों का स्थापित किया जाना**

*298. **श्री पुरुषोतम काकोडकर** :

**श्री राम भगत पासवान** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापार केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विदेशों में महत्वपूर्ण स्थानों पर भाण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये भी सरकार को सुझाव दिये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)** : (क) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। भारतीय निर्यातकों को सिंगापुर में भांडागार की सुविधाएं देने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। सिंगापुर पत्तन प्राधिकारियों ने आवश्यक स्थान देने की पेशकश की है

**दुर्लभ जानवरों की खालों का बाहर भेजा जाना रोकना**

*299. **श्री सरजू पांडे** :

**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ जानवरों की खालों के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय किय है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां। दुर्लभ जानवरों की खालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

**भांड्प, बंबई में 'अनिल बोर्डस्' को अग्रिम धन देने में कथित अनियमितताएं**

*300. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बम्बई डिवीजन में 'अनिल बोड्स' को 10 लाख रुपये अग्रिम धन के रूप में देने के मामले में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमित वित्तीय लेन-देन के मामलों में किन-किन अधिकारियों का हाथ है; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) अनिल हार्ड बोर्डस लिमिटेड को स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोई अग्रिम नहीं दिये गये हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

**पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाना**

*301. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा कांग्रेस ने सरकार से पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि 15 से 18 अक्तूबर, 1973 तक बंगलौर में हुई भारतीय पशु चिकित्सा कांग्रेस ने सरकार से यह सिफारिश की है कि सरकार को उन सभी चीजों के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए जो पशुओं के चारे का अंग होती हैं। तथापि, कांग्रेस की कार्यवाही अभी तक सरकार को नहीं भेजी गई है।

**Distribution of Yarn to Weavers on Cheaper Rates**

**2792. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether he is aware that Madhya Pradesh Government has made special arrangements for the supply of adequate quantity for yarn on possible cheaper rates and for giving correct counts thereof to those weavers who have been experiencing difficulty in doing their work due to their having unable to make correct count of yarn on reasonable price;

(b) if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the present system of procurement and distribution of yarn ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) :** (a) No, Sir.

(b) & (c) The allocations of cotton yarn are made in bulk by the Textile Commissioner to the State Governments under the Yarn Control Scheme. The responsibility for further distribution of cotton yarn among the weavers has been entrusted to the State Governments.

**विदेशों से अखबारी कागज**

2793. **श्री कुशोक वाकुला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटग्रस्त भारतीय अखबारी कागज उद्योग के सामने एक नया संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि विदेशी सप्लाई-कर्त्ताओं की ओर से कम मात्रा में भी अखबारी कागज की सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1973-74 के लिए विदेशों से कितने अखबारी कागज का ठेका किया गया था तथा इन देशों के नाम क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां, । कनाडा में पेपर मिलों तथा रेल सड़कों की हड़ताल, स्कैंडेनेविया से जहाज में जगह मिलने में कठिनाइयों तथा बंगलादेश में कम उत्पादन के कारण अखबारी कागज की सप्लाई संविदा की गई मात्रा से कम रही है।

(ख) वर्ष 1973-74 के लिए अब तक संविदा की गई कुल मात्रा 1,48,700 मी० टन है जिसका ब्यौरा निम्नोक्त है :—

| | |
|---|---|
| (1) कनाडा . . | 64,000 मी० टन |
| (2) स्कैंडेनेवियन देश | 18,000 मी० टन |
| (3) पोलैंड | 1,000 मी० टन |
| (4) चेकोस्लोवाकिया | 5,700 मी० टन |
| (5) सोवियत संघ | 50,000 मी० टन |
| (6) बंगलादेश . . . . . | 10,000 मी० टन |

**Payment of Hotel Bills in Foreign Exchange in Delhi**

2794. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of bills paid in foreign exchange in Government hotels in Delhi by foreign tourists during the last one year; and

(b) the additional facilities being provided to the persons who pay their hotel bills in foreign exchange ?

**The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi)** : (a) the amount of bills paid in foreign exchange in Government hotels in Delhi operated by ITDC during the last one year (1-11-1972 to 31-10-1973) was as follows :

| | |
|---|---|
| Ashoka Hotel | Rs. 80.60 lakhs. |
| Akbar Hotel | Rs. 22.28 lakhs. |
| Janpath Hotel | Rs. 16.20 lakhs. |
| Ranjit Hotel | Rs. 8.36 lakhs. |
| Lodhi Hotel | Rs. 7.78 lakhs. |

(b) to facilitate the settlement of hotel bills in foreign exchange, hotels have been liberally granted money changers' licences. Hotels have been called upon to accept payments from foreign tourists only in foreign exchange. No other facility is provided to persons paying their hotel bills in foreign exchange.

**Total number of Tourists who came from abroad during the last six months**

2795. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of tourists who came from abroad during the last six months;

(b) the name of the country from where maximum tourists came to visit India; and

(c) the name of region or place which is liked most by foreign tourists and the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt. Sarojini Mahishi)** : (a) 177,643 tourists came from abroad during the six months period April September 1973.

(b) United States of America.

(c) According to the half-yearly Report of Foreign Tourist Survey (1972-73), the maximum number of tourists (66.2 per cent) visited Delhi, because it is the Capital city and the gateway to Agra, Jaipur, Srinagar and other well-known tourist attractions.

**जस्ते की भस्म (जिंक ऐश) का निर्यात**

2796. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जस्ते की भस्म के निर्यात को बन्द करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जिंक ऐश के निर्यात पर रोक लगाने के लिए प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Public Sector Undertakings in Madhya Pradesh in Fifth Plan**

2797. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have suggested that Central Undertakings should be set up in the State during the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the broad outlines of the suggestions given by the Government of Madhya Pradesh in this respect; and

(c) the decision taken thereon ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan)** : (a) to (c) The Fifth Five Year Plan is yet to be finalised. Any proposal, received from the Madhya Pradesh Government for the location of Central Government enterprises in the State during the next Plan period, will be given due consideration.

**विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता**

2798. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी पर्यटकों के लिए 'फाइव स्टार' होटल बनाने हेतु भारी पूंजी-निवेश कर रही है परन्तु आन्तरिक पर्यटकों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करने पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम व्यय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस केन्द्रीय सहायता का काफी अंश अननुपातिक रूप से दिल्ली को मिलता है जबकि राजस्थान में पर्यटन हित के बहुत से स्थान उपेक्षित रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यवार दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इस असंतुलन के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा० श्रीमती) सरोजिनी महिषी :** (क) और (ख) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आंवांस की व्यवस्था करने पर चौथी योजनावधि लगभग 1092 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से ऐसी होटल प्रायोजनाओं पर केवल 395 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे जो कि 5-स्टार श्रेणी के वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त होंगी। वे प्रायोजनायें ये हैं :—

| होटल का नाम | कमरों की संख्या | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में) |
| 1. होटल अशोक, बंगलौर | 91 | 195 |
| 2. उपरोक्त होटल का विस्तार | 100 | 100 |
| 3. अकबर होटल, नई दिल्ली (नई दिल्ली नगर पालिका से पट्टे पर) | 163 | 85 |
| 4. कुतुब होटल, नई दिल्ली (जो पहले यू०एम० एड कामप्लेक्स था) | 48 | 15 |

(ग) और (घ) अब तक पर्यटन विभाग द्वारा परिचालित की गई होटल विकास ऋण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों की होटल प्रायोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिन में दिल्ली राज्य की कोई परियोजना नहीं आती :—

| राज्य का नाम | प्रायोजना की संख्या | कमरों की संख्या | अनुमोदित ऋण की राशि | बांटे गये ऋण की राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | (लाख रुपयों में) | |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 | 68 | 15.00 | 15.00 |
| जम्मू कश्मीर | 1 | 93 | 36.00 | 36.00 |
| महाराष्ट्र | 4 | 457 | 281.59 | 281.54 |
| कर्नाटक | 1 | 100 | 25.00 | 18.00 |
| राजस्थान | 1 | 120 | 60.00 | 60.00 |
| तामिलनाडु | 1 | 165 | 75.00 | 30.00 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 100 | 63.00 | 63.00 |
| पश्चिमी बंगाल | 3 | 293 | 60.00 | 52.00 |
| योग | 14 | 1.396 | 615.59 | 555.54 |

**जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के नगर प्रति-पूर्ति भत्ते की दर का पुनरीक्षण**

2799. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मिट्टी का तेल, दूध और पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का निर्धारित किन बातों पर निर्भर है और क्या उपरोक्त मूल्य वृद्धि का उस पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या इस भत्ते की दर का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) संगत महीनों के समग्र सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा संकलित किये जाने पर ही ठीक स्थिति का पता लगेगा। इस प्रयोग का परिणाम अभी आना बाकी है।

(ख) जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि के संदर्भ में मंहगाई भत्ता समय-समय पर संशोधित किया जाता है। परन्तु, नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता, तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत नियत दरों पर मंजूर किया जाता है।

**कुतुब मीनार, दिल्ली के निकट सरकारी "फाइव स्टार" होटल स्थापित किया जाना**

2800. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पर्यटन नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार, दिल्ली के निकट एक सरकारी "फाइव स्टार" होटल स्थापित किया गया है और यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या दिल्ली में वर्तमान "फाइव स्टार" होटलों में वर्ष के किसी भाग में भी सारे कमरे किराये पर नहीं लगते और वे गत तीन वर्षों से हानि उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो जब अन्य होटलों की वर्तमान क्षमता अप्रयुक्त रहती है तो एक अन्य होटल स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) महरौली के निकट यू० एस० ए० आई० डी० बिल्डिगों के आवासीय भागों को भारत पर्यटन विकास निगम ने "कुतुब होटल" के नाम से एक होटल चलाने के लिये अपने अधिकार में ले लिया था। सरकार से इसे भारत पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने संबंधी शर्तें विचाराधीन हैं। संधारण, नवीनकरण, तबदीली एवं परिवर्धनों को कतिपय आवश्यक मदों को सम्पन्न करने पर होने वाले व्यय का अनुमान 15 लाख रुपये लगाया गया है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली में पांच-स्टार वाले दो होटल हैं--अशोक होटल तथा अकबर होटल । अक्तूबर से मार्च तक की अवधि के दौरान, जो कि पर्यटन का व्यस्ततम मौसम है, इन दो होटलों की लाग (आक्यूपेंसी) का औसत 90% था। अशोक होटल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाया है तथा अकबर होटल ने भी, जो कि 27 जनवरी, 1972 को चालू किया गया था, 1972-73 के दौरान लाभ कमाया है।

(ग) दिल्ली में इस समय लगभग 2500 अनुमोदित होटल कमरे हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि पर्यटन तथा अन्य मांगों की पूर्ति करने के लिये 1975 में 5,000 से अधिक होटल कमरों की आवश्यकता होगी।

**Loans given by State Bank of India to Different Firms in East Nimar District (M. P.)**

2801. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of loans given to the different categories of firms in East Nimar District, Madhya Pradesh by the State Bank of India from 1969-70 to 1971-72 in respect of which suits for recovery of advance have been filed in the courts indicating the amount involved therein; and

(b) the names of the firms concerned ?

**The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) :** (a) & (b) Out of the loans given to different categories of firms in East Nimar District, Madhya Pradesh by the State Bank of India from 1969-70 to 1971-72, there is only one loan-given to M/s. Anoop Medical Stores, Burhanpur for the recovery of which a suit has been filed in the court. The amount involved is Rs. 11,766.35.

**Advancing of Loans by Nationalised Banks to Unemployed Graduates in Madhya Pradesh**

2802. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of unemployed Graduates who were advanced loans by the Nationalised Banks in Madhya Pradesh to start their business during the last three years; and

(b) the amount of loan advanced to them, District-wise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :** (a) & (b) Statistics currently maintained by the banking industry do not give separate information for such a detailed category as 'unemployed graduates'. Advances given to persons in this category would figure under such broad groups as 'small scale industries', 'small business', and 'professional and self-employed persons'. The available information relating to advances granted by nationalised banks to borrowers in these three groups for the whole of Madhya Pradesh is set out below.

Outst anding advances of scheduled commercial banks to borrowers in such categories as small-scale industries, small businesses, and professional and self-employed persons in Madhya Pradesh.

| As on the last Friday of | (Rs. crores) No. of Accounts Units | Amount outstanding |
|---|---|---|
| March, 1972 . . . . . | 6,482 | 8.52 |
| March, 1973* . . . . . | 5,493 | 9.87 |

*Provisional

**मंडी विकास निधि में से निर्यातकर्त्ताओं को सहायता**

2803. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मंडी विकास निधि में से निर्यातकर्त्ताओं को किन सामान्य शर्तों पर सहायता देती है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, निर्यातकताओं को इस निधि में से कितनी सहायता दी गई; और

(ग) चालू वर्ष में इस निधि में कुल कितनी राशि उपलब्ध होगी और अब तक कितनी प्रतिशत राशि का उपभोग किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज)** : (क) भारत सरकार के संकल्प सं० 10(1) 1/63-ई. पी. (कोआर्ड) / 1 दिनांक 5 जुलाई, 1963 में उल्लिखित अनुसार विपणन विकास निधि का उपयोग भारतीय उत्पादों और वस्तुओं के लिये विदेशों में बाजारों के विकास हेतु स्कीमों तथा परियोजनाओं पर, विशेषत: विवरण में उल्लिखित परियोजनाओं व स्कीमों के सन्दर्भ में ,किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये किया जाता है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान विकास निर्यातों के विकास हेतु निर्यात संगठनों को दिये गये सहायता अनुदानों सहित विपणन विकास निधि से हुआ कुल व्यय निम्नलिखित था :

(लाख रु० में)

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1970-71 | 40,65.34 |
| 1971-72 | 53,73.12 |
| 1972-73 . . . . . | 62,24.04 |

(ग) 1973-74 के दौरान विपणन विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध कुल राशि 66,77.00 लाख रु० हैं, जिसमें से सितम्बर, 1973 तक 29,16.53 लाख रु० की राशि का उपयोग किया जा चुका है जो 43.88 प्रतिशत बनती है।

**विवरण**

(क) बाजार गवेषणा, वस्तु गवेषणा, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा गवेषणा कार्यक्रम;

(ख) निर्यात प्रचार तथा जानकारी प्रसार;

(ग) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(घ) व्यापार प्रतिनिधि मण्डल तथा अध्ययन दल;

(ङ) विदेशों में कार्यालयों तथा शाखाओं का स्थापित किया जाना;

(च) निर्यात के विकास तथा विदेश व्यापार के संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान;

(छ) क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण;

(ज) परिवहन सहायता सहित निर्यात योग्य वस्तुओं के लिये निर्यात सहायता;

(झ) निर्यात जोखिम बीमा;

(ञ) अन्य कोई स्कीम जो सामान्य रूप से भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के लिये विदेशों में बाजारों के विकास संवर्धन से संबंधित समझी जाती हो; और

(ट) विदेशी ऋणों के आधार पर की गई स्थानिक विक्रियों, जिन से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, पर निर्यात सहायता के लिये।

**पूर्वी अफ्रीका से काजू की गिरी का आयात**

2804. **श्री डी० बी० चन्नगौडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका से काजू की 30,000 टन गिरी लगभग 125 पौंड प्रति टन की दर से आयात करने के लिये करार किया गया है जब कि उस देश ने फरवरी में इतनी ही मात्रा में 97 पौंड से 107 पौंड की दर से देने की पेशकश की थी;

(ख) क्या वह पेशकश भारतीय काजू निगम लिमिटेड ने स्वीकार नहीं की थी और इस विलम्ब के परिणामस्वरूप काजू के निर्यातकर्ताओं को अधिक मूल्य अदा करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण कितनी हानि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) स (ग) 34,586 मी० टन माल खरीदने के लिये एक संविदा पुर्तगाली पूर्व अफ्रीकी आयोग के साथ जून० 1973 में की गई थी जिसमें कोचीन तक लागत बीमा तथा भाड़ा सहित निबल लागत लगभग 119 पौंड थी। उससे पहिले अस्पष्ट प्रकार के कुछ प्रस्ताव भारतीय काजू निगम के पास भेजे गये थे परन्तु संगत ब्यौरे नहीं बताये गए थे। जो अस्थायी कीमतें बताई गई थीं वे भी उस समय चल रही कीमतों से बहुत ऊंची थी। अधिक कीमतों और हानि का प्रश्न नहीं उठता।

**बम्बई में माल के लादने-उतारने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि**

2805. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को बम्बई में माल के स्थानीय जमाव और लदाने-उतारने में विलम्ब के कारण विदेशी-मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) चालू वर्ष के दौरान बम्बई पतन में कुछ जमाव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात माल के लदानों में विलम्ब हुआ है और विलम्ब शुल्क अथवा अवरोधन प्रभार देने की संभावना बनी है।

(ख) यह खाद्यान्नों के पर्याप्त मात्रा में आयात तथा समय-समय पर जहाजों के एकत्र हो जाने और अक्तूबर, 1973 में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण है। माल उतारने की मशीनें लगा-कर और जहाजों को अन्य पतनों को संभव दिशा परिवर्तन करके जमाव को उतरोत्तर कम किया जा रहा है और बम्बई में तीसरी पारी के कार्यकरण को पुनः चालू करने के लिये आल-इंडिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स् फैडरेशन के साथ एक समझौता किया गया है।

**भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों को 'आगे आदेशों तक' वाली वेतन स्लिपें जारी करना**

2806. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4132 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/सम्बद्ध कार्यालयों में स्थायी पदों पर कार्य कर रहे भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड-i के अधिकारियों को महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व द्वारा अक्तूबर, 1973 के बाद 'आगे आदेशों तक' वाली वेतन-स्लिपें जारी नहीं की गई, जिनसे उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या उपरोक्त उत्तर के भाग (ग) में उल्लखित अधिकारियों के मामले में 'आगे आदेशों तक' भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड-iv में नियुक्ति के लिये अधिसूचित नहीं किया गया है जिससे उनकी वेतन स्लिपें 31 अक्तूबर, 1973 के बाद जारी नहीं की गईं;

(ग) भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड-iv में की गई सभी तदर्थ नियुक्तियों के लिये वेतन-स्लिपें जारी करने के समान प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-iv के जिन अधिकारियों की नियुक्तियां 'अगला आदेश होने तक' के रूप में अधिसूचित की गई हैं और जो भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/सम्बद्ध कार्यालयों में स्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं और महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा उन अधिकारियों के बारे में वेतन पर्चियां अवधि संबंधी बिना किसी प्रतिबन्ध के जारी की गई थीं।

(ख) प्रश्नाधीन दोनों अधिकारियों के मामले में महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा, उनकी नियुक्ति से संबंधित संशोधित अधिसूचना प्राप्त होने तक, जिसमें उनकी नियुक्ति को 'अगला आदेश होने तक' किया गया हो, 1 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक की अवधि के लिये अनन्तिम वेतन पर्चियां जारी की गई थीं। अब इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति को 'अगला आदेश होने तक' अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-iv में तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों के लिये, यदि उनकी नियुक्तियों को 'अगला आदेश होने तक' के लिये अधिसूचित किया गया हो, तो उनकी वेतन पर्चियां जारी करने में महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा एक सी कार्यविधि अपनायी गयी है।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

**भारतीय रूई निगम द्वारा आयात की गई मिस्री रूई**

2807. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम ने तीन लाख गांठें मिसी रूई और एक लाख गांठें सूडानी रूई के आयात के कार्यक्रम की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों देशों ने अप्रैल, 1974 के अन्त तक कुछ प्रतिबन्ध लगा रखें हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं। परन्तु वस्त्र आयुक्त ने इस प्रकार की व्यापार योजना में की गई रूई की व्यवस्था का संकेत दिया था।

(ख) तथा (ग) इन दोनों देशों द्वारा इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं क्योंकि विश्वव्यापी निलामियों द्वारा रूई बेचते हैं ।

**Loans and Advances received by Maruti Limited**

**2808. Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the broad outlines of loans with and without interest, advances and other small and big amounts received by Maruti Ltd.;

(b) whether the Company has violated any rules in this regard;and

(c) if so, the facts of the matter and the action taken in this regard ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan):** (a) to (c) As per the audited balance sheet of the copany as on the 31st March, 1973, the Company has raised the following resources for its project :—

| | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|
| 1. | (i) Share Capital . . . | | 107,43,600 |
| | (ii) Share Application Money . | | 21,03,000 |
| 2. | (i) Secured Loans from Banks | | 61,517 |
| | (ii) Unsecured Loans : | | |
| | (a) Interest bearing . . . . . | 5,39,500 | |
| | (b) Non-interest bearing . . . | 1,00,000 | 6,39,500 |
| 3. | Dealership Deposits . | | 164,10,900 |

As far as Government are aware, the company does not appear to have violated any rules in regard to the raising of its finances for its project.

**पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरकों का उपलब्ध न होना**

2809. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पूर्व यूरोपीय देशों ने सरकार को सूचित किया है कि वे लगभग 1.5 लाख टन उर्वरकों की सप्लाई के ठेके को कार्यरूप नहीं देंगे;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या ठेकों को कार्यरूप न दिये जाने के कारण मूल्यों में कुछ उतार-चढ़ाव है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उर्वरकों सप्लाई न करने वाले देशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (घ) समुद्री भाड़ा दरों में असाधारण वृद्धि के कारण रुमानिया तथा बुल्गारिया से उर्वरकों की सप्लाई में कुछ समस्या रही है। इस बीच समस्या का समाधान हो गया है।

**विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों को अणु-परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देना**

2810. **श्री आर० वी ० स्वामीनाथन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विकासशील देशों को अणुपरियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत भारत को लाभ पहुंचने की आशा है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य, विश्व बैंक द्वारा, नाभिकीय बिजली परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले वित्त-प्रबन्ध से है । बैंक ने अभी तक किसी नाभीकीय बिजली परियोजना का वित्त प्रबन्ध नहीं किया है । किन्तु, वह नाभिकीय बिजली संयंत्रों के लिए वित्त प्रबन्ध करने की गुंजाइश की जांच कर रहा है ।

(ख) यह बात, बैंक द्वारा की जा रही जांच, नाभिकीय बिजली विकास सम्बन्धी हमारी अपनी आयोजनाओं तथा विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकता पर निर्भर होगी ।

**प्रत्येक व्यक्ति के वेतन और अन्य आय तथा व्यय की अधिकतम सीमा**

2811. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

**श्री रानेन सेन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति के वेतन और अन्य आय तथा व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में एक लेख तैयार किया है जो योजना आयोग के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973**

2812. श्री **ई०वी० विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को लागू करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों और आवश्यक नियमों को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को कब लागू किया जायेगा ;

(ग) क्या जनता ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए यह पूछा है कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 30 के अनुसार भारत में पहले से ही रोजगार पर लगे हुए विदेशी राष्ट्रिकों को रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के विभिन्न उपबन्धों के प्रशासन के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्तों और नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) यह अधिनियम पहली जनवरी 1974, से लागू होगा ।

(ग) और (घ) यद्यपि जनता ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है तो भी धारा 30 पिछली तारीख से लागू होगी तथा उन विदेशी राष्ट्रिकों को भी, जो पहले से ही भारत में नियोजित हैं और स प्रकार के रोजगार से भारत में प्राप्त हुई राशि को विदेश भेजना चाहेंगे, रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी ।

## रूई के वसूली मूल्य का निर्धारण

2813. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से फसल से पूर्व ही रुई के वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) क्या भारतीय रुई निगम ने अमृतसर जिले सहित रुई के खरीद केन्द्र बनाये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत रुई के लिए वसूली कीमतें निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है । कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

(ग) भारतीय रुई निगम, पंजाब राज्य के निम्नलिखित केन्द्रों पर कपास खरीद रहा है:

1. अबोहर 2. भटिंडा 3. भुछलू 4. फरीदकोट 5. फाजिलका 6. गिद्दड़बाहा 7. गोनियाना 8. जैतू 9. कोटकपूरा 10. मैलोट 11. मउर 12. मुक्तसर 13. पट्टी 14. रमान 15. रामपुरफुल ।

## तूफान की सूचना देने वाले राडारों का निर्माण करने का प्रस्ताव

2815. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूफान की सूचना देने वाले राडारों का स्वदेश में ही निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन राडारों को कहां पर लगाया जायेगा और कब लगाया जायेगा ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी)** : मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिड, बंगलौर, ने भारत मौसमविज्ञान विभाग के उपयोग के लिए देश में ही साइक्लोन चेतावनी राडार निर्माण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) इस प्रायोजना के अंतर्गत चार साइक्लोन चेतावन राडारों का विकास एवं निर्माण किया जाएगा जिसके कुछ उपकरण और जांच-उपस्कर आयातित होंगे । कुल लागत 102 लाख रुपये होगी ।

(ग) राडार 1974 से 1976 की अवधि के दौरान वितरित किये जायेंगे । इन्हें पश्चिमी घाट पर बम्बई और गोआ में तथा पूर्वी घाट पर कराइकल और मसूलीपत्तनम् पर स्थापित किया जायेगा ।

**जूट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा त्रिपुरा में जूट की खरीद**

2816. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ने इस वर्ष त्रिपुरा में जूट खरीदा है अथवा खरीदने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** भारतीय पटसन निगम चालू मौसम के दौरान त्रिपुरा में कच्चे पटसन की खरीद करता रहा है ।

**राज्य व्यापार निगम में वर्जित लाभ में गिरावट**

2817. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1971–72 में अर्जित लाभ 14.2 करोड़ रु० से गिर कर वर्ष 1972–73 में 11.7 करोड़ रु० रह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित निबल लाभ 1971-72 में 14.2 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 1972-73 में 11.4 करोड़ रु० रह गया ।

(ख) लाभों में गिरावट के कारण ये हैं : राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विभिन्न कच्चे माल पर लाभ के मार्जिन में कमी, राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि का कुछ भाग, स्वयं वहन करने का प्रयास तथा जहां काफी लाभ नहीं है वहां भी निर्यात पर अधिक जोर देना ।

**इंस्टीट्यूट आफ जूट टेक्नालोजी का कुप्रबंध**

2818. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन जूट मिल्ज एसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा नियंत्रित इंस्टीट्यूज आफ जूट टेक्नालोजी के निरन्तर कुप्रबन्ध के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जूट उद्योग और इसके प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण तथा संस्थान के कर्मचारियों के हित में इस संस्थान को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) संस्थान के कुप्रबन्ध के बारे सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पृथक वाणिज्य मंडल**

2819. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों के हित में, सरकारी क्षेत्र के लिये एक पृथक वाणिज्य मंडल बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । लेकिन सरकारी उद्यमों के कुछ मुख्य कर्मचारी प्राधिकारियों ने सितम्बर, 1970 में "न्यू होराइजन" के नाम से नई दिल्ली में एक केन्द्रीय सूचना कक्ष स्थापित करने का निर्णय किया था। हाल में इस संगठन का नाम बदल कर सरकारी उद्यमों का स्थायी सम्मेलन कर दिया गया था । स्थायी सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्र के आर्थिक विकास में सरकारी उद्यमों के अलग-अलग और इकट्ठे अंशदान के प्रति जनता में अधिक सद्भाव उत्पन्न करना ।

(2) विचारों और अनुभवों के आपसी आदान-प्रदान के लिए और समान हितों के मामलों पर इकट्ठे विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध करना ।

(3) व्यावसायिक सक्षमता को प्रोत्साहन देना और व्यावसायिक सूचना उपलब्ध करना ; और

(4) सरकारी क्षेत्र की समस्याओं पर अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ करना या उनका समर्थन करना।

**भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण**

2820. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण संतोषजनक है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम उसके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के स्वरूप और उनकी जटिलताओं को देखते हुए, अप्रेल, 1971 से, अर्थात् जब से उसकी स्थापना हुई है, लगातार और संतोषजनक प्रगति कर रहा है। इसके कार्य की इसके निदेशकों के बोर्ड द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है, ताकि बीमार/बंद एककों को पुनजीवित करने के लिए इसकी उपयोगिता में सुधार किया जा सके। सरकार भी इसकी प्रगति पर नजर रखती है।

31 अक्तूबर, 1973 तक निगम ने 68 औद्योगिक एककों के लिए गारंटियों सहित, 1373.58 लाख रुपये की पुर्नर्निर्माण संबंधी सहायता स्वीकार की है। इन एककों में 49.133 श्रमिक कार्य करते हैं।

बीमार/बंद एककों को वित्तीय सहायता देने के अलावा, निगम उन एककों के, जिन्हें सहायता प्रदान की जाती है, प्रबंध, प्रशासन और तकनीकी, वित्तीय और विपनण ढांचों को पुनर्जीवित करने में भी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, ताकि उन्हें शीघ्र पुनर्जीवित करने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जा

सके। निगम के अनुसार, सहायता प्राप्त 23 एककों ने अपने पुनर्जीवीकरण के मार्ग में सराहनीय प्रगति की है।

**भारत में पुराने और अलाभप्रद काफी बागान**

2821. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन काफी बागानों की कुल संख्या कितनी–कितनी है जो छोटे उत्पादक क्षेत्र में तथा बड़े उत्पादक क्षेत्र से आते हैं और ये आर्थिक दृष्टि से कितने संयम तक लाभप्रद रहते हैं और ये कितने हेक्टेयर की भूमि वाले पुराने हो गये हैं और लाभप्रद हो गये हैं।

(ख) क्या नये पौदे लगाने के लिये ऋण देने की कोई योजना चालू है जिससे काफी उत्पादकों को सहायता मिल सके और वह नियमित रूप से पुराने तथा अलाभप्रद पौधों के स्थान पर अधिक उपज देने वाले तथा रोग के न पकड़ने वाले पौधे लगा सकें। जिससे उत्पादन बढ़ सके। और विदेशी मुद्रा की आय भी बढ़ सके तथा ऐसे ऋणों की मांग को पूरा करने में काफी बोर्ड कहां तक सफल हुआ है ;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक और कृषि पुनर्वित निगम उत्पादकों को नये पौदों के लगाने के खर्च में यदि कोई सहायता कर रहे हैं तो कहां तक सहायता कर रहे हैं ;

(घ) क्या उत्पादकों को राज-सहायता दी जा रही है और चाय बागानों के उत्पादकों को चाय बोर्ड द्वारा दी जाने वाली राज-सहायता की तुलना में, जोत भूमि के आकार को न देखते हुए, ये दरें कैसी हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उन्हें राज्य कृषि आय कर निर्धारण प्रयोजनों के लिए पौधों पर ह्रास छूट देना संभव हो सकेगा जैसा कि रबड़ के मूल्य ढांचे के मामले में व्यवस्था की गई है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) 31-3-1972 तक भारत में पंजीकृत काफी बागानों की कुल संख्या 43,257 थी जिनमें 42,220 छोटे (जो 50 एकड़ से अधिक नहीं हैं) तथा 1037 बड़े बागान थे। काफी बागानों में 40 से 50 वर्ष तक लाभ होता रहता है। 1964 में लगाये गये अनुमानों के अनुसार लगभग 48,550 हैक्टार काफी बागान पुराने मृत प्रायः पौदों के कारण अलाभकर हो गये।

(ख) काफी बोर्ड उन उपजकर्ताओं को नियमित पुनर्रोपण कार्यक्रम आरम्भ करने में सहायता देने के लिए एक पुनर्रोपण ऋण योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1973-74 से 3,000 रु० प्रति एकड़ ऋण दिया जाता है जिसका 25 प्रतिशत छोटे उपजकर्ताओं को उपदान के रूप में दिया जाता है। इससे पहले समस्त सहायता केवल ऋण के रूप में दी जाती थी। बोर्ड की यह योजना $5\frac{1}{2}$ वर्ष से चल रही है। इस योजना की प्रगति निम्नोक्त प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| (1) स्वीकृत ऋण . | 93 | लाख रु० |
| (2) स्वीकृत उपदान . . . | 4.52 | लाख रु० |
| (3) जिस क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया . | 14.07 | हैक्टार |

(ग) 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना के पश्चात्, निगम के वित्तीय समर्थन से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक काफी उपजकर्ताओं को पुनर्रोपण सहित विकास के लिये दीर्घावधि ऋण दे रहे हैं। बैंकों द्वारा पुनर्रोपण के लिये दिये गये ऋणों की मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) काफी बोर्ड छोटे उपजकर्ताओं को 5560 रु० प्रति हैक्टार ऋण सहायता के साथ-साथ 1853 रु० प्रति हैक्टार का उपदान देता है। जिससे कुल वित्तीय सहायता 7413 रु० प्रति हैक्टार हो जाती है। चाय बोर्ड पुनर्रोपण के लिए ऋण के रूप में अथवा उपदान के रूप में निम्नलिखित दरों से सहायता देता है;

| | |
|---|---|
| (1) साइज का विचार किये बिना चाय बागानों को ऋण। | मैदानों में स्थित बागानों को 11,250 रु० प्रति हैक्टार। |
| | पहाड़ियों में स्थित बागानों को 13,750 रु० प्रति हैक्टार। |
| (2) साइज का विचार किये बिना चाय बागानों को उपदान | मैदानों में स्थित बागानों को 4,000 रु० प्रति हैक्टार। |
| | पहाड़ियों में स्थित बागानों को 5,000 रु० प्रति हैक्टार। |

काफी के बड़े उपजकर्ता चाय की तरह उपदान के पात्र नहीं हैं।

(ङ) राज्य कृषि आय कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिये खड़े पौदों पर ह्रास छूट देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आता।

**तमिलनाडु में कपड़ा मिलें**

2824. **श्री था किरुतिनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और अन्य राज्यों में अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन सहित कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं ;

(ख) तमिलनाडु और अन्य राज्यों में कुल कितने करघे हैं और सूत की कितनी आवश्यकता है; और

(ग) तमिलनाडु और अन्य राज्यों को कुल कितने सूत का आवंटन किया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संख्या 1 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5863/73]

(ख) तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में हथकरघों तथा प्राधिकृत शक्तिचलित करघों की कुल संख्या संलग्न विवरण संख्या 2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5866/73] यह मानते हुए कि समस्त हैंक यार्न हथकरघों को गया है और समस्त कौन यार्न-शक्तिचालक करघों को गया है, 1972 के दौरान प्रति मास प्रति हथकरघा तक प्रति शक्तिचालित करघा सूत की औसत प्राप्यता क्रमशः 7.92 किग्रा० तथा 56 किग्रा० थी।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संख्या 3 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5866/73]

**लौह अयस्क के बारे में जापान के साथ करार**

2825. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जापान का दौरा किया है ;

(ख) क्या लौह अयस्क के मूल्य के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर, 1973 के उत्तरार्ध में जापान का दौरा किया था ।

(ग) जापानी खरीदार, पहले किये गए निर्यातों पर तदर्थ भुगतान के अलावा वैलाडिला लौह अयस्क, रेडी फाइनेंस की कीमतों में एक वृद्धि के लिए सहमत हो गए हैं।

**राज्य व्यापार निगम में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की पद्धति को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव**

2826. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

**श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की पद्धति को समाप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में इस तरह का परिवर्तन कहां तक सहायक होगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने एक वर्ष के लिए अपना निष्पादन बजट तैयार करने की अपनी वर्तमान प्रक्रिया की बजाय तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने आयात/निर्यात व्यवसाय को दर्शाने वाली एक सतत योजना (रोल-आन-प्लान) तैयार की है।

(ख) तथा (ग) ऐसी दीर्घकालिक व्यवस्था के फलस्वरूप संभावना है कि अधिक प्रतियोगी कीमतों पर खरीदा गया कच्चा माल निरंतर उपलब्ध होता रहेगा और निर्यातों की बेहतर योजना बन सकेगी। यह बताना कठिन है कि ऐसी नीति से कितने लाभ होंगे।

**लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि**

2827. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

**श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और जिन देशों को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, उनके नाम क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां। 1972-73 में 109.79 करोड़ रु० मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात किया गया था जबकि 1971-72 में 104.70 करोड़ रु० का हुआ था। निर्यात मुख्यत : जापान, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया और पोलैंड को दिये गए।

**लौह अयस्क निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम की योजना**

2828. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में इस्पात की मंदी को देखते हुए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम की व्यापक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क के निर्यात के लिये प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आशा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने ताइवान, कोरिया तथा पश्चिम यूरोप में नए बाजारों में प्रवेश करने के अतिरिक्त जापान तथा पूर्व यूरोपीय देशों के परम्परागत बाजारों की निर्यात सुदृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपने लौह अयस्क के निर्यातों की 90 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 1974-75 तक 115 करोड़ रुपये तथा 1975-76 तक 135 करोड़ रुपये करने की आशा करता है।

**तमिलनाडु के शिवकाशी में जाली करेंसी नोटों को छापने के संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति**

2829. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली करेंसी नोटों की कथित छपाई के लिये तमिलनाडु के शिवकाशी में लिथो प्रेस के मालिक सहित बारह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य की सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**त्रिवेंद्रम में बैंक का कार्य-संचालन**

2830. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम में बैंकों के माध्यम से बैंक का कार्य-संचालन और वित्तीय लेन-देन रुक गया है जैसा कि दिनांक 27 सितम्बर, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रेस' मदुराई में समाचार छपा है ; और

(ख) जनता और राज्य सरकार को हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवारी की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और केरल में बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ में अन्तर्संघीय झगड़ों के कारण त्रिवेंद्रम में 21 बैंकों में से केवल 7 बैंकों के शोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) के कार्य में भाग लेने की सूचना मिली है, जिसका प्रभाव बैंकों द्वारा होने वाले वित्तीय लेनदेनों पर पड़ा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि वह शोधन गृह के कार्य को सामान्य रूप से चलाने की सम्भावनाओं का प्रयास कर रहा है। शोधन गृह के कार्य में गड़बड़ हो जाने के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विचार से रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने घटकों, ऋणकर्ताओं तथा जमाकर्ताओं दोनों को यथासंभव उन के स्थानीय चैकों, ड्राफ्टों आदि को खरीद कर जो कि संग्रह के लिए उनके पास जमा किये जाते हैं अस्थार्या रुप से उनकी सहायता करें। सरकारी विभागों/अच्छी मानक तथा ख्याति प्राप्त कंपनियों द्वारा जमा कराये जाने वाले चैकों तथा स्थानीय बैंकों के नाम डिमांड ड्राफ्टों को स्वीकार करने पर विशेष ध्यान दें।

**बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्या**

2831. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगाल के दुआर और दार्जिलिंग में संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्या की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के विकास तथा निर्यातों के संवर्धन के लिए एक जीवनक्षम तथा दीर्घकालिक नीति तैयार करने के लिए स्थापित टास्क फोर्स ने बन्द पड़े तथा संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्याओं पर विचार कर लिया है और इस विषय पर अपनी सिफारिशें कर दी हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

**वर्ष 1973-74 में विदेशी सहायता**

2832. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को कितनी विदेशी सहायता मिल रही है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता मिलने की संभावना है ;

(ख) लक्ष्य की पूर्ति में कितनी कमी रहेगी और इस कमी की पूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) राज्य योजनाओं के कारण केन्द्रीय सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) आशा है कि चालू वर्ष में 700 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का उपयोग किया जायेगा। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं आयोजना के लिये कितनी बिदेशी सहायता उपलब्ध होगी।

(ख) चौथी आयोजना संबंधी पुस्तिका में 4130 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन अब चौथी आयोजना की अवधि में लगभग 3850 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) चौथी आयोजना में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि 3500 करोड़ रुपया आंकी गयी थी। पांचवीं आयोजना के लिये दी जाने वाली सहायता की राशि तथा प्रणाली अभी तय की जानी है।

**"एयर बस" की लागत, यात्री और भार-वाहन क्षमता**

2833. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

**श्री पी० जी० मावलंकर :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अभी हाल में "एयर बस" ने परीक्षणात्मक उड़ान की थी; और

(ख) यदि हां, तो विमान की लागत-कीमत कितना है और उसकी यात्री तथा भार-वहन क्षमता कितनी है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) मैसर्स एयरबस इन्डस्ट्रीज फ्रांस, द्वारा निर्मित ए-300-बी एयरबस ने नवम्बर, 1973 में भारत का प्रदर्शन उड़ान दौरा किया।

(ख) 1974-75 में वितरित किये जाने वाले एयरक्राफ्ट की लागत, जैसा कि निर्माताओं ने संकेत दिया है, 152.1 लाख अमरीकी डालर है जिसमें सहायक सुविधाएं तथा फालतू पुर्जे सम्मिलित नहीं हैं। इण्डियन एयरलाइंस को आफर किया गया समाकृति वाले एयरक्राफ्ट में यात्रि-धारिता 292 है तथा उसकी कुल आय-भार क्षमता (पे-लोड केपेबिलिटी) लगभग 31 टन की है।

**पश्चिमी जर्मनी के गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं द्वारा पूंजी-विनियोजन**

2834. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

**श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान भारत में पश्चिम जर्मनी के गैर-सरकारी अद्यमकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले पूंजी विनियोजन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) तथा (ख) पिछले छः महीनों के दौरान पश्चिमी जर्मनी से किये गये गैर-सरकारी निवेश के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है । लेकिन सितम्बर 1973 को समाप्त हुये छः महीनों में पश्चिम जर्मनी के गैर-सरकारी निवेश से संबंधित 4 प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गयी थी जबकि मार्च 1973 और मार्च, 1972 को समाप्त हुई छमाही अवधियों में ऐसे एक-एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी।

**बांट और पैमाने पर मित्रा समिति का प्रतिवेदन**

2835. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नियुक्त बाट एवं पैमानों संबंधी मित्रा समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उसके प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मैत्रा समिति के प्रतिवेदन से 100 से अधिक निष्कर्ष निकलते हैं। मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

सदस्यों की जानकारी के लिये प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सुझाव प्राप्त करने के लिये प्रतिवेदन को राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के विभागों, उपभोक्ता समितियों, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थानों, प्रख्यात वैज्ञानिकों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों, व्यापार एवं उद्योग के संगठनों तथा अन्य संबंधों को पचिालित कर दिया गया है। प्रस्थापित विधान पर विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझावों पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

**विवरण**

**मैत्रा समिति के मुख्य निष्कर्ष**

**(क) केन्द्रीय विधान के संबंध में निष्कर्ष :**

(1) जैसा कि तोल तथा माप पर सामान्य कानफ्रेंस तथा वैधानिक माप विद्या के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिन दोनों का भारत सदस्य है, द्वारा सिफारिश की गयी है, इकाइयों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली (एस० आई०) अपनाने के लिये वर्तमान तोल तथा माप मानक अधिनियम, 1956 को एक नये विधान में बदलना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत रूप में तोल तथा माप मानकों को बनाये रखने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था।

(3) केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित मानकों के उल्लंघन के लिए दंड देना तथा कानून को लागू करने के संबंध में उपबंधों को भी दृढ़ करना।

(4) तोल तथा माप में (तोल तथा माप के यंत्रों सहित) तथा तोल से माप से अथवा संख्या से, खुले रूप में अथवा पैक किये गये रूपों में बेची गई डिलिवर की गई अथवा वितरित की गई वस्तुओं में अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य को विनियमित करना।

(5) तोलने तथा मापने के यंत्रों (जैसे कि टैक्सी मीटर, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, ब्लड प्रैशर यंत्र आदि) के माडलों की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोग किये जाने पर वे ठीक कार्य करेंगे, उनके नियमित उत्पादन से पूर्व स्वीकृति देना।

(6) तोल तथा माप में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।

(7) भारत में प्रयोग के लिए गणना की दशमलव प्रणाली को मान्यता देना।

(8) बाटों, मापों तथा पैक की हुई वस्तुओं के निर्यात तथा आयात का विनियमन।

(9) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के मानक ग्रुप का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करके एक राष्ट्रीय माप-विद्या प्रयोगशाला की क्रमबद्ध रूप में स्थापना।

**(ख) मॉडल राज्य विधान के संबंध निष्कर्ष**

(1) जैसाकि ओ०आई०एम०एल० द्वारा सिफारिश की गई है, वाणिज्यिक लेन देन, औद्योगिक उत्पादन तथा जन स्वास्थ्य व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रयुक्त होने वाले अधिनियम को तोल तथा माप पर लागू करना ।

(2) ओ० आई० एम० एल० द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार तोल तथा माप यंत्रों के विनिर्माण मुरम्मत तथा बिक्री को विनियमित करना ।

(3) तोल तथा माप यंत्रों की जांच तथा निरीक्षण, उनको पकड़ना, जब्त करना आदि ।

(4) राज्य के भीतर खुले रूपों में अथवा पैक किये हुए रूपों में वस्तुओं की बिक्री, वितरण अथवा डिलीवरी को विनियमित करना ।

(5) राज्य अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन लिए और अधिक दन्ड देना ।

**(ग) सामान्य निष्कर्ष**

(1) यदि तोल अथवा माप अथवा तोलने या मापने की प्रथा में एक प्रतिशत की भूल हो जाती है तो समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के साथ 320 करोड़ रु० वार्षिक का धोखा हो जायेगा। समुचित रूप से लागू न करने से यह भूल 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और पांच वर्ष की अवधि में 8,000 करोड़ रु० की हानि हो सकती है और कुछ व्यापारियों को उतना ही लाभ हो सकता है।

(2) केवल एक प्रतिशत की भूल से सरकारी राजस्व में 30 करोड़ रु० से अधिक की वार्षिक कमी हो जाएगी तथा 5 वर्षों में 150 करोड़ रु० से भी अधिक की कमी हो जाएगी।

(3) यदि हिस्सों की लंबाई चौड़ाई की शुद्धता समुचित मानक तोल अथवा माप के आधार पर अनुसंशोधित यंत्रों तथा गेजों से माप कर सुनिश्चित की जाय तो औद्योगिक उत्पादों की, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो व्यापक उत्पादन की तकनीक प्रयुक्त करते हैं, क्वालिटी तथा निष्पादन में सुधार होगा।

(4) जन-स्वास्थ्य तथा जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि रोगनिदान के लिए, शोर व रोशनी के नियंत्रण के लिए, तथा पृथ्वी पर हवा व पानी के दूषण के विनियमन के लिए प्रयुक्त होने वाले मापने के यंत्र तोल तथा माप के समुचित मानकों के आधार पर अनुसंशोधित होने चाहिएं।

(5) स्कूलों में प्रयुक्त होने वाले तोल माप के साधन प्रायः सही नहीं होते हैं। शुद्धता तथा अपेक्षाकृत अधिक अच्छ विज्ञान प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के तोल तथा माप यंत्रों को विनिर्माण नियंत्रित होना चाहिए ।

**सिले-सिलाये वस्त्रों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात-कर्त्ताओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिया जाना**

2836. **श्री एच० एम० पटेल :**

**श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाये वस्त्रों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के लिए भारतीय निर्यातकर्ताओं को दी गई नकद प्रोत्साहन राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सिले-सिलाये कपड़ों और हस्तशिल्प की अन्य वस्तुओं पर नकद प्रोत्साहन राशि में काफी कमी कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या प्रोत्साहन-राशि में कमी कर देने से विश्व मंडी में भारतीय निर्यातकर्त्ताओं का माल महंगा जायेगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा की आय में कितनी कमी हो जायेगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) सूती वस्त्रों के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन इंडियन काटन मिल फैडरेशन द्वारा दिये जाते हैं। सहायता की दरें वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू मांग के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती हैं। इस समय समुद्रपार बाजारों में वस्त्रों के लिए जो अधिक ऊंची कीमतें मिल रही हैं उनको देखते हुए ये दरें (सिले-सिलाये वस्त्रों के संबंध में दरों सहित) हाल ही में घटा दी गई थीं। चूंकि फैडरेशन परिधानों के निर्यातों पर दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का अलग से रिकार्ड नहीं रखता है, अतः सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात पर प्रोत्साहनों के वास्तविक वितरण के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक हस्तशिल्प की वस्तुओं का संबंध है, कुछ मामलों में दिसम्बर 72 से विमान भाड़ा उपदान दिया जाता है। और दरें कम नहीं की जाती हैं।

(ग) समुद्र पार बाजारों में वर्तमान तेजी को देखते हुए सिले-सिलाये परिधानों पर नकद प्रोत्साहनों-की दरों में कटौती से विश्व बाजार में हमारे निर्यातकों की प्रतियोगिता करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**राज्यों के करों से प्राप्त राजस्व में कमी**

2837. **श्री प्रभुदास पटेल :**

**श्री मोहम्मद शरीफ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में करों की वसूली की विकास दर में कमी होने से केन्द्रीय सरकार चिंतित है, क्योंकि इससे उनकी संसाधन स्थिति का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है ;

(ख) यदि हां, तो कर प्राप्ति में कमी की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) राज्य की कर प्राप्तियों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

**अपरिष्कृत पटसन व्यापार में मुनाफाखोरी और चोरबाजारी**

2838. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम, जिसने अपरिष्कृत पटसन का व्यापार आरंभ कर दिया है, मुनाफा खोरी और चोरबाजारी की प्रवृत्तियां समाप्त कर सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसे कहां तक सफलता मिली है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जिस हद तक भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के विक्रय के लिए वैकल्पिक साधन बनता है, वहां तक कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि की गुंजाइश कम होती है। सरकार कच्चे पटसन के व्यापार में भारतीय पटसन निगम के रोल को धीरे-धीरे बढ़ाने की योजना बना रही है।

**आयकर से प्राप्त राजस्व में राज्यों का हिस्सा**

2839. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर से प्राप्त राजस्व में से कुछ प्रतिशत राजस्व राज्यों को देने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड (2) के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा आय (कृषि आय से भिन्न) पर लगाए और संग्रह किये जाने वाले करों का कुछ हिस्सा राज्यों को प्रदान किया जाना होता है। 1969-70 से 1973-74 तक के प्रत्येक वर्ष में राज्यों को आय संबंधी करों की शुद्ध संगृहीत राशि में से दिए जाने वाले प्रतिशतांश का निर्धारण 1969 में किया गया था। 1974-75 से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से के प्रतिशतांश का निर्धारण, छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, इस आयोग की रिपोर्ट को संसद् के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

**विश्व बैंक से वित्तीय सहायता**

**2840. श्री मोहम्मद शरीफ :**

**श्री सी० जनार्दनन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने विकास कार्यक्रम के लिये लगातार बैंक की सहायता उपलब्ध करने के लिये भारत सरकार को आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारत सरकार के साथ भारत के विकास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के समर्थन में विश्व बैंक समूह की भूमिका के बारे में सामान्य विचार विमर्श किया था।

**पंजाब नेशनल बैंक, श्रीनगर की अनन्तनाग शाखा में डकैती**

**2841. श्री मोहम्मद शरीफ :**

**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1973 को जम्मू तथा कश्मीर में पंजाब नेशनल बैंक की अनन्तनाग शाखा में कोई डकैती हुई थी;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि 4 नवम्बर, 1973 की रात को उसकी अनन्तनाग शाखा में एक डाका पड़ा और मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की जांच जारी है।

**समुद्री खाद्य-पदार्थ के समग्र संवर्धन सम्बन्धी योजना**

2842. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री खाद्य-पदार्थ के समग्र संवर्धन के लिये एक 26 करोड़ रुपये की योजना की सरकार से मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को चीन ने पांचवीं योजना के दौरान समुद्री खाद्य-पदार्थ के निर्यातों के समग्र संवर्धन के लिये 26.96 करोड़ रु० के व्यय की एक स्कीम प्रस्तुत की है। पांचवीं योजना का दस्तावेज अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने पर ही योजना के अन्तर्गत मंजूर राशि उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत स्कीम के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ माडल मछली प्रौसैसिंग संयंत्र की स्थापना, बाजार तथा उत्पाद गवेषणा और बाजार विकास शामिल हैं।

**चोर बाजारियों द्वारा बैंक के ऋणों का दुरुपयोग**

2843. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बैंक से प्राप्त होने वाले ऋणों का चोर बाजारिये और जमाखोर दुरुपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) संवेदनशील वस्तुओं के लिये दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित कड़े चयनात्मक ऋण लागू होते हैं। इन नियंत्रणों का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी पर रोकथाम लगाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, 16 नवम्बर, 1973 को 1973-74 के कामकाज के मौसम के लिये घोषित ऋण-नीति के संदर्भ में इन नियंत्रणकारी उपायों को और अधिक कड़ा कर दिया है।

**मुद्रा-स्फीति से निपटने के लिए बड़े व्यापार-गृहों के विस्तार पर प्रतिबन्ध**

2844. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा-स्फीति से निपटने के लिये बड़े व्यापार-गृहों के विस्तार पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों में ढील देने के लिये देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) डा० वी० ई० आर० वी० राव और अन्य अर्थ शास्त्रियों ने "मुद्रास्फीति और भारत का आर्थिक संकट" नामक अपने हाल के प्रकाशन में कहा है कि मुद्रास्फीति की चुनौती का सामना करने के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि के अलावा औद्योगिक उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। वे, छोटी/मध्यम कम्पनियों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने और इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन के समूचे ढांचे को इस प्रकार से बदलने के पक्ष में हैं जिससे अन्ततोगत्वा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को दूर किया जा सके और एकाधिकारवादी/अल्पतन्त्रीय उत्पादन को रोका जा सके परन्तु वे यह समझते हैं कि इस में कुछ समय लगेगा। थोड़ी अवधि में उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता के सन्दर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये सुझाव दिये गये हैं कि : —

(i) पूरी तरह एकाधिकार के स्वरूप वाली कम्पनियां, जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हों जिसमें केवल एक उत्पादक ही लाभकारी ढंग से काम कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में होनी चाहियें लेकिन इन्हें उत्तरदायित्व सहित प्रबन्धकीय स्वायत्ता दी जाये।

(ii) अल्पतन्त्रीय कम्पनियों को तब तक उत्पादन में वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिये जब तक कि उत्पादन के वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हों और उन्हें, हर हालत में अपना आकार इष्टतम सीमा तक बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि उपभोक्ता कम लागत और और कम मूल्य वाली वस्तुयें प्राप्त कर सकें। इसके साथ-साथ विशेषकर उपाय ढूंढे जाने चाहियें जिससे उन के विशाल लाभों को सरकारी खजाने में लाया जा सके।

(iii) अल्पतन्त्रीय कम्पनियों को संयुक्त क्षेत्र में लाने के लिये नीति सम्बन्धी निर्णय किया जाना चाहिये ताकि बिक्री और खरीदों के विशेष संदर्भ में और उपभोक्ता हित पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने के लिये जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि की जा सके।

(iv) अल्पतन्त्रीय कम्पनियों को समूह के आधार पर, उन पिछड़े क्षेत्रों में काम करने के लिये, जहां उत्पादन के अनुकूल प्राकृतिक क्षमता है, लाइसेंस दिये जायें।

**अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि**

2845. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अमरीका को भारतीय कपड़े का निर्यात विद्यमान वार्षिक कोटे से बढ़ जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुये कोटा वर्ष के दौरान हमने सूती वस्त्रों के संयुक्त राज्य अमरीका के कोटे को पूरा कर लिया है। अक्तूबर, 1973 से शुरू होने वाले कोटा वर्ष के लिये कोटा स्तरों के बारे में अभी बातचीत

चल रही हैं और इस स्थिति में इस समय निर्धारित किये जाने वाले कोटाओं के सम्बन्ध में निर्यात स्तरों का अभी से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

**पूर्व एशियाई देशों से भारत का व्यापार**

2846. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 1973 में सिंगापुर में बारह पूर्व एशियाई देशों के वाणिज्यिक प्रतिनिधि के साथ बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में क्षेत्र के बारह देशों के साथ भारत के व्यापार पर पुनर्विचार किया गया था;

(ग) पुनर्विचार के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करने का है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) पुनर्विलोकन के दौरान इन देशों के साथ व्यापार के विस्तार में आने वाली समस्याओं का पता लगाया गया और संभव समाधानों पर विचार किया गया। प्रत्येक देश के सम्बन्ध में चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के लिये निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये गये। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत 1973-74 से 1976-77 की अवधि में निर्यातों में प्रतिवर्ष समग्र रूप में 16 प्र० श० औसत वृद्धि दर प्राप्त करने की व्यवस्था है।

(घ वर्मा,) जापान, फिलीपीन, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार प्रबन्ध पहले ही विद्यमान है। पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ इसी प्रकार के प्रबन्ध करने की संभाव्यता और वांछनीयता के बारे में निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। तथापि, ऐसे प्रबंधों का किया जाना पारस्परिक हित पर निर्भर करता है।

**जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग**

2847. **श्री मधु दण्डवते :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा कर्मचारियों ने 20% बोनस की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रबन्धकों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) प्रबन्धकों का कर्मचारियों को कितना बोनस देने का विचार है और इसका क्या आधार है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) जी, हां। वास्तव में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने 25 प्रतिशत बोनस की मांग की है।

(ख) और (ग) इतने ज्यादा बोनस के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांग पर बातचीत चल रही है। लाभों, पिछले वर्ष दी गई राशि, कर्मचारियों की सामान्य परिलब्धियों का स्तर और सरकारी क्षेत्र में तत्तुल्य नियोजकों द्वारा दी गई बोनस की राशि को ध्यान में रखते हुये सकल वेतन का 15 प्रतिशत बोनस के रूप में वर्ष 1972 के लिये (1973 में देय) देने का जो निर्णय विविध बीमा निगम ने किया है कि वह उसकी दृष्टि में उचित और न्यायसंगत है।

**अकबर होटल के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अदायगी करना**

2848. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल के कर्मचारियों को अभी अन्तरिम सहायता की अदायगी नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) अकबर होटल के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के शीघ्र अदायगी के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख) अकबर होटल के कर्मचारियों को समेकित (कंसोलिडेटेड) वेतन मिलता है जिसमें सभी भत्ते सम्मिलित हैं। कर्मचारियों ने निर्वाह-खर्च में बढ़ोतरी होने के कारण वेतन में वृद्धि करने की प्रार्थना की है। मामला विचाराधीन है।

**Loss suffered by Akbar Hotel due to strike by workers in October, 1973**

2849. **Shri R. N. Barman :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the loss suffered by Akbar Hotel, New Delhi as a result of strike by workers in October, 1973 ?

**The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Avaition (Dr. (Smt., Sarojini Mahishi)**: There was no strike in Akbar Hotel in October, 1973, but there was a partial stoppage of work. The loss suffered due to this stoppage of work is estimated at rupees fifty thousand.

**भारत के सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का विश्व बैंक के दल का दौरा**

2850. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के मिशन ने हमारे देश के सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का हाल में दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मिशन के प्रतिवेदन अथवा उनके द्वारा हमारे अधिकारियों के साथ की गई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय मिशन के सदस्यों ने मोटे तौर पर कार्यक्रम का समर्थन करने में दिलचस्पी दिखाई

**मारुति के शेयर होल्डरों को दी गई आयात हकदारियां**

2851. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के प्रमुख शेयर होल्डरों और उसके निदेशकों को दी गई आयात हकदारियों के बारे में सूचना को एकत्रित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अगर सूचना एकत्रित नहीं की गई है, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग) जानकारी अभी भी एकत्रित की जा रही है।

**सामान्य बीमा कम्पनियों के उच्च अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और वेतनेतर लाभों के ऊपर बीमा नियंत्रक का नियंत्रण**

2852. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियंत्रक ने सामान्य बीमा कम्पनियों के उच्च अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और वेतनेतर लाभों के ऊपर कोई नियंत्रण किया है अथवा वह ऐसा कोई नियंत्रण करता है ;

(ख) राष्ट्रीयकरण से दो वर्ष पहले और उसके बाद के दो वर्षों में 2000 रु० प्रति माह पाने वाले संवर्गों के वेतन और इस प्रकार के वेतनेतर लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आय और व्यय में कम से कम कुछ समानता प्राप्त करने के लिये सरकार वेतन और वेतनेतर लाभों में काफी कमी करेगी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) बीमा नियंत्रक ने 1 जून, 1969 से 13 मई, 1971 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक बीमा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्धक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, चाहे उसे किसी भी काम से पुकारा जाता हो, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की समाप्ति तथा पारिश्रमिक पर, जिस में उनके वेतनेतर लाभ भी शामिल हैं, नियंत्रण रखा।

(ख) बीमा नियंत्रक को प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियां, प्रबन्ध निदेशकों अथवा पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबन्धकों और/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के ही वेतनेतर लाभों और वेतनों तथा अन्य बातों पर नियंत्रण रखने तक सीमित थीं, वे अन्य उच्च अधिकारियों को देय आर्थिक लाभों पर लागू नहीं होती थीं, चाहे वे 2000/- रु० प्रति मास से अधिक पाते हों। कुछ मामलों में तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मूल वेतन 2000/- रु० प्रति मास से भी कम था। बीमा कम्पनियों की बड़ी संख्या में से प्रत्येक की अपनी भिन्न सेवा शर्तें थीं और बहुत से मामलों में कोई वेतन संवर्ग ही नहीं थे।

प्रबन्ध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबन्धकों अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अदा करने के लिये प्रस्तावित वेतनेतर लाभ भिन्न-भिन्न कंपनियों में अलग-अलग प्रकार के थे और प्रत्येक मामले में उनके गुण-दोष के आधार पर बीमा नियंत्रक द्वारा विचार किया जाता था। अब तक जो विभिन्न प्रकार

के वेतनेतर लाभ जानकारी में आये हैं और जिन्हें बीमा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत किया गया है, वे निम्न-लिखित स्थूल शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं :—

1. अर्जित छुट्टी तथा बीमारी की छुट्टी।
2. भविष्य निधि।
3. पेंशन सम्बन्धी लाभ।
4. उपदान।
5. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा/जीवन बीमा व्यवस्था।
6. मकान किराया/आवास सुविधा।
7. कर्मचारी तथा उसके परिवार के लिये चिकित्सा लाभ।
8. वाहन सुविधा/मोटर कार भत्ता।
9. कम्पनी की ओर से मोटर कार चालक की व्यवस्था।
10. निवास पर टेलीफोन की सुविधा।
11. वार्षिक छुट्टी भत्ता/गृह यात्रा सुविधा।
12. सत्कार भत्ता।
13. ईंधन भत्ता।
14. घरेलू नौकर सुविधा।
15. क्लब की सदस्यता।
16. निवास पर वातानुकूलन की सुविधा।
17. शिक्षा सम्बंधी सुविधा।

**टिप्पणी** : ऊपर दिये गये वेतनेतर लाभों में मंहगाई भत्ते तथा बोनस को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने विविध्र बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये एक रूप वेतनमानों तथा सेवा शर्तों को तैयार करने के लिये एक समिति (मथरानी समिति) की पहले से ही स्थापना कर दी है। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, वेतन क स्तरों तथा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को देय वेतनेतर लाभों के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विविध बीमा कम्पनियों के मामले में, आय तथा व्यय के बीच समानता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 सी की शर्तों के अनुसार, जिन्हें अधिग्रहण की गई कम्प-नियों पर लागू किया गया है, (परन्तु जो भारत के विविध बीमा निगम पर लागू नहीं है) खर्च को प्रीमियम की आय के एक अंश के रूप में लिया जाना है।

**आयकर के लिए सूती कपड़ा मिलों का कर-निर्धारण**

2853. **श्री मधु लिमये**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सूती कपड़ा मिलों को न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश देने के बाद तमिलनाडु के अलावा अन्य राज्यों की मिलों द्वारा अतिरिक्त धन वसूल करने के बारे में किसी सरकारी विभाग अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति से उनके मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या आयकर विभाग ने सूती धागा नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य और तमिलनाडु की मिलों द्वारा मुक्त माल रूप से की गई बिक्री क बीच अन्तर का हिसाब लगाया है ;

(ग) क्या तमिलनाडु की मिलों द्वारा वसूल की गई कीमतों और अपने ग्राहकों से इन मिलों द्वारा वसूल अधिक धन को अतिरिक्त धन (आन मनी) मानने के आधार पर अन्य मिलों का कर निर्धारण करने के लिये आयकर विभाग को आदेश दिया गया है अथवा ऐसा आदेश दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले को हाल ही में सरकार के ध्यान में लाया गया है। इसकी जांच की जा रही है और आयकर अधिनियम में जैसी अपेक्षा होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**चीड़फाड़ की पट्टियों (सर्जीकल बैन्डेज) के लिए विशेष किस्म का धागा**

2854. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीरफाड़ की पट्टियों (सर्जिकल बैन्डेज) का उत्पादन करने वाली फर्मों को विशेष किस्म के धागे की जरूरत होती है;

(ख) क्या सर्जिकल पट्टियों के लिये प्रयोग में आने वाले धागों की इस साल कमी रही थी; और

(ग) इन फर्मों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी किस्मों के सूत की सामान्य कमी थी।

(ग) 80 एस काउंटों तक के सूत पर से वितरण नियंत्र हटा दिये जाने से शल्यचिकित्सा सम्बन्धी पट्टियों के विनिर्माता अपनी आवश्यकतायें अधिसूचित कीमतों पर खुले बाजार से पूरा कर सकते हैं।

**विदेशी फर्मों द्वारा धन का बाहर भेजा जाना**

2855. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री विदेशी फर्मों द्वारा धन के बाहर भेजे जाने के बारे में 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं तथा सहायक फर्मों की जो सूची उन्होंने दी है, वह पूरी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें किन कम्पनियों को शामिल नहीं किया गया है;

(ग) विवरण एक तथा दो में दी गई कम्पनियों में से प्रत्येक को 1969-70 से 1971-72 तक वर्षवार प्रदत्त पूंजी, कुल आस्तियां, लेन देन और कुल लाभ कितना था; और

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इन के द्वारा बाहर भेजे जाने वाला धन उनके पूंजी निवेश की तुलना में बहुत अधिक है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) और (ख) 24 अगस्त 1973 के अतांराकित प्रश्न संख्या 4249 के उत्तर के साथ लगाये गये विवरण I और II, उन विदेशी कम्पनियों के सभी शाखाओं तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नामों की दृष्टि से पूरे थे जिन्होंने 1969-70 और 1971-72 के बीच की अवधि में या तो लाभों। लाभाशों, तकनीकी जानकारी शुल्कों, अधिकतर शुल्क तथा मुख्यालय व्यय की रकमें बाहर भेजी थी या उन्हें ऐसी रकमें बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। किन्तु उपर्युक्त विवरण I के क्रमांक III में मर्कण्टाइल बैंक लिमिटेड द्वारा प्रेषित रकमों के बारे में जो सूचना दी गई है उसके स्थान पर संलग्न अनुबन्ध पढ़ा जाना चाहिये। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5867/73]

(ग) और (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी उतनी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**चाय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्ति**

2856. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री ने अभी हाल में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) क्या मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि किसी व्यक्ति विशेष को ही इस पद के लिये चुना जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक पत्र, 'दर्पण' के 26 अक्तूबर, 1973 के अंक में (प्रथम पृष्ठ पर) प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**: (क) तथा (ख): इस मंत्रालय को ऐसी कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार चाय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रश्न पर पहले ही विचार कर रही है।

**कपड़े के मूल्य-नियंत्रण की स्वैच्छिक योजना**

2857. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि स्वैच्छिक मूल्य-नियन्त्रण की योजना की वर्तमान नीति से उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को कपड़ा सप्लाई करने के मूल प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती;

(ख) क्या यह आरोप भी लगाया गया है कि मूल्य छापने की व्यवस्था का मिलों ने ऊंची कीमतें वसूल करके लाभ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख) : उल्लिखित विषय के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये गये हैं।

(ग) स्कीम का क्रियान्वयन समीक्षाधीन है और एक संशोधित स्कीम तैयार की जा रही है।

**"एस० टी० सी० स्लोप्स व्हाइल पेपर्स स्टार्व्ड आफ न्यूजप्रिन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

**2858. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में "एस० टी० सी० स्लीप्स व्हाइल पेपर्स स्टार्व्ड आफ न्यूजप्रिंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी हां।

(ख) अरसे से विभिन्न खेपों में माल कम होने के कारण राज्य व्यापार निगम ने जो दावे किए थे, उनके फलस्वरूप 145 टन अखबारी कागज जमा हो गया था। राज्य व्यापार निगम ने अपने दावों पर अपना अधिकार न छोड़ते हुये अब स्टाक ले लिये हैं। क्लियरिंग एजेंट को जो देना बाकी है उसका सम्बन्ध इ,स जमा हुये स्टाक से नहीं है।

स्कैंडेनेविया से अखबारी कागज के क्रय के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राज्य व्यापार निगम ने स्थिति के अनुसार यथासंभव अधिकतम मात्रा में माल खरीदा।

**मुद्रा का परिचालन**

**2859. श्री वी० वी० नायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में कुल कितनी राशि की मुद्रा परिचालन में हैं; और

(ख) एक रुपये से दस हजार रुपये तक के विभिन्न करेंसी नोटों की राशि क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) 31 अक्तूबर 1973 की स्थिति के अनुसार कुल 6034.1 करोड़ रुपये की राशि की मुद्रा चलन में थी।

(ख) चलन में आ रहे करेंसी नोटों में विभिन्न मूल्यों के नोटों के आंकड़े 31 जुलाई, 1973 तक के उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं:--

| मूल्य वर्ग | मूल्य (रुपये) |
|---|---|
| 1 रुपये के नोट | 274,68,85,000.00 |
| 2 " | 69,31,66,058.00 |
| 5 " | 377,71,26,040.00 |
| 10 " | 1826 34,79,160.00 |
| 20 " | 225,54,13,060.00 |
| 100 " | 3012,13,16,000.00 |
| 1000 " | 44,52,99,000.00 |
| 5000 " | 30,84,15,000.00 |
| 10000 " | 28,37,90,000.00 |
| जोड़ | 5889,48,89,318.00 |

**लाभप्रद हवाई मार्ग और हवाई अड्डे**

2860. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाभप्रद हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ख) देश में लाभप्रद हवाई मार्ग कौन कौन से हैं; और

(ग) अलाभकारी हवाई अड्डों और हवाई मार्गों का संचालन करने में किस मानदण्ड को अपनाया जाता है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (ग) : भारत में कोई भी सिविल विमानक्षेत्र, जब उनकी अपेक्षित स्तर तक लाने के लिये किये गये पूंजी-निवेश से तुलना की जाती है लाभकारी नहीं हैं। उनका परिचालन देश में नागर विमानन की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किया जाता है तथा उनका परिचालन सर्वथा वाणिज्यिक विचार से नहीं किया जाना। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1971-72 में परिचालित 102 मार्गों में से 21 मार्ग लाभप्रद थे। यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स से वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य करने की आशा की जाती है, उन्हें एक जनोपयोगी सेवा होने के नाते, कुछ ऐसी विमान सेवायें भी जो कि अलाभकारी हैं, देश के विशालतर हित में परिचालित करनी पड़ती हैं।

**राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के साथ उपभोक्ताओं को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव**

2861. **श्री बी० बी० नायक**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में आयात के केन्द्रीयकरण के कारण ग्राहकों को उसकी उपयोगिता और उसकी सेवा पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के साथ उपभोक्ताओं को सहयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातों का मार्गीकरण होने के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के कच्चे माल विपुल मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर खरीदे जा रहे हैं तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर उनका न्यायोचित वितरण किया जा रहा है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने, निगम द्वारा आयातित विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के सम्बन्ध में सलाहकार समितियां स्थापित की हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

**इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा नये करों पर विमान सेवायें आरम्भ करना**

2862. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंण्डियन एयरलाइन्स किन परिस्थितियों तथा शर्तों पर नये रुटों पर विमान सेवाएं आरम्भ करता है ;

(ख) चालू वर्ष में कौन कौन से नये रूटों पर विमान सेवाएं आरम्भ की गई हैं अथवा चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व आरम्भ की जायेंगी ;

(ग) क्या गैर-सरकारी आपरेटरों को केवल छोटे रूटों पर और वह भी थोड़ी अवधि के लिए विमान चलाने की अनुमति दी जाती है ; और

(घ) इस समय देश में विमान चलाने वाले गैर-सरकारी आपरेटरों के नाम क्या हैं और वे किन रूटों पर आपरेट करते हैं तथा प्रत्येक मामले में उनको कितनी अवधि तक आपरेट करने की अनुमति है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) इंण्डियन एयरलाइंस नयी सेवाओं के परिचालन पर निर्णय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती है :—

(i) पर्यटक रुचि ।

(ii) जिन स्थानों पर विमान सेवा से जोड़ने के लिये विचार करना होता है उनका परस्पर संबंध ।

(iii) परिवहन के वैकल्पिक तरीके ।

(iv) क्षेत्र का आर्थिक विकास ।

(v) यातायात संभावनाओं पर अधारित स्वपर्याप्तता ।

(ख) सप्ताह में तीन बार की एक कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल-दीपापुर सेवा पहली मई से चालू की गयी थी परन्तु धारिता की कमी के कारण उसे वापस लेना पड़ा ।

(ग) और (घ) : निजी परिचालकों को, जो वायुयान नियम 1937 की अनुसूची Xi में दी गयी शर्तों को पूरा करते हों, ऐसे स्थानों के बीच जहां कारपोरेशन द्वारा सेवाए नहीं चलाई जातीं, 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियमित आधार पर अनुसूचित विमान सेवाएं परिचालित करने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु फिलहाल कोई निजी परिचालक अनुसूचित विमान सेवाएं परिचालित नहीं कर रहा

परन्तु नागर विमानन महानिदेशालय से अननुसूचित परमिट-धारी निजी परिचालक दिन-प्रति-दिन के आधार पर अननुसूचित उड़ानों (यात्री तथा माल दोनों) का परिचालन कर सकते हैं। ऐसी उड़ाने फिलहाल बम्बई क्षेत्र में सफरी एयरवेज़ द्वारा, कलकत्ता क्षेत्र में जामेयर कं० द्वारा तथा दक्षिणी क्षेत्र में दि हिन्दू द्वारा परिचालित की जा रहीं हैं

**सरकार द्वारा भारतीय चाय केन्द्र के प्रबन्ध का अधिग्रहण**

2863. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने भारतीय चाय केन्द्र के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी)** : (क) और (ख) चाय बोर्ड ने भारत पर्यटन विकास निगम से डबलिन स्थित चाय केन्द्र के प्रबंध को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया था। भारत पर्यटन विकास निगम इस प्रस्ताव पर विचार करने को सहमत हो गया बशर्ते कि लन्दन स्थित चाय केन्द्र का प्रबंध भी उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाए। परन्तु सरकार ने निर्णय किया कि डबलिन तथा लन्दन स्थित दोनों ही चाय केन्द्रों का परिचालन फिलहाल चाय बोर्ड द्वारा किया जाता रहे ।

**Number of Foreign Tourists who visited India during 1973**

**2864, Shri. G P. Yadav :**

**Shri Fatehsinghrao Gaekwad :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a smaller number of Tourists visited India during this year as compared to the previous two years; and

(b) if so, the reasons therefor and the efforts being made by Government to improve the situation ?

**The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi)** (a) No, Sir. On the contrary there has been a substantial increase in tourist arrivals during January-September 1973 as compared to the corresponding period of previous two years, as shown below :

| | Tourist Arrivals During January-September | |
|---|---|---|
| | Total arrivals | Percentage increase |
| 1971 . . | 223,838 | .. |
| 1972 . . | 231,782 | 3.5 |
| 1973 . . | 285,471 | 23.2 |

(b) Does not arise.

**Announcement of DA to Government Employees as a result of Rise in price Index**

**2865. Shri G. P. Yadav :**

**Shri Ishwar Choudhri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the price index increased by 4 points in November, 1973 alone;

(b) if so, whether Government have not so far announced increased Dearness Allowance for their employees in spite of the increase in price index and ;

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan)** (a) to (c) on the basis of the 12-monthly average of the All India Price Index for Industrial workers (Base :1960-100) having touched 224 at the end of September 1973; it has been decided to allow a further instalment of dearness a allowance to Central Government employees with effect from 1st October, 1973. The Index figures for November 1973 are not yet ready and are expected to become available in January 1974.

**Export of Mica to Foreign Countries by M.M.T.C.**

2866. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantity of mica exported to foreign countries by M.M.T.C. during the last three months ;

(b) whether private dealers are also allowed to export mica; and if so, in what manner; and

(c) whether M.M.T.C. has formulated any new schemes recently to encourage mica trade; and if so, the broad outlines thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) :** (a) The quantity of mica exported by the M.M.T.C. to foreign countries during the last three months was as follows :—

| | Metric tonnes |
|---|---|
| August 1973 | 1415.71 |
| September 1973 | 940.41 |
| October 1973 | 1054.44 |

(b) No, Sir.

(c) The MM.T.C. has taken several steps for promoting exports of mica which includes assistance to small processors in supply of equipment, provision of consultancy and inspection services , research into properties of mica etc.

**अप्रैल–सितम्बर, 1973 के दौरान श्रीलंका के निर्यात में कमी**

2867. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, सितम्बर 1973 के दौरान इस से पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में श्री लंका को किये गये निर्यात में भारी कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)।** (क) अप्रैल-सितम्बर, 1973 के लिए श्रीलंका को हमारे निर्यात के आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं। अप्रैल-सितम्बर 1972 के लिए श्रीलंका को हमारे निर्यात 1270 लाख रु० मूल्य के थे। 1973–74 के लिए आंकडे केवल मई, 1973 तक उपलब्ध हैं, जिनके अनुसार अप्रैल मई 1973 के लिए हमारे निर्यात 1972 की अप्रेल,मई की उतनी ही अवधी में किए गए 147 लाख रु० के निर्यात की तुलना में केवल 54 लाख रु० मूल्य के थे।

(ख) श्री लंका को हमारे निर्यातों में कमी उनकी कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति के कारण हुई है।

**वर्ष 1972-73 की तुलना में 1973-74 में पर्यटकों की प्रतिशतता में वृद्धि**

2868. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

**श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 की तुलना में 1973-74 में पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ख) इस के परिमाणस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी)** (क) 1973 में भारत आने वाले पर्यटकों की सख्या 1972 की अपेक्षा सम्भवयता 16-17% अधिक होगी।

(ख) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में लगभग 9 करोड़ की वृद्धि होने की आशा है।

**पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार में मौलिक परिवर्तन**

2869. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के साथ व्यापारिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1973-74 के दौरान किन-किन वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) पूर्व यूरोप के साथ हमारे व्यापार में हमारे निर्यातों में इंजीनियरी, उपभोक्ता तथा अन्य अपरम्परागत वस्तुओं का भाग बढ़ाने और हमारे आयातों में औद्योगिक कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भाग बढ़ाने के लिये हमारा प्रयास रहा है।

वर्ष 1973-74 के दौरान जिन वस्तुओं के निर्यात काफी बढ़े हैं, उनके नाम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही मालूम होंगे।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिया गया ऋण**

2870. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मत्री 10 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2849 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए लघु उद्योगों को आरम्भ करने के लिये और पहले से अधिष्ठापित तथा कार्य कर रहे उद्योगों का सुधार करने के लिये बिहार के विशेष जिलों को विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर बिहार के मधुबन, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वाचम्पारन, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम चपारन, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया जिलों को; जिलेवार, कितना ऋण दिया गया है और वर्ष 1973 में नवीनतम ऋण कितना दिया गया है अथवा 1974 में कितना ऋण दिया जाएगा ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बिहार में छोटे पैमाने के उद्योगों को उपलब्ध कराए गए ऋणों के बारे में उपलब्ध सूचना और उनका जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट I और II में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5868/73]

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि मजदूरों, छोटे किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिया जाना**

2871. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 286 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा राज्यवार विशेषकर इस प्रयोजन हेतु चुने गए बिहार के प्रत्येक जिले में कृषि मजदूरों, छोटे किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को व्याज की रियायती दरों पर दिये गए ऋण की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या निजी बैंकों को भी व्याज की रियायती दरों पर ऋण देने के लिए कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके कार्य का व्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके कारण क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तवराव चव्हाण)** (क) व्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋणों के संम्बन्ध में 30 जून, 1973 के अन्त में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है [ग्रंथालय में रखा गया।देखिए संख्या एल.टी० 5869/73]

व्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत बकाया ऋणों के संम्बन्ध में जिलावार सूचना बिहार राज्य में तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे सम्भव सीमा तक इकट्ठा किया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं व्याज की विभेदी दर योजना केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही चलाई जा रही है ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**समाजवादी तथा गुटनिपक्ष देशों के साथ विदेश व्यापार नीति का पुनरीक्षण**

2872. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालर तथा स्टर्लिग क्षेत्रों पर हमारी निर्भरता को अधिक से अधिक कम करने के लिये विश्व के समाजवादी तथा गुटनिर्पेक्ष देशों के साथ हमारे विदेश व्यापार में कोई मौलक परिवर्तन करने के हेतु कोई कार्यवाई की गई है अथवा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) से (ग) सरकार परम्परागत श्रोतों से देश के विदेश व्यापार के विन्यास तथा दिशा का विविधीकरण करने का बराबर प्रयत्न करती रही है विगत कुछ वर्षों के दौरान गुट-निरपेक्ष देशों तथा समाजवादी ब्लाक के देशों के साथ व्यापार स्तर में काफी वृद्धि हुई है ।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा द्वारा छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों को ऋण दिया जाना**

2873. **श्री भोपेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों को ऋण दिये जाने में कठिनाइयां उत्पन्न कर रही हैं ;

(ख) क्या वे एक अथवा दो दुकानदारों से जमानत अथवा गारंटी दिये जाने पर जोर देते हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं कि ऋण मंजूर किये जाने से पूर्व प्रत्येक आवेदक से धनराशि मांगी जाती है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (घ) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसे अपनी हिसार शाखा के बारे में कुछ शिकायतों की जानकारी है । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वह आरोपों के संबंध में छान बीन कर कर रहा है ।

**आन्ध्र प्रदेश के तकनीकी -आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना**

2874. **श्री के० कोडंडरामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कृषि पुनर्वित निगम, ए० पी० एस० एफ० सी० सिन्डीकेट बैंक और आन्ध्र बैंक लिमिटेड के अधिकारियों संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल (ज्वायंट इन्स्टिट्यूशनल स्टैन्डर्ड टीम) ने आन्ध्र प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो क्या इस ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यांकन और सिफारिशों की जिलावार मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) एक संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल ने, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुनर्वित निगम, आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, सिण्डीकेट बैंक और आन्ध्र बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल थे, आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक सक्षमता का सर्वेक्षण किया है । इस दल ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है । ऐसा समझा जाता है कि रिपोर्ट को दिसम्बर 1973 के अन्त तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**ब्रिटेन से पूंजी निवेश**

2875. **श्री के० कोडंडरामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन तथा उनके उद्योगपतियों ने हमारे देश में उद्योगों में कितना पूंजी निवेश किया है तथा देश के उद्योगों को सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी है ;

(ख) किन उद्योगों में पूंजी निवेश किया गया है तथा किन उद्योगों को सहातता दी गई है; और

(ग) क्या भविष्य के लिए किन्हीं नये करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) निवेश भारत में यूनाइटेड किंगडम से किये गये दीर्घावधिक गैर-सरकारी निवेश की राशि मार्च, 1970 के अन्त में 619.5 करोड़ रुपया थी । जिन क्षेत्रों में निवेश किया गया है वे ये हैं : वस्तु- निर्माण उद्योग, बगान, पैट्रोलियम और सेवाएं ।

**सहायता** : यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत के उद्योगों को सीधे सहायता प्रदान नहीं करती, किन्तु वह, भारत सहायता संघ के सदस्य के रूप में, भारत सरकार को 1953 से नरम शर्तों पर ऋण. दे रही है । इन राशियों का उपयोग, उत्पादन को बनाये रखने के संम्बन्ध में और पुंजीगत वस्तुओं के आयात द्वारा नयी क्षमता की स्थापना करने के संम्बन्ध में भारतीय उद्योगों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है । 1972–73 के अन्त तक यूनाइटेड किंगडम की सरकार से प्राप्त ऋणों की कुल राशि 58.9 करोड़ पौंड (1117.22 करोड़ रुपये) है जिसमें से 53.1 करोड़ पौड़ (1007.20 करोड़ रुपये) की राशि आयात संम्बन्धी उपर्युक्त आवश्यकता के वित्तपोषणा के के लिए और 5.8 करोड़ पौड (110.02 करोड़ रुपये) की राशि ऋण राहत के लिए है ।

ब्रिटेन द्वारा दी गयी यह सहायता जिन मुख्य उद्योगों को प्राप्त हुई है वे ये हैं :

बिजली के भारी सामान बनाने के उद्योग (बिजली के उत्पादन और वितरण के उपकरण बनाने वाले उद्योगों सहित), इस्पात, मोटरगाड़ी, इंजीनियरी, उर्वरक सहित रसायन, तेल और प्रैट्रो-रसायन, जहाज रानी और जहाज-निर्माण कृषि आदि ।

1973–74 के चालू वर्ष के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत सहायता संघ की जून 1973 में हुई बैटक में 6.3 करोड़ पौंड (119.49 करोड़ रुपये) की राशि का वचन दिया है। अभी इस राशि को, विशिष्ट ऋण करारों में रूपान्तरित किया जाना है ।

भारत सहायता संघ के माध्यम से दी गयी उपर्यूक्त सहायता के अलावा यूनाइटेड किंगडम के लैजर्ड ब्रदर्स के नेतृत्व में ब्रिटेन के बैंकों के एक सिंडीकेट और यूनाइटेड किंगडम के बर्कलेंज बैंक ने भारत सरकार को कमश: 1.15 करोड़ पौंड (21.81 करोड़ रुपये) और 25.5 लाख पौंड (4.34 करोड़ रुपये) के ऋण दिये थे ताकि दुर्गापुर इस्पात कारखाने कि स्थापना के लिए, और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली का बोर्ड और दामोदर घाटी निगम के लिए मैसर्स ए० वी० बी० दुर्गापुर बायलरों का निर्माण किये जाने के लिए संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

(टिप्पणी: सहायता के संबंध में ऊपर दी गयी सूचना में पौंड स्टर्लिंग राशियों के बराबर जो रुपया— राशियां दी गई हैं वह 1 पौंड 18.968 रुपये की मौजूदा केन्द्रीय विनिमय दर के के अनुसार दी गयी है)

## होटलों का निर्माण

2876. **श्री के० कोडंडरामी रेड्डी**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1971, 1972 और 1973 में राज्यवार कितने होटल बनाए गए;

(ख) उनमें से कितने राज्यवार बनकर तैयार हो गए हैं; और

(ग) इस प्रकार कमरों में कितनी वृद्धि हुई ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1971-73 से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित/अधिगृहीत नई आवास प्रायोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण**

| राज्य | प्रायोजना का नाम | कमरे | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. कर्णाटक | होटल अशोक, बंगलौर | 91 | होटल का उद्घाटन 1 मई, 1971 को किया गया। |
| 2. उत्तर प्रदेश | वाराणसी होटल | 50 | होटल सितम्बर, 1973 में चालू किया गया। |
| 3. राजस्थान | लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर का विस्तार | 20 | बढ़ाए गए ब्लाक को जनवरी, 1973 के दौरान चालू किया गया। |
| 4. मध्य प्रदेश | खजुराहों यात्री लाज का विस्तार | 40 | यूनिट का उद्घाटन 19 नवम्बर, 1972 को किया गया। इसका नाम बदल कर खजुराहों होटल रखा गया है। |
| 5. कर्णाटक | हरसन यात्रा लाज का विस्तार | 20 | विस्तार करने के पश्चात यूनिट का नाम बदल कर हस्सन होटल रखा गया। होटल का उद्घाटन 27 जुलाई, 1972 को किया गया। |
| 6. जम्मू व काश्मीर | जम्मू होटल | 50 | होटल का उद्घाटन 9 सितम्बर, 1972 को किया गया। |
| 7. तमिलनाडु | महाबलिपुरम् तट कुटीरें | 20 | कुटीरों का उद्घाटन 17 दिसम्बर, 1972 को किया गया। |
| 8. केरल | कोवालम् (कुटीरें) | 40 | कुटीरों का उद्घाटन 17 दिसम्बर, 1972 को किया गया। |
| 9. नई दिल्ली | अकबर होटल | 163 | नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित इस होटल की बिल्डिंग को भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पट्टे पर लिया गया व सज्जीकरण किया गया है। होटल का उद्घाटन 27 जनवरी, 1972 को किया गया। |

| राज्य | प्रायोजना का नाम | कमरे | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 10. नई दिल्ली | कुतुब होटल | 48 | इन बिल्डिंगों का, जो कि यू० एस०ए०आई०डी० काम्प्लेक्स का भाग थीं, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नवीकरण किया गया है तथा 4 नवम्बर, 1973 को इनका एक होटल के रुप में उद्घाटन किया गया गया है । |

**आन्ध्र प्रदेश में वन्य पशु शरणस्थलों के विकास का प्रस्ताव**

2877. **श्री के० कोडंडरामी रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में वन्य पशु शरण स्थलों के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी) :** (क) जी हां ।

(ख) कृषि मंत्रालय को 15.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पास्वल वन्य जीव शरण-स्थल, जिला वारंगल, के विकास की ही केवल एक स्कीम प्राप्त हुई था । इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सर द्वारा वर्ष 1973-74 के लिये लगभग 11.65 लाख रुपये की निधियों की मांग की गई थी । इन निधियों की आवश्यकता निम्नलिखित के लिये है :—

(I) वन्य जीवों का परीरक्षण;

(II) शरण-स्थल से पशुओं तथा पक्षिओं का बाहर से समावेश;

(III) प्राकृतिक-वास (हैबिटैट) का परिरक्षण एवं सुधार;

(IV) आखेट-पशु फार्मों तथा प्रोजनन केन्द्र की स्थापना; और

(V) अनुसंधान ।

(ग) स्कीम पर राज्य सरकार के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है।

**जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण**

2878. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष वार सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत तथा वस्तुतः दिय गए सावधिक ऋण नीचे दिये गए अनुसार हैं :--

| वित्तीय वर्ष | स्वीकृत | वस्तुतः वितरित |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| 1970-71 | -- | -- |
| 1971-72 | 75.00 | -- |
| 1972-73 | -- | -- |

उपर्युक्त सूचना में निगम की विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गए बंधक ऋण शामिल नहीं हैं क्योंकि यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**कर संबंधी सुधारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र-संघ की समिति से सुझाव**

2879. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर प्रणाली पर संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति द्वारा कर संबंधी सुधारों के बारे में दिये गए सुझाव को इस बीच सरकार ने जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो दिये गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) से (ग) 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा के संकल्प (XXIV) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कुछ नमूने विकासशील देशों की कर-प्रणालियों के अध्ययन के आधार पर "विकासशील देशों के कराधान, साधना-संग्रह तथा आय-वितरण" के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक और सामाजिक परिषद् (एकांसांक) की इक्यानवीं बैठक में पेश की गई थी, जो 5 से लेकर 30 जुलाई 1971 तक, जनैवा में हुई थी । इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों को 23 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1324 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दिया गया था। किन्तु ये निष्कर्ष और सिफारिशें सामान्य किस्मों की हैं। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने इस रिपोर्ट पर विचार किया था तथा "साधन संग्रह" और "कर सुधार आयोजन" सम्बन्धी दो संकल्प स्वीकार किये थे। महासचिव से भी अनुरोध किया गया था कि वे साधन जुटाने की समस्या का और आगे अध्ययन करें। महासचिव ने इस विषय पर आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की मई 1973 में जनैवा में हुई पचपनवीं बैठक में एक टिप्पणी प्रस्तुत की थी और परिषद ने अगस्त 1973 में यह निर्णय लिया था कि वित्तीय साधन जुटाने के विषय से बंध कार्य संयुक्त राष्ट्र की विकास आयोजना समिति द्वारा जारी रखा जायेगा।

**नायलोन धागे के मूल्यों में वृद्धि**

**2880. श्री वीरेन्द्र सिंह राव:**

**श्री एस० एन० मिश्र :**

**क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में नायलोन धागे के मूल्यों में लगभग दुगनी वृद्धि हुई हैं;

(ख) क्या मूल्यों में यह वृद्धि सरकार के साथ साठ-गांठ करके की गई है जैसा कि समाचार पत्रों में आरोप लगाया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो नायलोन धागे के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनके मूल्यों को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) नायलोन धागे की कीमतें कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार के आधार पर बिनियमित होती हैं जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत उत्पादन परस्पर सम्मत कीमत पर वास्तविक उपयोक्ताओं को सप्लाई किया जाता है तथा 25 प्रतिशत कत्तिनों द्वारा खुले बाजार में बेचा जाता है । वास्तविक उपयोक्ताओं को सप्लाई किये गये नायलोन धागे की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । खुले बाजार में बिकने वाले नायलोन धागे की कीमतें में वास्तविक उपयोक्ताओं की कोटा कीमत से लगभग दुगनी हैं। 20 डी० एन० नायलोन भागे की कोटा बिक्री की खुले बाजार की कीमत जून, 1973 में 147 रुपये प्रति कि० ग्रा०, अगस्त, 1973 में 144 रुपये प्रति कि० ग्रा० अक्तूबर, 1973 में 193 रुपये प्रति कि० ग्रा० तथा 26-11-73 को 151 रुपये से 155 रुपये प्रति कि० ग्रा० होने की सूचना मिली थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क़ीमतों में वृद्धि के कारण हैं :—

(1) कैपट्रोलेक्टम की बिश्वव्यापी कमी,

(2) इसके फलस्वरूप नायलोन कत्तिनों की लाइसेंस क्षमता का कम उपयोग,

(3) बिभिन्न राज्यों में बिजली की कटौतियां लागू थी ।

(घ) (1) कैपट्रोलेक्टम की अतिरिक्त सप्लाई का पता लगाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) अधिकांस राज्यों में इस बीच बिजली की कटौतियां बहाल हो गई हैं ।

**वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अधिक ऋण देने संबंधी नीति को विफल बनाने का कथित समाचार**

2881. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अनुसूचित बाणिज्यिक बैंक मूल्यों में वद्धि को रोकने के लिये अधिक ऋण देने पर पावन्दी लगाने की रिर्जव बैंक आफ इण्डिया की नीति को विफल बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास इस आरोप पर विश्वास करने के लिये कोई आधार नहीं है कि अनुसूचित बाणिज्यिक बैंक उनकी बैंक-ऋण बिस्तार नियंत्रण रखने की नीति को असफल कर रहे हैं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी किए जाना**

2882. **श्री रानेन सेन :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वित्त मंत्री** इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी किये जाने के बारे में 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की ईक्विटी शेयर धारण की वर्तमान पद्धति क्या है ;

(ख) उन विदेशी कम्पनी अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग अधिकांश शेयर लिये हुये हैं तथा उनके द्वारा लिये गये शेयरों की राशि तथा प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की विदेशी शेयरों की कुल राशि को सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा अनुमोदित किसी विषेश योजना द्वारा कम्पनी के वर्तमान भारतीय कर्मचारियों में वितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना कब लागू की जायेगी और योजना की मुख्य बातें क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा बोनस निर्गम के लिये दिये गये आवेदन पत्र में कम्पनी की सामान्य पूंजीधारिता का जो स्वरूप दिया गया है वह इस प्रकार है :—

(i) विदेशी कम्पनी अथवा कम्पनियां जिनके पास संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से बहु-संख्यक शेयर हैं — 66.06 प्रतिशत

| | |
|---|---|
| (ii) उपर्ययुक्त (i) से भिन्न अनिवासी शेयरधारी . . | 0.16 प्रतिशत |
| (iii) निदेशक . . . . . | 0.05 प्रतिशत |
| (iv) बीमा कम्पनियों और बैंकों सहित वित्तीय संस्थाएं . | 7.71 प्रतिशत |
| (v) कम्पनी अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयित कम्पनियां . | 0.51 प्रतिशत |
| (vi) अन्य | 25.51 प्रतिशत |
| | 100.00 प्रतिशत |

(ख) ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, लन्दन के पास 406.93 लाख रुपये की सामान्य पूंजी है जो इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की कुल शेयर पूंजी का 66.06 प्रतिशत है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बोनस शेयर**

2883. **श्री रानेन सेन :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये शेयरों के बारे में 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी की तुलना में कुल कितने बोनस शेयर जारी किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा बोनस शेयरों के बारे में अपने विदेशी अंशधारियों को कुल कितना लाभांश दिया गया ; और

(ग) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में ऐसे ही भारतीय अंशधारियों को कुल कितना लाभांश दिया गया ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों का अंकित मूल्य 343.73 लाख रुपये था जबकि कुल बिकी पूंजी 616 लाख रुपये थी ।

(ख) 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुये पिछले तीन वर्षों के दौरान बोनस शेयरों के संबंध में कम्पनी द्वारा अपने विदेशी शेयरधारियों को अदा किये गये सकल लाभांस की कुल रकम (आयकर कटौती से पहले) 67.23 लाख रुपये बैठती है।

(ग) 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान बोनस शेयरों के संबंध में भारतीय शेयरधारियों को कम्पनी द्वारा अदा किये गये लाभांश की कुल रकम 14.37 लाख रुपये है।

**निजि व्यापारियों को ऋण देने के विरोध में बैंक कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन**

2884. **श्री रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले निजी व्यापारियों को ऋण देने के विरोध में 1,000 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने रिज़र्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो निजी व्यापारियों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) कुछ बैंक कर्मचारियों ने 7 नवम्बर, 1973 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का लक्ष्य यह विज्ञापित किया गया था। कि इसका उद्देश्य कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों के कार्यकारी निदेशकों द्वारा भूतकाल में प्रस्तुत किये गए उस प्रस्ताव का समर्थन करना है जिसमें उन्होंने बैंकों से यह कहा था कि वे थोक खुदरा व्यापारियों, स्टाकिस्टों मिलों और फैक्टरियों सहित किन्हीं भी गैर सरकारी वितरण अभिकरणों को गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों, वनस्पति आदि के आधार पर ऋण न दें।

(ख) संवेदन शील वस्तुओं के लिये बैंक ऋण देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित होने वाले कड़े ऋण नियंत्रण लागू होते हैं। गेहूं के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिम, खुदरा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़कर, मई 1973 में प्रतिबन्धित कर दिये गए थे। असम में जब से राज्य ने धान/चावल का व्यापार अपने हाथ में लिया है, धान चावल के आधार पर दिये जाने के बारे में अग्रिमों

पर रोक लगा दी गई। अन्य संवेदनशील वस्तुओं के सम्बन्ध में इन नियंत्रणों में ये बातें शामिल हैं : (i) अग्रिमों के स्तर की अधिकतम सीमा; (ii) ब्याज की न्यूनतम दर का निर्धारण और (iii) न्यूनतम मार्जिन का निर्धारण। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1973-74 के कामकाज के लिये 16 नवम्बर 1973 को घोषित ऋण नीति के संदर्भ में इन नियंत्रणकारी उपायों को और कड़ा कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति मांग और मूल्य की स्थिति पर बराबर नज़र रखता है और अपने चयनात्मक ऋण नियंत्रणकारी उपायों में ऐसे फेरबदल करता है जो पूर्ति और मांग के बीच उचित संतुलन रखने और इस बात का सुनिश्चयन करने के लिये आवश्यक हों कि बैंक-ऋण का दुरुपयोग कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं की जमाखोरी के लिये न किया जाए।

**Setting up of Industries in South Asia by Indian Industrialists**

2885. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries in South Asia, where our Government propose to set up industries on the request of their respective Governments;

(b) whether only the Indian currency and Indian made plants and machinery will be used in setting up these industries ; and

(c) if so, the broad outlines of the scheme ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)** (a) No specific request from any of the Governments of South Asian Countries has been received setting up Industrial Joint Venture by Government of India.

(b) & (c) Questions do not arise.

**Export of Indian Goods to South Asian Countries**

2886. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of countries in South Asia with whom Government already entered into agreements or propose to do so for exporting Indian made goods;

(b) whether these agreements would also cover the export of commodities manufactured by foreign companies and firms in India;

(c) whether the South Asian countries want to import the commodities manufactured by the foreign companies in India together with the Indian made goods; and

(d) if so, whether Indian trade will not be hit thereby ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)** (a) Reference of the Hon'ble Member is perhaps to South Asian Countries viz. Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. India has trade agreements with all these countries except with Pakistan.

(b) to (d) Generally, trade agreements express mutually agreed measures to facilitate in goods produced in the respcetive countries. In the matter of exports from India, no distinction is drawn between goods manufactured by different companies in the country. Indian manufacturers/exporters are free to promote the sale of their products in the foreign markets and it is open to the buyer to decide from whom he would buy.

**Invitation to Indian Industrialists to set up Industries in South Asian Countries**

2887. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have suggested names of any two capitalists of this country to the Governments of South Asian countries for setting up industries there; and

(b) the number and names of the capitalists of the country, who have been contracted and requested by the respective Governments of South Asian countries of their own or through the Government of India ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)** : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

**स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा गाँवों में नई शाखाएं खोलने के लिए अपनाई जाने वाली कसौटी**

2888. **श्री बेकारिया :**

**श्री अरविन्द पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा गाँवों में ग्रामीणों के लाभ के लिये नई शाखाएं खोलने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलने के जो प्रमुख मापदण्ड अपनाया है उसमें ऐसे पहलुओं का ध्यान रखा गया है जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देकर आर्थिक विकास और नियोजन अवसरों को प्रोत्साहन मिल सके। स्थानीय लोगों के धन का बचत करके उचित ढंग से काम में लाया जा सके और उनमें बैंक की आदत डाली जा सके और एक विस्तृत समयावधि में कार्यालयों की क्षमता बढ़ सके।

**दिल्ली और राजकोट के बीच विमान सेवा**

2889. **श्री बेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और गुजरात राज्य में राजकोट के बीच पुनः विमान सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइन्स का विमान-बेड़े की तंग स्थिति को दृष्ट रखते हुये फिलहाल दिल्ली-राजकोट सेवा का परिचालन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजकोट के लिये बम्बई से विमान सेवा की काफी अच्छी व्यवस्था है।

**मछली तथा मछली उत्पादों का व्यापार करने वाले बड़े व्यापार गृह**

2890. **श्री बेकरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात किया है; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) कुछ बड़े व्यापार गृहों के विगत तीन वर्षों के, वर्ष-वार निर्यात मूल्य इस प्रकार थे :—

मूल्य लाख रु० में

| कंपनी का नाम | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) टाटा आयल मिल्स | 61 | 116 | 92 |
| (2) इंडिया टुबैको | नगण्य | 11 | 114 |
| (3) यूनियन कार्बाइड | नगण्य | नगण्य | 59 |

**राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता**

2891. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों का गंहगाई भत्ता बढ़ाने में समर्थ होने देने के लिए अपेक्षित धन राशि की मंजूरी देने को सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों को इसी प्रकार का ऋण न देने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**शुल्क मुक्त पटसन आयात करने के लिए डच सरकार की सहमति**

2892. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सरकार हमारे देश से मुक्त शुल्क पटसन आयात करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश को प्रति वर्ष कितना पटसन निर्यात किया जायेगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**आय-कर कार्यालयों में मशीनीकरण**

2892. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित आयकर कार्यालयों में मशीनीकरण व्यवस्था लागू की जायेगी;

(ख) क्या बम्बई स्थित आयकर कार्यालय में मशीनीकरण व्यवस्था परीक्षणात्मक तौर पर आरम्भ की गयी थी और आय कर आयुक्त, बम्बई के प्रतिवेदन के आधार पर अमरीका से चार कम्प्यूटरों का आयात करने के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कर्मचारियों की राय प्राप्त कर ली है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) आयकर कार्यालय में मशीनीकरण लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, एक लाख रु0 से अधिक की निर्धारित आय वाले कम्पनी कर-निर्धारणों तथा अन्य मामलों में कर का हिसाब लगाने और आंकड़े संकलित करने के सीमित उद्देश्य से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में सरकार ने प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स लगाने की एक योजना सिद्धांत रूप में स्वीकार की है । प्रारम्भ में, योजना के प्रयोजन से दिल्ली में मार्गदर्शी परियोजना लागू करने की स्वीकृति दी गयी है ।

(ख) यह योजना संगठन और प्रबंध सेवा (आयकर) निदेशालय द्वारा तैयार की गई है । एक गणक (कैलकुलेटर) निर्यात करने का आदेश आई0 एम0 एम0, वाशिंगटन की मार्फत संभरण और पूर्ति महानिदेशालय द्वारा दे दिया गया है ।

(ग) इस संबंध में कर्मचारियों की राय नहीं ली गई है, क्योंकि इस योजना से कोई छटनी नहीं होगी और कर्मचारियों के भावी अवसरों पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है । यह योजना बहुत कम निर्धारणों तक ही सीमित रहेगी, जो अनुमानतः कुल वार्षिक निपटारे का केवल लगभग एक प्रतिशत होगी और इस छोटे क्षेत्र में भी, इस योजना के अंतर्गत कार्य-संचालन कुल लिपिकीय कार्यभार के एक छोटे से अंश तक ही सीमित रहेगा ।

**भारत के विदेशी मुद्रा संरक्षित कोष में कमी**

2894. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** :

**श्री प्रसन्न भाई मेहता** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संरक्षित कोष में भारी कमी होने के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) 23 नवम्बर, 1973 को भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा राशि 342.87 करोड़ रुपये की थी । इसका अर्थ यह है कि यदि विनिमय-मूल्यों में हुई घट-बढ़ के फलस्वरूप मूल्यांकन में हुये 54.8 करोड़ रुपये के लाभ को निकाल दिया जाये तो चालू वित्तीय वर्ष के शुरू से लेकर 87.95 करोड़ रुपये की कमी हुई है । यद्यपि यह कमी काफी अधिक है, किन्तु पूर्णतः अप्रत्याशित नहीं है और इसका मुख्य कारण है अन्न के आयात के सम्बन्ध में की गयी अदायगी और पेट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में अदायगी में वृद्धि ।

(ग) सरकार देश की शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है । इसमें, स्वावलंबन में योगदान के रूप में निर्यात-संवर्धन और आयात-प्रतिस्थापन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है ।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यय में वृद्धि**

2895. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यय 1972 में बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) और (ख) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया इकट्ठा खर्च 31-12-70, 31-12-71 और 31-12-72 को प्रकाशित लाभ और हानि लेखों के अनुसार इस प्रकार थे :—

(करोड़ रुपयों में)

| व्यय | 31-12-70 | 31-12-71 | 31-12-72 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) जमा रकमों पर ब्याज | 129.0 | 163.0 | 197.0 |
| (2) प्रतिष्ठान व्यय और अन्य व्यय | 124.0 | 150.0 | 176.0 |
| जोड़ . | 253.0 | 313.0 | 373.0 |

जमा रकमों पर अदा किये गये ब्याज में वृद्धि, जमा के लिये जुटाई गई रकमों के स्तर में हुई वृद्धि के कारण हुई है और देय ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्रतिष्ठान और अन्य व्यय में वृद्धि इन बैंकों के क्रियालापों में कुल मिलाकर हुए विस्तार के कारण हुई है।

1970 से 1972 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 3161 शाखाएं खोली और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में भी काफी वृद्धि की है। इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी रखने, प्रशिक्षण की लागत, इतनी बड़ी मात्रा में दिये गये ऋणों पर हुए अतिरिक्त पर्यवेक्षण व्यय और शाखाएं खोलने का प्रारंभिक व्यय शामिल है। नयी शाखाओं से लाभ प्राप्त होने में समय लगेगा। फिर भी, बैंकों के बढ़ते हुए क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए व्यय में हुई वृद्धि को अननुपातिक रूप से अधिक नहीं माना जा सकता।

(ग) बैंक अपने व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखते हुए अपने व्यय का स्तर व्यवसाय में होने वाली वृद्धि को उचित अनुपात में रखते हैं। सरकार भी बैंक के कार्यों की लगातार समीक्षा करती रहती है और उनसे अनुरोध करती रहती है कि जहाँ संभव हो मितव्ययता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाएं।

**खाद्यान्नों तथा पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव**

2896. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के सरकार के हाल के निर्णय का परिणाम यह निकला है कि थोक मूल्यों के सूचकांक में और सामान्य मूल्यों में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) और (ख) दालों से भिन्न अनाजों के थोक मूल्यों का सूचकांक तैयार करते समय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों दोनों को उपयोग में लाया जाता है। दालों से भिन्न अनाज के मूल्यों के सूचकांक में 27 अक्टूबर और 3 नवम्बर 1973 के बीच 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के सूचकांक में 0.3 प्रतिशत की संभाव्य वृद्धि होनी थी। परन्तु, वास्तव में, सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं के सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की कमी हुई।

पेट्रोलिमय निर्मित पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण खनिज तेलों के सूचकांक पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगभग 38 प्रतिशत लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के सूचकांक में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

**आय-कर की राशि वापिस करने के लिए अनिर्णीत पड़े मामले**

2897. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1973 को विभिन्न सर्किलों में आयकर की राशि वापिस करने के लिए कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या विभिन्न कार्यवाही की है तथा उसका क्या परिणाम निकला है?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) 31-3-1973 को सीधी वापसी के 6918 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कर-वापसी के अनिर्णित पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार है:--

| अनिर्णीत पड़े रहने की तारीख | सीधी वापसी के अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या |
|---|---|
| 31-3-1971 . . . . . | 4,088 |
| 31-3-1972 . . . | 10,043 |
| 31-3-1973 . . . . . | 6,918 |

(ग) कर-वापसी के मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए किये गये वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

**वैधानिक उपाय :**

कर-वापसी की मंजूरी देने के लिए कानून के अन्तर्गत समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके समाप्त होने पर सरकार निर्धारिती को वापसी की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने पर बाध्य है ।

**प्रशासनिक उपाय :**

(i) सीधी वापसी के मामलों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए कर-वापसी परिमंडल स्थापित किये गये हैं । ऐसे परिमंडल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।

(ii) विभाग द्वारा देश भर में कर वापसी सप्ताह मनाए जा रहे हैं ताकि वापसी के मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।

(iii) वापसी के दावों के निपाटन में विलम्ब के बारे में शिकायतें रिकार्ड करने के लिए आयकर आयुक्तों और निरीक्षी सहायक आयुक्तों के कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर रखा गया है ।

(iv) वापसी के मामलों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पर बल देने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(v) आयकर अधिकारियों के काम को आंकने के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें एक ऐसे कालम की व्यवस्था की गई है जिसमें निरीक्षी सहायक आयुक्त से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस बात पर अपना मत व्यक्त करें कि सीधी वापसी के आवेदन तीन महीने के भीतर निपटा दिये गये हैं अथवा नहीं ।

(vi) सीधी वापसी के दावों के निपटान के बारे में मासिक रिपोर्टें आयकर आयुक्त के माध्यम से बोर्ड के पास पेश की जानी आवश्यक हैं। इन रिपोर्टों से ऐसे वापसी दावों के निपटान पर निगरानी रखी जाती है ।

(vii) कर-वापसी के जिन मामलों में विलम्ब हुआ हो, उनमें निर्धारिती द्वारा ब्याज की मांग न किये जाने पर भी ब्याज अदा करने के लिए निर्देश दिये गये हैं ।

किये गये विभिन्न उपायों के परिणामतः सीधी वापसी के अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या घटकर 31-3-1973 को 6918 रह गई जबकि 31-3-1972 को यह संख्या 10,043 थी ।

**चाय, काफी तथा औषधीय जड़ी बूटी का निर्यात**

2898. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में और वर्ष 1973 में अब तक में चाय, काफी और औषधीय जड़ी बूटी जैसे पौधे के उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) क्या पौधे के उत्पादों, विशेषकर जड़ी-बूटियों के निर्यात में सरकार कोई सहायता देती है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) चाय, काफी तथा सुगंधित सामग्री औषधि आदि में प्रयुक्त होने वाले पौधों के बीजों आदि के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नौकत प्रकार हैं :—

(आंकड़े रु० में हैं तथा अनन्तिम हैं)

| वस्तु | वर्ष 1972-73 | वर्ष 1973-74 |
|---|---|---|
| 1. चाय . | 153,09,00,000 | 51,85,00,000 (अप्रैल 1973 से अगस्त 1973 तक) |
| 2. काफी | 32,93,00,000 | 29,32,00,000 (अप्रैल 1973 से अक्तूबर 1973 तक) |
| 3. औषधियां जड़ी बूटियां (अर्थात् सुगन्धित सामग्री तथा औषधि आदि में प्रयुक्त होने वाले पौधों के बीज आदि) | 4,96,00,000 | 77,00,000 (अप्रैल 1973 से मई 1973 तक) |

(ख) पौधे के उत्पादों को जिनमें औषधीय जड़ी बूटी आदि भी शामिल है, निर्यात करने के लिए निम्नलिखित सहायता दी गई है :

**चाय :**

चाय निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की रिबेट दी गई है जो कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

**काफी** :

(1) घरेलू बाजार में खरीदी गई कच्ची काफी तथा साधित काफी के विनिर्माण में प्रयुक्त काफी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट देना।

(2) निर्यातित फ्रैंच काफी के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल पर सीमा शुल्क की वापसी।

(3) यदि निर्यात कीमतें घरेलू कीमत से अपेक्षाकृत उंची हैं तो निर्यात बिक्री तथा पूल बिक्री में औसत कीमतों के बीच अन्तर के आधार पर निर्यातकों से प्रीमियम एकत्रित किया जाएगा लेकिन निर्यात संवर्धन उपाय के तौर पर जब तक यह अन्तर 25/- रु० तक नहीं पहुंचता कोई प्रीमियम एकत्रित नहीं किया जाता जबकि इस सीमा से अधिक पूर्ण अन्तर एकत्रित किया जा रहा है।

यदि घरेलू कीमतें निर्यात कीमतों की अपेक्षा अधिक हैं तो साधित काफी के निवल भार में कच्ची काफी की मात्रा पर छूट दी जाती है बशर्ते कि कच्ची काफी घरेलू बाजार में खरीदी गई हो।

(4) इसके अतिरिक्त इन्स्टैंट काफी के विनिर्माताओं को निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 5 प्रतिशत तक मशीनरी/फालतू हिस्सों के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

**औषधीय जड़ी बूटियां (अर्थात् सुगन्धित सामग्री औषधी आदि में प्रयोग होने वाले पौधे के बीज जड़ी बूटियां)**

कुछ नहीं।

**मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अक्सर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का निर्धारण**

2899. **श्री ई० बी० विखे पाटिल**: क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश में उन क्षेत्रों का निर्धारण किया है जहां अक्तूबर में सूखा पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री: [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी]**: (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक वर्षण विचलन (25% से अधिक के वार्षिक वर्षण विचलन की 20% संभाव्यता) के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र 'सूखा-उन्मुख' (ड्राउट प्रोन) क्षेत्र कहलाएंगे :—

राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, रायल-सीमा, कर्नाटक के आन्तरिक भाग, गुजरात के कुछ भाग, तथा उत्तरी बिहार का एक भाग व उसके निकटवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों तथा व्यापारों को वित्तीय सहायता दिया जाना**

2900. **श्री आर० बी० बड़े**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह आदेश दिया गया है कि उद्योगों तथा व्यापारों को उन बैंकों द्वारा दिये गये कृषि संबंधी ऋणों के अनुपात में ही वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या अनुपात निर्धारित किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)**: (क) और (ख) यद्यपि ऐसा कोई अनुपात निर्धारित नहीं हुआ है तथापि लक्ष्य यह कि सभी वास्तविक उत्पादन आवश्यकताओं के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। कृषि उन क्षेत्रों में से एक है जिनकी मूल भूतकाल में उपेक्षा की गयी है और इसलिए नीति में इस बात पर बल दिया है कि इस क्षेत्र को अधिक मात्रा में ऋण दिया जाए। साथ ही उद्योग और व्यापार की सभी वास्तविक आवश्यकताओं का वित्त-पोषण किया जाता है।

**जाली बैंकिंग फर्मों द्वारा किया जाने वाला व्यापार**

2901. **श्री आर० बी० बड़े**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विभिन्न फर्में चिट फंड सेविंग यूनिट्स तथा वित्त कम्पनियों के नाम से बैंकिंग कार्य कर रही हैं; और

(ख) इस प्रकार जाली बैंकिंग फर्मों के कार्य को सीमित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

**वित मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है कि कोई फर्म चिट फण्ड/बचत एकक/वित्त कम्पनी के नाम से बैंक कार्य कर रही है। तथापि बैंक, हाल ही में अखिल केरल चिट्टी कर्मचारी संघ और अखिल केरल प्राईवेट बैंक कर्मचारी संघ, कोट्टायाम से प्राप्त एक शिकायत की जांच पड़ताल कर रहा है जिसमें कहा गया है कि कई प्राईवेट बैंक और चिट्टी संस्थान वही कार्य कर रहे हैं जो वाणिज्यिक बैंक करते हैं।

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 49 क के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के अलावा किसी व्यक्ति को चैकों द्वारा जमा रकमों की निकासी को स्वीकार करने के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिबन्ध है और इसका उल्लंघन अधिनियम, की धारा 46(4) के अन्तर्गत दण्डनीय है । रिजर्व बैंक के ध्यान में जब कोई उल्लंघन की बात आती है तो बैंक द्वारा, जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है सम्बद्ध पार्टियों के साथ मामला उठाया जाता है ।

**Recovery of Arrears of Income-Tax**

2902. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total estimated amount of Income tax arrears yet to be realised; and

(b) the measures proposed to be taken by Government to realise Income-tax arrears ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan)** :(a) The net arrears of Income-tax yet to be realised as on 31-3-73 amount to Rs. 483.10 crores.

(b) The measures already taken by Government and proposed to be taken to realise income-tax arrears are given in the Statement.

**Statement**

During the recent years, the Government has taken the following specific measures to speed up collections of outstatnding income-tax arrears :—

(i) Prior to 1961, recovery of tax arrears was done by State authorities who could not evince sufficient interest in the collection of revenue. The 1961 Act, therefore, incorporated a selfcontained Recovery Code and made psovision for Tax Recovery Officers who could be Departmental Officers. Tax Recovery work has been taken over in all the charges by the Commissioners of Income-tax except for three districts of West Bengal and the Andaman Nicobar Islands.

(ii) Introduction of the scheme of functional distribution of work *i.e.*, the collection of taxes has been made the specific function of one or more Income-tax Officers in the Range, 233 Income-tax Officers all over India are now attending to this work.

(iii) Acceptance of crossed cheques by the Department and opening of special receipt counters for this purpose in the Income-tax Offices.

(iv) Publication of names of assessees who are defaulters in the payment of taxes over certain prescribed limits.

(v) Arrear Clearance Fortnights are being observed all over the country. During this period, special emphasis is laid on carrying out pending adjustments/rectifications giving effect to appellate orders and collecting the net demand due from the assessees.

(vi) 173 officers of the Income-tax Department have been appointed as Tax Recovery Officers all over India. 50 more posts of Tax Recovery Officers have been sanctioned reeently. 5 officers of the status of Commissioners of Income-tax and a number of Additional Commissioners of Income-tax are working as tax Recovery Commissioners.

(vii) The time limit for completing the assessments has been reduced to two years after the end of the assessment year.

A Special Cell has been formed in the Office of the Central Board of Direct Taxes, to scrutinise and review individual cases where arrears of more than Rs. 10 lakhs are outstanding to give proper guidance to field officers to take effective follow-up action:

With a view to tackling the problem of tax arrears and evolve a firm policy, the Minister of State in the Ministry of Finance had discussions with Chairman and Members of the Central Board of Direct Taxes, Commissioners of Income-tax in the charges of Delhi, West Bengal, Madras, Kanpur and Lucknow and the representatives of the Officers Federation and Associations. As a result of these discussions, the following steps are being taken on priority basis.

(1) Strengthening the cadre of Income-tax Officers and Tax Recovery Officers.

(2) Augmenting the number of Assistant Commissioners of Income-tax for speedy disposal and clearance of arrears of appeals.

(3) New procedure has been evolved for the speedy write off of irrecoverable demands.

(4) Expediting adjustment of taxes already paid, disposal of applications for rectifications and orders to give effect to appellate orders.

(5) Requesting the appellate authorities to take up all appeals and references where large demands are involved on a priority basis.

(6) Enlisting of the co-operation of officers through their respective Associations and Federation.

Member (Budget), Central Board of Direct Taxes has been holding discussions with the Commissioners of Income-tax to guide them in tackling this problem with particular reference to cases involving large demands.

The Wanchoo Committee have made a number of recommendations some of which have been incorporated in the Taxation Laws. (Amendment) Bill, 1973 now before the Select Committee.

**Smuggled Goods seized in Maharashtra**

2903. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled goods seized in Maharashtra during the last three years;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this connection as also the nature of action taken against them; and

(c) the value of gold, in Indian currency out of the goods so seized ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c)** The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

**Smuggled Goods Seized in Rajasthan**

2904. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled goods seized in Rajasthan during the last three years;

(b) the number of persons against whom action has been taken indicating the nature thereof; and

(c) the value of gold in rupees out of the smuggled goods so seized ?

**The Minister of Finance (Shri Yeswantrao Chavan) :** (a) The quantity of smuggled goods seized in Rajasthan during the last three years is as follows :-

| | |
|---|---|
| **1971** | |
| Gold | 12,264 grams |
| Silver | 3,463 grams |
| Watches | 537 |
| Synthetic yarn | Rs.19,000 |
| Synthetic Fabric | Rs. 7,000 |
| Other goods | Rs. 8 lakhs |
| **1972** | |
| Gold | 18,430 grams |
| Silver | 815 Kg. |
| Watches | 2,962 |
| Synthetic Yarn | Rs.30,000 |
| Synthetic Fabric | Rs.46,000 |
| Precious Stones | 76,608 cts. |
| Other goods | Rs. 6 lakhs |
| **1973 (Upto September)** | |
| Gold | 2,590 grams |
| Silver | 30Kg. |
| Watches | 1,424 |
| Synthetic Yarn | Rs.4,000 |
| Precious Stones | 33,975 cts. |
| Other goods | Rs.11 lakhs |

(b) Number of persons arrested in connection with the above mentioned seizures is:—

| | |
|---|---|
| 1971 | 18 |
| 1972 | 20 |
| 1973 (Upto Sept.) | 17 |

Criminal prosecution and/or departmental action for imposion of personal penalties against those persons is taken having regard to the evidence available.

(c) The approximate value of the seized gold at the Indian market rate is as follows:—

| | |
|---|---|
| 1971 . . . . . | Rs. 3 lakhs |
| 1972 . . . . . | Rs. 6 lakhs |
| 1973(Upto Sept.) . . . . . | Rs. 76.000 |

**Overtime Allowance paid to the Employees of Commerce Ministry**

2905. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the emplyees working in his Ministry has considerably increased as compared to that paid during the years 1970-71 and 1971-72 ;

(b) if not the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the said financial years ;

(c) whether Government propose to effect a cut in the amount of Overtime Allowance to be paid during the financial year 1973-74, keeping in view the financial crisis; and

(d) Government's prospective policy and planning in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C.George)** : (a) While the over-time allowance expenditure incurred during the financial year 1972-73 had slightly increased as compared to that incurred during 1970-71, it has considerably decreased as compared to 1971-72.

(b) Details of overtime allowance expenditure incurred during the last three financial years are as under :-

| Year | Amount |
|---|---|
| 1970-71 . . . . . | 2,09,145 |
| 1971-72 . . . . . | 2,62,685 |
| 1972-73 . . . . . | 2,19,202 |

(c) Ministry has already restricted grant of overtime allowance to 1/4 th of the monthly emoluments of the members of staff except incase of personal staff and the staff working in Parliament Section during Parliament session.

(d) According to Government decision on the recommendation of the Third Pay Commission regarding overtime allowance the system of grant of overtime allowance in non-industrial establishments shall continue but the conditions under which this allowance may be granted shall be tightened.

**Temporary Employees in the Ministry of Finance**

2906. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of employees who are still temporary even after rendering five years of service in his Ministry; and

(b) the action proposed to be taken by Government to make them permanent ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b)** The total number of employees in the Ministry of Finance proper who have rendered more than five years' service and who are still temporary is 322. Confirmation of temporary employees as permanent depends on availability of permanent vacancies and also their suitability for this purpose. Reviews are undertaken from time to time to convert temporary posts in to permanent ones, subject to the prescribed norms being fulfilled, and to make the eligible personnel permanent against those posts.

**"बिग होजरी यूनिट्स कारनरिंग रैग्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार**

2907. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बिग होजरी यूनिट्स का कारनरिंग रैग्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख) जी हां । आयातित ऊनी चीथड़ों की खुले बाजार में बिकने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा अखबारों में भी इसके समाचार आए हैं । इससे, कुछ हद तक भारत के ऊनी वस्त्र उद्योग के हौजरी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है । हौजरी निर्यातों के आधार पर चीथड़ों का आयात करने की अब अनुमति नहीं है । चूंकि चीथड़े शाडी उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हैं और वे भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उनका आयात करना आवश्यक है । तथापि उनका आयात सीमित कर दिया गया है और अब इसकी अनुमति केवल वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए तथा शाडी कंबलों के निर्यात की एवज में है । इसके अलावा चीथड़ों के रूप में आयात किए जाने वाले ऊनी सिले-सिलाये वस्त्रों को भारत में भेजने से पूर्व अनिवार्य रूप से काट-छांट देना जरूरी है । चीथड़ों के रूप में पहनने योग्य सिले-सिलाये वस्त्रों का आयात समाप्त करने के लिए ऊनी चीथड़ों की परिभाषा संशोधित की गई है । चीथड़ा विरोधी समिति द्वारा लगाए गए आरोप भी अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं ।

**रेयन, स्टेपल धागे और नायलोन धागे के वितरण के बारे में अखिल भारतीय बुनकर एसोसियेशन द्वारा दिया गया अभ्यावेदन**

2908. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय बुनकर एसोसियेशन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए रेयन, स्टेपल धागे और नायलोन धागे के वितरण की वर्तमान व्यवस्था को बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) सरकार को इस विषय पर अखिल भारतीय बुनकर संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कर्मचारियों को कम दरों पर वेतन का दिया जाना**

2909. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

**डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल डिजाइन तथा डेवेलपमेंट सैन्टर नई दिल्ली तथा अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के लगभग 80 कर्मचारियों में से 46 कर्मचारी दैनिक मजूरी तथा वैसे ही कार्य के लिए बाजार से बहुत कम मजूरी पर काम कर रहे हैं हालांकि उनमें से कुछ आठ अथवा दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनके कार्य की शर्तों तथा वेतनमानों में सुधार किया जाये;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के रीजनल डिजाइन तथा डेवलपमेंट सेन्टर नई दिल्ली के कर्मचारियों की कुल संख्या 62 है । इनमें से 25 सामान्यतः देय दैनिक मजूरी पर हैं तथा उनमें से केवल 7 की नौकरी 8 वर्ष से अधिक की है।

(ख) जी हां।

(ग) (1) सवेतन छुट्टियां;

(2) सरकारी आवास का आवंटन;

(3) नियमित वेतनमानों पर नियुक्ति।

(घ) सरकार कुछ नियमित पदों को बनाने की कोशिश कर रही है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता विभाग के अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन का दिया जाना**

2910. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता विभाग तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के अध्ययन दल ने राष्ट्रीकृत बैंकों में धोखाधड़ी तथा अन्य कदाचारों की रोकथाम के लिए की जाने वाली कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) कार्मिक विभाग मंत्रीमण्डल परिषद् के कथन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट करने के लिये एक अध्ययन दल का संगठन किया है जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव तथा बैंकिंग विभाग और केन्द्रीय जांच कार्यालय के एक-एक प्रतिनिधि हैं। अध्ययन दल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) सरकार, अध्ययन दल के निष्कर्षों स सामान्यतः सहमत है। विभिन्न बैंकों तथा सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उन सिफारिशों के आधार पर कारवाई की जा रही है।

**नगरों का 'ए' श्रेणी में सम्मिलित किया जाना**

2911. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन प्रमुख नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें श्रेणी 'ए' में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) क्या अहमदाबाद को उक्त श्रेणी से निकाल दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगी तथा नए साक्ष्यों के आधार पर अहमदाबाद जैसे नगरों को श्रेणी 'ए' में सम्मिलित करेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, 1 नवम्बर 1973 से पूर्व नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए नगरों का वर्गीकरण, 1971 की जनगणना रिपोर्ट में दी गयी संबंधित निगमों/नगरपालिकाओं की आबादी की आबादी के आधार पर किया जाता था। इस आधार पर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद को 'ए' श्रेणी में सम्मिलित किया गया था, परन्तु अहमदाबाद को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय किया गया है कि 1 नवम्बर 1973 से नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के प्रयोजनार्थ शहरों का वर्गीकरण, 1971 की जनगणना रिपोर्ट में दिखाये गये संबंधित शहरी क्षेत्र की आबादी के आधार पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं, और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए अहमदाबाद को अब श्रेणी 'ए' में शामिल किया जाएगा।

**इण्डियन एयरलाइंस की अनियमित उड़ानें**

2912. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानें नियमित रूप से अनियमित है जिससे यात्रियों को समय की बरबादी के साथ-साथ बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं तथा संदेह रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो परिस्थिति को शीघ्र तथा कुशलता-पूर्वक सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने 3 कारवेल विमान पट्टे पर लिए हैं, जिनमें से 2 आ चुके हैं तथा तीसरे के शीघ्र ही आने की आशा है। इंडियन एयरलाइंस का 4 बोइंग विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिनके कि 1974 के अंत के लगभग प्राप्त हो जाने की आशा है। अपने विमान-बेड़े में प्रस्तावित बढ़ोतरी होने पर, इंडियन एयरलाइंस के सेवाओं की नियम-पूर्वकता एवं समय-पाबंदी में काफी सुधार होने की आशा है।

**विकासशील देशों को उनके निर्यात के संबंध में विशेष रियायतें देने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स की सिफारिश**

2913. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स ने हाल ही में विकसित देशों से यह अनुरोध किया है कि विकासशील देशों को उनके निर्यात के संबंध में विशेष रियायतें दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) समाचार पत्रों में ऐसा समाचार आया है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के महासचिव, जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी, बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल ने विकसित देशों से कहा है कि वे विकासशील देशों को उनके निर्यात बढ़ाने के प्रयास में विशेष रियायतें दें। तथापि संकल्प अथवा सिफारिशों की प्रतियां, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा स्वीकार किया गया है, अभी तक भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है ।

**व्यापार वार्ता के बारे में भारत-कनाडियन आर्थिक परामर्श**

**2914. श्री नरेन्द्र सिंह :**

**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के बारे में भारत कनाडियन आर्थिक परामर्श की वार्षिक बैठक दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(ग) क्या ऊर्जा संसाधनों के उपयोग तथा लौह मिश्र के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई नया करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) भारत सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच पहला आर्थिक परामर्श नवम्बर, 1973 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) बात चीत उन विस्तृत पहलुओं पर हुई जिनमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग संभव है। बातचीत आर्थिक सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों विशेष रूप से भारत को कनाडा की विकास सहायता, दोनों देशों के बीच व्यापार, भारत, कनाडा तथा किसी तीसरे देश में संयुक्त उद्यम, खाद्य, नागरिक विमानन तथा पर्यटन, तथा विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने तथा अभिज्ञात करने के बारे में हुई ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**पंजाब विद्युत् बोर्ड द्वारा बाजार से ऋण लेने के लिये किया गया अनुरोध**

2915. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विद्युत बोर्ड ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए बाजार से 10 करोड़ का ऋण लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) चालू वर्ष में ऐसा कोई अवि आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**श्रेणी-2 के आयकर अधिकारियों की पदोन्नति**

2916. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी 2 के आयकर अधिकारियों की पदोन्नति उतनी शीघ्रता से नहीं होती जितनी शीघ्रता से अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनकी पदोन्नति के लिए कोई प्रस्ताव अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

**यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन**

2917. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार चाहता है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लि यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूंजी को "गैर भेदभावपूर्ण" भूमिका द्वारा अदा करने दे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक सहयोग करार की विभिन्न बातों पर, जिसमें एक दूसरे के प्राकृतिक, प्रोद्योगिकीय तथा अन्य संसाधनों से लाभ उठाने का प्रश्न भी शामिल है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत चल रही है।

**सर्जिकल उपकरणों का निर्यात**

2918. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट स्थित सर्जिकल उपकरण संयंत्र को भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सर्जिकल उपकरणों के प्रमुख निर्यातक के रूप में मान्यता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को गत तीन वर्षों में निर्यात से कितनी आय हुई ; और

(ग) क्या सरकार इसे निर्यातन्मुख उद्योग मानने और अधिकतम संरक्षण प्रदान करने को तत्पर है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्जिकल उपकरण संयंत्र द्वारा सर्जिकल उपकरणों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

| | |
|---|---|
| 1970-71 . . . . . | 29.13 लाख रुपये |
| 1971-72 . . . . . | 45.91 लाख रुपये |
| 1972-73 . . . . . | 50.71 लाख रुपये |

(क्षेत्र इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) संयंत्र को 'निर्यात अभिमुख' उद्योग के रूप में मान्यता देना इसके उत्पादन के संबंध में इसके निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा।

**अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में काफी की बढ़ती हुई मांग**

2919. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय काफी की मांग बढ़ती जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार काफी के वर्तमान उत्पादन से किव में बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) काफी का वर्तमान उत्पादन 90,000 मे० टन है। वर्ष 1972-73 की फसल के मौसम के लिए उत्पादन लक्ष्य 89,400 मे० टन था और 31-10-73 तक इसमें से 89,873 मे० टन पूल में प्राप्त हो चुका है। वर्ष 1973-74 की फसल के दौरान इतना ही उत्पादन होने का अनुमान है। वर्तमान उत्पादन स्तर मे बढ़ते हुए निर्यात बाजार तथा आंतरिक मांग को पूरा होना संभव हो जाएगा। ऐसी आशा है कि पांचवीं योजना अवधि के अंत तक मुख्य रूप से उपज बढ़ने तथा साथ ही नये क्षेत्रों में उत्पादन होने के कारण 1,14,000 मे० टन तक उत्पादन पहुंच जायेगा। अनुमान है कि पांचवीं योजना अवधि के अंत तक निर्यात 61,000 मे० टन तक पहुंच जायेगा जिसकी पूर्ति बढ़ते हुए उत्पादन से सुगमता से हो सकेगी।

**बम्बई जल प्रदाय एवं निकासी परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की ओर से विशेष ऋण**

2920. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने बम्बई जल प्रदाय एवं निकासी परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के प्रथम चरण के लिए 5.5 करोड़ डालर का ऋण देना स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के लिए इससे पहले किसी अन्य देश की ओर से भी ऋण प्राप्त हुआ है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के लिए भूतकाल में कोई अन्य विदेशी ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

**फ्लाइंग क्लब**

2921. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 25 वर्षों से फ्लाइंग क्लबों की संख्या 12 से बढ़कर 24 हो गई है ;

(ख) परन्तु सरकार के बजट में व्यवस्था प्रतिवर्ष 35 लाख पर ही स्थिर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन क्लबों को संरक्षण न देने के क्या कारण हैं जब कि वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) फ्लाइंग क्लबों की संख्या 1948 में 9 से बढ़कर 1973 में 25 हो गयी है।

(ख) जी नहीं। वर्ष 1948 के दौरान फ्लाइंग क्लबों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता लगभग 8 लाख रुपये थी जबकि वर्ष 1973-74 के लिए 28.78 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पटसन उत्पादकों को सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत नियत न्यूनतम मूल्य न देना**

2922. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन उत्पादकों से पटसन की वसूली न कर पाने के कारण पटसन उत्पादकों को सांवधिक उपबंधों के अंतर्गत नियत 157.66 रुपये का न्यूनतम मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) चालु मौसम के दौरान सरकार ने कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है। 157.68 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत औसत खरीद कीमत है जिस पर भारतीय पटसन निगम द्वारा अपनी वाणिज्यिक खरीददारियां करने की आशा की जाती है और अबतक की गई खरीददारियां कलकत्ता में असम बाटम किस्म के लिए औसतन इस कीमत से अधिक पर की गई हैं।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में नई शाखाएं खोलना**

2923. **श्री विक्रम महाजन :**

**श्री नारायण चन्द पारनशर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिये हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया;

(ख) किन-किन स्थानों पर नई शाखाएं खोली गई हैं और ये बैंक कब खोले गए; और

(ग) किन-किन स्थानों पर नई शाखाओं के खोलने की अनुमति दे दी गई है परन्तु अभी तक खोली नहीं गई और ये शाखाएं कब तक खोली जाएंगी ?

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) नेतृत्व (लीड) बैंक योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकों से, उन्हें आवंटित जिलों का, अन्य बातों के साथ-साथ इस दृष्टि से सर्वेक्षण करने की अपेक्षा की जाती है कि वे वहां उन विकास केन्द्रों का निर्धारण करें जहां बैंक कार्यालय खोलने की क्षमता है। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में कार्यालय खोलने के लिये बैंकों द्वारा अनुबन्ध I में दिये गए 76 केन्द्रों का निर्धारण किया गया था। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5870/73]** इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, समय-समय पर बैंक विभिन्न केन्द्रों का मूल्यांकन करते हैं ताकि बैंक कार्यालय खोलने की दृष्टि से उनकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके।

(ख) सम्बद्ध सूचना अनुबन्ध II में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5870/73]**

(ग) वाणिज्यिक बैंकों के पास, जैसा कि अनुबन्ध III में बताया गया है, 37 कार्यालय और खोलने के लिये लाइसेंस/आवंटन हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया,/देखिये संख्या एल० टी० 5870/73]** बैंकों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों के सम्बन्ध में 6 महीनों में तथा अन्य केन्द्रों के सम्बन्ध में एक वर्ष में लाइसेंसों को कार्यान्वित करेंगे।

**राज्यों को उनके कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करने के लिये वित्तीय सहायता**

2924. **श्री विक्रम महाजन :**

**श्री ए० के० गोपालन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपने कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करने के लिये किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इन में से प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी धनराशि की सहायता मांगी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

**खगौल में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी**

2925. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुख्य पटना नगर दानापुर के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और क्या उसे ध्यान में रखते हुए उसका विचार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिये पटना के सारे निगम क्षेत्र तथा दानापुर एवं खगौल की नगरपालिकाओं को एक नगरीय सामूहिकरण क्षेत्र (ऐग्लोमेटेशन) मानने का है; और

(ख) यदि हां, तो दानापुर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'सी' श्रेणी के नगर का नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने और खगौल में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अदा न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि पटना में काम करने वाले कर्मचारियों को 'बी-2' श्रेणी के नगर का नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जा रहा है और इस विषमता को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) स्थानीय सिविल प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार दानापुर, खगौल नगरपालिका का एक भाग है, जो पटना शहर से संसक्त नहीं है। तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता उन कर्मचारियों को देय होना चाहिये जिनका कार्य स्थल किसी शहर अथवा नगर के उस नगरीय क्षेत्र में कहीं भी पड़ता हो, जो क्षेत्र 1971 की जनगणना के प्रयोजन के लिये स्वीकार किया गया था। इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार खगौल (अथवा दानापुर) पटना नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं है।

(ख) दानापुर (खगौल) और दीनापुर दो भिन्न भिन्न स्थान हैं। मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन से दीनापुर को 'सी' श्रेणी का नगर वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है, जबकि खगौल को 'सी' श्रेणी का नगर वर्गीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि इसकी जनसंख्या 50,000 से कम है। दीनापुर में तैनात कर्मचारियों को कोई प्रतिपूर्ति (नगर निवास) भत्ता मंजूर नहीं किया जाता है।

**Scheme to set up four and five Star Hotels in Patna Town (Bihar)**

2926. **Shri Ramavater Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to set up four-star and five-star hotels in Patna town and, if so, the main features thereof;

(b) whether one of these hotels is proposed to be constructed in the ground of Adalatganj quarters where many employees of Patna High Court are residing with their families; and

(c) if so, whether the employees have protested against the construction of the hotel there and Government's reaction thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi)** : **(a)** The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, is constructin only one hotel at Patna, with 50 rooms. The hotel project has been planned for the 3 star category and is estimated to cost Rs. 50 lakhs. The foundation work is in progress.

Project plans of four hotels to be set up by private parties have also been approved by the Department of Tourism from the point of view of their suitability for foreign tourists. their category will be determined only after their inspection as functioning establishments.

(b) The ITDC project is not located on the Adalatganj grounds.

(c) Does not arise.

**Token Strike by Jute Workers on 5th November, 1973**

2927. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Jute workers in the country went on one day token strike on the 5th November, 1973 on the joint call of all the Central Trade Union Organisations including INTUC;

(b) if so, their demands; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a)** Yes, Sir.

(b) Central Trade Union Organisations have made the following demands :—

(i) Nationalisation of jute industry and raw jute trade.

(ii) Fixation of minimum statutory price of raw jute at Rs. 75 to 80 per maund.

(iii) Nationalisation of foreign trade in jute goods.

(c) Government do not consider that the steps demanded are practicable. The JCI has been asked progressively to expand its activities so as to purchase during 1975-76' the bulk of raw jute crop.

**प्रतिरक्षा लेखों के नियंत्रक के पटना कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

2928. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लेखों के नियंत्रक के पटना कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों का हाल ही में व्यापक स्तर पर स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और सरकार ने इस पर कितना धन व्यय किया; और

(ग) क्या इतने व्यापक स्तर पर स्थानान्तरणों के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा लेखों के नियंत्रक के पटना कार्यालय एवं बाहर के स्थानों पर स्थित इसके उपकार्यालयों का काम अस्त-व्यस्त हुआ है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) और (ख) बड़ी संख्या में तबादले नहीं हुए हैं। फिर भी सामान्य कार्यप्रणाली के अनुसार उपकार्यालयों के पदों को भरने और कठिन/अप्रीय स्थानों से कर्मचारियों को निकालने के लिये जुलाई 1973 से 208 तबादले किये गए थे, जिनमें कोई 83,000 रुपये का व्यय हुआ।

(ग) जी, नहीं।

**विदेशों में नये संयुक्त उपक्रम स्थापित करना**

2929. **श्री सतपाल कपूर :**

**डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कुछ नए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और विभिन्न देशों के साथ किये गए सहयोग समझौतों की शर्तें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) भारतीय उद्यमकर्ताओं को विदेशों में, स्वदेशी मशीनरी तथा उपस्कर और तकनीकी जानकारी अपनी शेयर पूंजी के रूप में देकर, औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये सीमित रूप में प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति अब भी जारी है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के ब्यौरे, विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये निर्धारित किये गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिये गए हैं, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर 2 मार्च, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर में रखी गई थी।

**दीर्घावधि निर्यात नीति का पुनरीक्षण**

2930. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष 1973–74 से 1976–77 के दौरान निर्यात में वार्षिक वृद्धि के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि 1974–79 के लिये निर्यातों की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रखी गयी है? उसका ब्यौरा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन कर लिये जाने के पश्चात् उपलब्ध किया जायेगा।

**डी० जी० सी० आई० एस० द्वारा एकत्रित निर्यात आंकड़े**

2931. **श्री बसंत साठे** :

**श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 22 अक्टूबर, 1973 के "टाइम्स आफ इंण्डिया" में पृष्ठ पांच पर "डी०जी०सी० आई० एस० रांग अगेन इन कम्प्यूटिंग एक्सपोर्टस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां।

(ख) समाचार का विषय नोट कर लिया गया है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋणों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया सर्वेक्षण**

2932. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्योरो द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के सांठगांठ के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के लिये नये आवेदकों का शोषण करने वाले बिचौलियों की एक नई श्रेणी उदित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का सामना करने के लिये क्या उपाय उठाए जाने हैं?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) केन्द्रीय सूचना कार्यालय ने सूचना दी है कि उन्होंने विशिष्ट मामलों की जांच को छोड़ कर इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग**

2933. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दक्षिण अफ्रीका की मंडियों में भारतीय वस्तुओं की मांग में सराहनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के लिए सिंगापुर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर की स्थापना इस क्षेत्र में भारतीय उत्पादों की बिक्री के लिए संवर्धन योजना का एक अंग है :

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का संकेत शायद दक्षिण एशियाई देशों अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंका की ओर है । भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर इन सभी देशों के साथ व्यापार करार किए हैं । हमारे बहुत निकट तथा सद्भावपूर्ण व्यापार संबंध हैं तथा और श्रीलंका को छोड़कर इन देशों को हमारे निर्यातों में वृद्धि हुई है । श्रीलंका को निर्यात में गिरावट मुख्यत: उनकी कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति तथा प्याज और लालमिर्च जैसी मदों के, जो कि पहले भारत से काफी बड़ी मात्रा में उनके द्वारा आयात की जाती थी, आयात सीमित करने के लिए उनके विनिश्चय के कारण आई ।

(ग) जी हां । विभागीय भंडारों के माध्यम से भारतीय उत्पादों विशेषत: उपभोक्ता सामान की बिक्री एशियाई देशों को भारतीय निर्यातों के संवर्धन के लिए किये गये उपायों में से एक है ।

(घ) तथा (ङ) : संभाव्यता का पता लगते ही और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होते ही यह खोला जायेगा ।

**ग्वालियर सिटी का दर्जा बढ़ाया जाना**

2934. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिये जाने के लिये ग्वालियर का दर्जा बढ़ाकर श्रेणी दो में लाये जाने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के प्रयोजनार्थ शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण के आधार के बारे में तृतीय वेतन आयोग की संगत सिफारिश पर सरकारी निर्णय के अनुसार इस प्रयोजन के लिये ग्वालियर शहरी क्षेत्र को श्रेणी-वी-2 में रखने के आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

**भारतीय बाजार में रुपये का तुलनात्मक मूल्य**

2935. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाजार में 1950, 1960, 1970 और आज रुपये का तुलनात्मक मूल्य क्या है ; और

(ख) नियत आय समूह को विभिन्न उपायों के माध्यम से क्या क्षतिपूर्ति दी गई है जिससे कि वे अपनी वास्तविक आय बनाये रख सकें ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) किसी निर्दिष्ट समय के संदर्भ में, मुद्राओं का आन्तरिक मूल्य प्रायः उपभोक्ता मूल्यों के सूचक अंकों के व्युतक्रमों के अनुसार आंका जाता है । 1949 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अधार पर संगणित रुपये की क्रय शक्ति 1950 में 99.0 पैसे, 1960 में 80.6 पैसे, 1970 में 44.6 पैमे और जनवरी, सितम्बर, 1973 की अवधि में 36.0 पैसे थी ।

(ख) अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के काफी बड़े भाग में, निर्वाह व्यय के सूचक अंक में वृद्धि और देय मंहगाई भत्ते की दर के बीच स्वतः मेल बिठाने की व्यवस्था है । इससे निश्चित आय समूह वाले व्यक्तियों की वास्तविक आय को बड़ी हद तक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है । इसके अलावा वेतन आयोगों और मजदूरी बोर्डों जैसे निकायों की सिफारिशों अथवा द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार, समय समय पर, परिलब्धियों में संशोधन किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, देय मंहगाई भत्ते और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच मेल बिठाने की व्यवस्था है और तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अगस्त, 1970, अक्टूबर, 1971 और अगस्त, 1972 से अन्तरिम राहत की तीन किस्तों की स्वीकृति दी गयी थी । वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली जनवरी, 1973 से श्रेणी II, III, और IV के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन कर दिया गया है । आयोग ने, 300 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के निर्वाह-व्यय में वृद्धि की पूरी पूर्ति करने की सिफारिश भी की है और इसे सरकार द्वारा मान लिया गया है ।

**तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना**

2936. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिये जाने के लिये नगरों का स्तर निर्धारित करते समय 'नगरीय समूहीकरण' को ध्यान में रखा जाए ; और

(ख) यदि हां तो उक्त सिफारिश के अनुसरण में किन-किन नगरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) **श्रेणी 'ए'** अहमदाबाद, बंगलौर

**श्रेणी 'बी-2'** : धनबाद, ग्वालियर, जमशेदपुर, लुधियाना, सलेम, तिरुचिरापल्ली,

**रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निरीक्षण किये गये बैंक**

2937. **श्री नवल किशोर सिंह :**

**श्री हेमेन्द्र सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वर्ष 1972-73 के दौरान तथा 31 अक्टूबर, 1973 तक कौन-कौन से तथा कितने बैंकों का निरीक्षण किया तथा प्रत्येक मामले में किन-किन दोषों का पता लगाया गया ; और

(ख) इस बारे में रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नवम्बर 1972 से अक्टूबर, 1973 के दौरान उसने संलग्न सूची के अनुसार 40 बैंकों का निरीक्षण किया है । निरीक्षण के दौरान जो त्रुटियां पायी गयी हैं वे प्रायः संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक हैं । मुख्यालयों द्वारा शाखाओं पर किये जाने वाले नियंत्रण से कुछ मामलों में सुधार की गुंजाइश रहती है कुछ अग्रिमों के बारे में आम तौर से रखी जाने वाली सावधानियां बरती नहीं गयी जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के अग्रिमों के थोड़े से भाग के सम्बन्ध में अवांछनीय बातें हुई । चूंकि निरीक्षण-रिपोट से प्राप्त ब्योरों का संबंध बैंकों के ग्राहकों से या ग्राहकों के मामलों से है, इस लिए इन ब्यौरों को वाणिज्यिक बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रकट नहीं किया जा सकता ।

(ख) भारतीय रिर्जव बैंक केन्द्रीय बैंक के रूप में किये जाने वाले अपने काम के अंग के रूप में, उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों के अनुसार बाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण भी करता है और नियत कालिक प्रगति रिपोर्ट मंगा कर या बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन उपयुक्त निदेश जारी करके या बैंकों के बोर्डों में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति करके, निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों को दूर करने के लिये आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करता है। इन रिर्पोटों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**विवरण**

1. अलगेमेन बैंक नीदरलैंड एन० बी०
2. अमेरीकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
3. बैंक आफ इण्डिया
4. बैंक आफ करद लि०
5. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लि०
6. बनारस स्टेट बैंक लि०
7. ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडल ईस्ट
8. कनारा बैंक
9. कैथोलिक सीरीयन बैंक लि०
10. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया
11. कारपोरेशन बैंक आफ इण्डिया लि०
12. धनलक्ष्मी बैंक लि०
13. गणेश बैंक आफ कुरुन्दबाद लि०
14. इण्डियन बैंक
15. कर्नाटक बैंक लि०
16. करूर व्यास बैंक लि०
17. काशी नाथ सेठ बैंक प्राइवेट लि०
18. कुम्बाकोनम सिटी युनियन बैंक लि०
19. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०
20. मर्केण्टाइल बैंक लि०
21. लार्ड कृष्णा बैंक लि०

22. मिन्मुई बैंक लि०
23. नारंग बैंक आफ इण्डिया लि०
24. नैनीताल बैंक लि०
25. नेशनल ऐण्ड ग्रिंडलेज़ बैंक लि०
26. न्यू बैंक आफ इण्डिया लि०
27. नेदुंगदी बैंक लि०
28. पंजाब और सिंध बैंक लि०
29. रत्नाकर बैंक लि०
30. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
31. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
32. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
33. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर
34. तंजोर परमेनैंट बैंक लि०
35. ट्रेडर्स बैंक लि०
36. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
37. युनाइटेड कामर्शियल बैंक
38. युनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक लि०
39. विजय बैंक लि०
40. व्यास बैंक लि०

**पर्यटकों को बिहार में आकर्षित करने की योजना**

2938. **श्री नवल किशोर सिंह :**

**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष बिहार में गया और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने अधिक पर्यटकों को बिहार के प्रति आकर्षित करने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी) (क) और (ख) :** जी हां, बिहार में बोधगया, राजगिर तथा नालन्दा महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्र हैं तथा अधिकांशतः दक्षिणपूर्वी एशिया व सदूर पूर्व के देशों से पर्यटक यहां आते हैं । इन केन्द्रों के लिए और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आवास, परिवहन, गाईड सेवा आदि के रूप में इन स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है । इन सुविधाओं की व्यवस्था करते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन स्मारकों का प्राकृतिक परिवेश तथा पर्यावरण किसी प्रकार बिगड़ने न पाये ।

**कुल्लू घाटी के भुन्तर के लिए अनियमित वायु सेवा**

2939. **श्री नारायण चन्द पारासर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू घाटी में भुन्तर के लिये वायु सेवायें वर्ष 1973 में अनियमित एवं अव्यवस्थित रहीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में इस स्थिति को सुधारने की कोई योजनायें हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा कुल्लू के लिये तथा वहां से परिचालित की जाने वाली विमान सेवाओं में खराब मौसम तथा अन्य ऐसे कारणों से, जो कि निगम के नियंत्रण से बाहर थे, देरियां हुईं तथा उन्हें रद्द करने की घटनाएं भी हुई ।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस, जहां तक संभव होता है, अपनी उड़ानों की समय सारणी के यथावत अनुपालन के सभी सम्भव प्रयत्न करती है ।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कार्यालयों की इमारतों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों को किराए के रूप में दी गयी अग्रिम राशि**

2940. **श्री नारायण चन्द पारासर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं ने अथवा स्टेट बैंक आफ इन्डिया की किसी शाखा ने वर्ष 1972 और 1973 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में अपने कार्यालयों की इमारतों के निर्माण के लिये किन्हीं गैर-सरकारी पार्टियों अथवा व्यक्तियों को किराये के रूप में अग्रिम धनराशि के भुगतान का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं तथा सम्बद्ध पार्टियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी अग्रिम धनराशि दी गयी ;

(ग) क्या इन शाखाओं का स्वयं अपनी इमारतें बनाने का विचार नहीं है ; और

(घ) क्या इन बैंकों ने इन पार्टियों का चयन, विज्ञापन अथवा सार्वजनिक घोषणा के द्वारा जनता को उचित सूचना देने के बाद किया था ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (घ) बैंकों के लिये अपने सभी कार्यालयों के लिये भवन बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे न केवल उनकी रकमें अवरुद्ध हो जायंगी बल्कि नये कार्यालय खोलने में भी अनावश्यक विलम्ब होगा । पहले बैंक, कार्यालय के लिये उपयुक्त स्थान के बारे में निर्णय करता है जो कि किसी केन्द्रीय स्थान पर होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र के भावी ग्राहकों के लिये सुविधाजनक होना चाहिए जिसमें उस कार्यालय द्वारा कार्य किये जाने की आशा है । विज्ञापन प्रकाशित करवा कर भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं । इमारत से सम्बन्धित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित मकान मालिक से बातचीत करके उस जगह को किराये पर या पट्टे पर ले लिया जाता है । कुछ मामलों में, भवन निर्माण के लिये उपयुक्त समझी गयी भूमि के मालिक को अग्रिम दे दिया जाता

है, या तो अग्रिम किराए के तौर पर, जो बैंक द्वारा किराए में समायोजित कर लिया जाता है या फिर ऋण के रूप में जो समुचित किस्तों में हिसाब में लग जाता है फरवरी, 1970 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया कि यद्यपि चुनी हुई इमारत के निर्माण, परिवर्तन आदि के व्यय को पूरा करने के लिये अग्रिम मंजूर करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तथापि अग्रिम की रकम उचित होनी चाहिए और निर्माण, परिवर्तन आदि की लागत के अनुरूप होनी चाहिए और सामान्यतः उसे इस इमारत के दस वर्ष के किराए से अधिक नहीं होना चाहिए । अनुदेशों में यह भी कहा गया है कि इन अग्रिमों की पुनर्दायगी की अवधि सामान्यतः दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उस जगह का किराया समुचित होना चाहिए तथा उस वस्ती में प्रचलित किरायों के अनुरूप ही होना चाहिए ।

(ख) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार बैंकिंग समव्यय (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 16 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के उपबन्धों के अनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों से सम्बन्धित या उनके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देने की अनुमति नहीं है । लेकिन बारह बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि दो बैंकों ने, हरियाणा और पंजाब में तीन बैंकों कार्यालयों की जगहों के लिये 1972 और 1973 में, प्राइवेट पार्टियों को कुल, 94 हजार रुपया अग्रिम किराए के रूप में दिया है जो बाद के महीनों में देय किराए में समायोज्य है ।

**अपने निजी वायुयानों वाले व्यक्तियों/फर्मों/संस्थानों द्वारा अदा की गई राशि**

2941. **श्री नारायण चन्द पारासर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन व्यक्तियों/फर्मों/संस्थानों के निजी वायुयान हैं ;

(ख) क्या इन विमानों की उड़ानों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ; और

(ग) इन वायुयानों के मालिकों द्वारा हवाई पट्टियों/हवाई अड्डों के उपयोग के लिये क्या वार्षिक प्रभार अदा किये जाते हैं ?

**संचार तथो पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (अनुबंध I) में दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5871/73]**

(ख) जी, हां । सभी विमानों के लिए, जिन में निजी विमान भी सम्मिलित हैं, उड़ान प्लानों को देने, विमान यातायात सेवा यूनिटों को उड़ानें अधिसूचित करने, आदि से संबंधित विमान यातायात नियंत्रण नियमों का पालन करना आवश्यक है । उड़ान से पहले उन के पास वैध उड़न-योग्यता प्रमाणपत्र होना भी आवश्यक है

(ग) सरकारी हवाई अड्डों का उपयोग करने वाले विमानों द्वारा देय अवतरण तथा विश्राम प्रभार विमान के कुल भार एवं उड़ान के प्रकार (अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्य प्रकार की) से सम्बद्ध हैं और वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची V में निर्धारित हैं, जिस में से सम्बद्ध उद्धरण संलग्न हैं (अनुबंध II) **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5871/73]**

**बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की सरकारी टकसालों में अप्रयुक्त क्षमता**

2942. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित सरकारी टकसालों में काफी अप्रयुक्त क्षमता है और यदि हां, तो उसका उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) 1971-72 और 1972-73 में, वर्ष-वार इन टकसालों ने औसतन कितने घंटे प्रति सप्ताह कार्य किया ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों में अलीपुर (कलकत्ता) तथा हैदराबाद की टकसालों ने प्रत्येक सप्ताह एक पारी के हिसाब से 60 घंटे कार्य किया जबकि बम्बई टकसाल ने दो पारियों में प्रत्येक सप्ताह 54 घंटे कार्य किया ।

**राजकोट में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का कार्यकरण**

2943. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार पांचवीं योजना अवधि में राजकोट जिले में नयी शाखाएं खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ।

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) राजकोट जिले में इस समय भारतीय राज्य बैंकों के 5 कार्यालय, सौराष्ट्र स्टेट बैंक के 22 कार्यालय (जो भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक है) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के 63 कार्यालय कार्य कर रहे हैं । इन बैंकों के पास राजकोट जिले में निम्नलिखित केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिये 14 लाइसेंस दिये गये हैं/आवंटन किये गये हैं :—

1. शिवराज गढ़
2. राजकोट—गायकवाड़ी (भूमि)
3. राजकोट (2 कार्यालय)
4. राजकोट ढेबर रोड
5. बांकानेर
6. राजकोट—माण्डवी चौक (2 कार्यालय)
7. राजकोट—जगन्नाथ (भूमि)
8. राजकोट—कोटचनगर
9. राजकोट कालावाड रोड (2 कार्यालय)
10. राजकोट—सोराठी वाडी
11. धोराजी—पटनावर रोड

**मुनाफाखोरों को बढ़ावा देने के लिये बैंकों द्वारा दिये गये ऋण**

2944. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 1973 के पैट्रियट में "बैंक क्रेडिट क्रेडिट्स टू फाइनेंस प्राफिटियरिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आल इण्डिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन ने बताया है कि वर्ष 1972-73 के वसूली काल के दौरान खाद्यान्न वसूली पर 74 करोड़ रुपये कम लगाये गये जब कि वर्ष 1971-72 में इस मद पर 163 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ;

(ग) क्या वर्ष 1972-73 में 884 करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया गया था ;

(घ) क्या वाणिज्यिक बैंकों और विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारी राशि के ऋणों के परिणाम स्वरूप धनाढ्य व्यक्ति अपना अतिरिक्त उत्पादन अपने पास रख सकते हैं और निर्माता तथा व्यापारी खाद्य पदार्थों सहित बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं का सट्टे पर आधारित स्टाक इकट्ठा कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है ।

(ख) 1972-73 के कामकाज के मौसम (कामकाज का मौसम अक्टूबर के अन्त से अप्रैल के अन्त तक की अवधि को माना जाता है ) के दौरान खाद्य वसूली संबंधी कार्यों के लिये दिये गये बैंक ऋणों में 1971-72 के कामकाज के मौसम में 71 करोड़ रुपये की कमी की तुलना में 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ङ) 1972-73 के कामकाज के मौसम के दौरान कुल 884 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे । यह सुनिश्चित करने के विचार से कि खाद्यान्नों, तिलहनों आदि जैसी सवेंदनशील वस्तुओं की जमाखोरी करने और सट्टे पर आधारित स्टाक इकठ्ठा करने के लिये बैंक ऋणों का दुरुपयोग न हो सके, भारतीय रिजर्व बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण की प्रणाली चलाता है । इस नियंत्रण के ढाचे में मोटे तौर से ये बातें आती हैं (1) अलग-अलग पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा निश्चित करना; (2) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की न्यूनतम दर लेना ; और (3) न्यूनतम मार्जिन चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंग के रूप में किये गये उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है और उत्पन्न होने वाली स्थिति के अनुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता है । हाल में किये गये परिवर्तन 16 नवम्बर, 1973 को घोषित किये गये थे जिनमें इन उपायों को और कड़ा बना दिया गया है ।

**कृषि वस्तुओं में अवैध वायदा व्यापार**

2945. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि वस्तुओं में अवैध सट्टेबाजी को रोकने के लिये वायदा व्यापार आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली में [अक्टूबर से दिसम्बर 1972 के दौरान पुलिस ने कुछ छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इन छापों के बाद वायदा व्यापार पुरानी दिल्ली में पंजाब एक्सचेंज लिमिटेड और चेम्बर आफ कलर एंड केमिकल्स, जैसे नये केन्द्रों पर अधिक विश्वासजनक एवं नये तरीके से प्रारम्भ हो गया और बिना किसी भी रोक के अभी भी चल रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावी रूप से इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ख) अवैध व्यापार पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया था ।

(ग) तथा (घ) कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा शिकायतों में बताये गये कृषि वस्तु के अवैध वायदा व्यापार को रोकने के लिये समुचित तथा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

**अखबारी कागज की कमी**

2946. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में अखबारी कागज की सम्भावित कमी के बारे में राज्य व्यापार निगम को सूचित कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के पर्याप्त स्टाक का समय पर प्रबन्ध करने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज के आयात सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अखबारी कागज क्रय समिति द्वारा किये गये विनिश्चयों के अनुसार किये जाते हैं । विश्वव्यापी कमी तथा विश्व के खपत वाले देशों में अखबारी कागज की बढ़ी हुई आवश्यकता के संबंध में अखबारी कागज की यथासंभव अधिकतम मात्रा आयात करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

**'एयर इंडिया टु पे 45,000 डालर पेनल्टी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

2947. **श्री जी० विश्वनाथन :**
**श्री सेझियान :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 1973 के 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण में 'एयर इंडिया टू पे डालर 45,000 पेनल्टी' (एयर इंडिया को 45,000 डालर दंड के रूप में देने हैं) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख)** अगस्त 1972 में एयर इंडिया दो यात्रा अभिकर्ताओं की मिलीभगत से एक धोखा-धड़ी तथा कदाचार का शिकार हो गया जिन्हों ने कि छल से एयर इंडिया के कुछ टिकट जारी कर दिये थे । अप्रैल, 1973 में एयर इंडिया के विरुद्ध यू० एस० सिविल एयरोनाटिक्स बोर्ड के पास शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिस में फेडरल एविएशन एक्ट के उल्लघंन का अभियोग लगाया गया था । कानूनी राय लेने तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात एयर इंडिया ने महसूस किया कि इस मामले में समझौता कर लेने में बुद्धिमानी होगी । तदनुसार उस ने एक अनौपचारिक समझौतें को मान लिया तथा यू० एस० सिविल एयरोनाटिक्स बोर्ड के साथ लम्बी खिचने वाली कानूनी लड़ाई व उस के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रचार से बचने के लिये 45,000 डालर के दण्ड का भुगतान किया ।

**वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में असम्बद्ध यूनियनों/एसोसियेशनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग**

2948. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्तर्गत कार्य कर रही विभिन्न यूनियनों/एसोसियेशनों के आयकर कर्मचारी फैडरेशन से अलग होने के बारे में पता है;

(ख) क्या असम्बद्ध यूनियनों/एसोसियेशनों ने इस मंत्रालय में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई विभागीय परिषद् में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो अलग होने के क्या कारण हैं तथा वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में पृथक प्रतिनिधित्व के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) सरकार को तीन कर्मचारी संघों से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने आयकर कर्मचारी महासंघ से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में पृथक प्रतिनिधित्व के लिये संबंधित तीन कर्मचारी संघों की प्रार्थना की जांच की जा रही है । इस संबंध में सरकार जब निर्णय कर लेगी, तब सम्बद्ध संघों और आयकर कर्मचारी महासंघ को उससे अवगत करा दिया जायेगा ।

**Agreement for cut in Export Duty with EEC**

2949. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been reached with the Common Market countries for a cut of 40 per cent in export duty in order to promote exports and provide incentives to industries of developing nations;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the effect it will have on India ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)**: (a) and (b) Agreement has been reached in principle with the Community on Jute and Coir goods. The main elements of this agreement are as follows :—

(i) The Common External Tariff on Carpet backing which is at present 22% would be reduced by 50% in two stages. The first reduction of 40% will take place on 1-1-1974 and the second reduction of remaining 10% will take place on 1-1-1975.

(ii) The Common External Tariff on other jute products (which is at present 8% on yarn and 15—20% on hessian and sacking)would be reduced by 60% in two stages—the first reduction of 40% on 1-1-1974 and the remaining reduction of 20% on 1-1-1975.

(iii) The Common Customs Tariff on Coir manufactures which is now 23% will be reduced to 16.2% on 1-1-1974 and 12.8% on 1-1-1975.

(iv) The ceiling for the exports of carpet backing to the enlarged Community would be 7670 metric tons for the year 1973. For every following year the ceiling will be increased by 10%.

The problem arising for India's exports of jute and Coir products to the New Member States (*viz.* U.K., Denmark and Republic of Ireland) on account of the possible introduction of a percentage of the Common Customs Tariff from the beginning of next year is still under consideration by the appropriate organ of the Community.

(c) As many imponderables are involved, it is not possible to quantify the effect of reduction of the Community's tariff on the exports of our jute and coir goods.

**मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के दौरों के बारे में अपनाए गए मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय**

2950. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रियों तथा विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों को (i) सामान्यत: तथा (ii) देश और विदेश के दौरों के समय मितव्ययिता उपाय बरतने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो सुझाये गये उपायों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) वर्ष 1972-73 तथा 31 अक्तूबर, 1973 के दौरान भारत में विदेशों के दौरों के समय (i) प्रधान मंत्री (ii) मंत्रियों तथा (iii) उच्च अधिकारियों के लिये मंजूर की गई विभिन्न राशियां क्या हैं;

(घ) इसी अवधि में (i) प्रधान मंत्री (ii) मंत्रियों तथा (iii) उच्च अधिकारियों के विदेशों के दौरों के लिये उन्हें भारतीय मिशनों तथा मेजबान देशों द्वारा दी गई सुविधाओं के अतिरिक्त सवारी भत्ते के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ङ) क्या सवारी संबंधी खर्च के उपयोगकर्त्ता को वाउचर पेश नहीं करने पड़ते ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) बजट व्यवस्था में कुछ कमी करने के अलावा यह हिदायत भी दी गई है कि गैर-जरूरी खर्च से बचा जाय तथा गैर-योजना व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता की जाय । इस प्रयोजना के लिये सुझाये गये अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :--

यात्रा खर्चे के लिए निर्धारित रकमों में सत्कार व्यय में, तथा आकस्मिक व्ययों में कटौती, पैट्रोल की खपत पर प्रतिबन्ध, विदेशों को भेजे जाने वाले शिष्टमण्डलों की संख्या, आवृत्ति तथा आकार में भारी कमी, नियत कालिक स्थानान्तरणों का स्थगन, सजावट तथा गैर जरूरी साज-सामान की वस्तुओं की खरीद पर रोक, टेलीफोन खर्चों में कमी, कुछ प्रकार के पदों के सृजन पर रोक, पेशगियों की स्वीकृति पर प्रतिबन्ध, गैर जरूरी भवनों के निर्माण कार्य का स्थगन आदि।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) खर्चे के समर्थन में प्राय: वाउचर पेश करने पड़ते हैं । जिन मामलों में यह सम्भव नहीं हो, उन मामलों में शिष्टमण्डल के नेता अथवा उस आधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र पेश करना होता है जिसको होने वाले व्यय के सम्बन्ध में निधियों का आवंटन किया जाता है और यह भी बताना पड़ता है कि वाउचर क्यों नहीं पेश किया जा सकता।

**पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव**

2951. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का (1) उपभोक्ता वस्तुओं, (2) मोटे अनाज सहित खाद्यान्न-वस्तुओं और (3) सामान्य औद्योगिक उत्पादों की मूल्य वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा अनुमान कब तक लगाया जाएगा ;

(घ) क्या पांचवीं योजना के अनुमानित परिव्यय पर तेल तथा तेल उत्पादों के मूल्य वृद्धि के प्रभाव के बारे में वित्त विभाग ने योजना आयोग से कोई चर्चा की है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) **से** (घ) पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर लगे उत्पादन शुल्क में हाल में की गयी वृद्धियों का विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन-लागत पर मामूली सा प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि ये उत्पाद उद्योग में काम आने वाली वस्तुओं के रूप में सीधे उपयोग में नहीं लाये जाते। दूसरी ओर, जहां तीव्र गति वाले डीजल पर लगे उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है उसे कम कर दिया गया है अतः उससे कृषि, परिवहन तथा विद्युत-उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं की लागत में कुछ कमी होगी।

(घ) **तथा** (ङ) योजना आयोग, आयोजना सम्बन्धी प्रलेख को अन्तिम रूप देते समय, पांचवीं आयोजना के वित्तीय परिव्ययों को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों पर सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श करते हुए विचार करेगा।

**सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण**

2952. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में (1) सूखाग्रस्त तथा (2) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये गये हैं ;

(ख) कृषकों को दिये गये ऋण की शर्तें क्या हैं और विभिन्न राज्यों में कृषकों को कितना ऋण दिया गया ;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1972-73 तथा चालू वर्ष के दौरान (1) शहरी तथा (2) ग्रामीण कारीगरों तथा टैक्सी रिक्शा और लघु व्यापार के लिए कितना ऋण दिया गया ; और

(घ) 21 अक्टूबर, 1973 को ऋण की कितनी राशि बकाया थी ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक देश के विभिन्न कृषि विकास प्रयोजनों के लिये, जिनमें सूखा तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं, किसानों को ऋण देते हैं। ये बैंक, इन क्षेत्रों के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई विशेष योजनाओं में, इन योजनाओं में निर्दिष्ट उचित शर्तों पर भाग लेते हैं। प्रभावित किसानों के लिये, ये बैंक सहायता के रूप में पुनर्अदायगी का फिर से कार्यक्रम बनाते हैं। केवल इन क्षेत्रों के लिये अग्रिमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसानों को जो प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम दिये गये थे उनकी बकाया राशि के राज्यवार

आंकड़े संलग्न विवरण संख्या 1 में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5872/73]

**(ग) और (घ)** शिल्पियों, टैक्सी तथा रिक्शा के लिये अलग से दिये गये ऋणों की राशियां उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, इन वर्गों के ऋण कर्ताओं को दिये गये अग्रिम के आंकड़े/व्यावसायिक तथा आत्म नियोजित व्यक्तियों तथा छोटे सड़क तथा जल परिवहन-चालकों के आंकड़ों में शामिल हैं। संलग्न विवरण संख्या 2 में, इन वर्गों के ऋणकर्ताओं तथा छोटे व्यवसायियों को दिये गये अग्रिमों की उपलब्ध राज्यवार तथा ताजा स्थिति और मार्च, 1973 के अन्त में उनसे बकाया रकमों की विवरण में दिखाया गया है।

**इलायची व्यापार में सामूहिक विपणन प्रणाली**

2953. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने 17 मार्च, 1973 को हुई बैठक में इलायची व्यापार में सामूहिक विपणन प्रणाली शुरू करने के बारे में संकल्प पारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसको क्रियान्वित किया गया हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ)** : एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

**विवरण**

(क) जी हां।

(ख) सामूहिक विपणन प्रणाली की मुख्य बातें तथा उद्देश्य ये हैं :—

(1) इलायची (छोटी) का समस्त उत्पादन काफी की तरह उपजकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत केन्द्रों पर बोर्ड को सुपुर्द किया जाएगी ;

(2) विभिन्न ग्रेडों के लिए न्यूनतम कीमतें नियत की जाएगी ;

(3) बागान मालिकों को लाभप्रद रूप में उचित ग्रेडिंग तथा वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जाएगी ;

(4) विश्व मांग तथा आंतरिक मांग पर आधारित विपणन नीति संभव हो जाएगी ;

(5) उत्पादन आंकड़ों तथा उत्पादकर्ता सम्बन्धी अध्ययनों में सुधार होगा ;

(6) कर चोरी जैसी बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकता है ;

(7) पट्टा अधिकार रखने वाले उपजकर्ता जो जिसकी प्रतिशतता काफी बड़ी है और जो उत्पादन साधनों के लिए ऋण सुविधाएं नहीं ले सकते हैं, संस्थागत कृत ऋण अभिकरणों से ये सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे ;

(8) अन्य उत्पादक देशों जैसे कि श्रीलंका, ग्वाटे माला तथा तांजानिया के साथ इलायची समुदाय बनाये जाने की आशा है, और संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही सामूहिक विपणन के माध्यम से देश में केन्द्रीय विपणन व्यवस्था के साथ ही संभव होगी ;

(9) गैर-सरकारी विक्रियों के वर्तमान उत्पादन में और लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ताओं द्वारा नीलाम में बागान मालिकों का कमीशन तथा नमूनों के रूप में सीधे ही भारी व्यय करना पड़ता है परन्तु सामूहिक विपणन में सभी विपणन व्यय बिक्री कीमत में शामिल किया जाएगा और बागान मालिकों पर कोई भार नहीं पड़ेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि सामूहिक विपणन की प्रस्थापना के अन्तर्गत मूल परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त है अतः सरकार विशेषतः विभिन्न अभ्यावेदनों के संदर्भ में, जिनमें संसद् सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं, इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना है।

**मयीथुरा (केरल) में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना-स्थल के बारे में निर्णय**

2954. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन निदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल ने मयीथुरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्तावित स्थल की जांच करने के लिये केरल में कोचीन के निकट शेरटल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थापना-स्थल के बारे में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी, हां। परन्तु यह एक अन्तर्देशीय विमानक्षेत्र के निर्माण के लिए स्थान के चयन के संबंध में था, अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र के लिये नहीं।

(ख) और (ग) सभी संभावित स्थलों की सर्वेक्षण रिपोर्टों का नागर विमानन विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

**1970 से 1973 तक की अवधि में मानव केशों, बन्दरों, सांपों और मेंढकों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय**

**2955. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में अक्तूबर तक मानव केशों, बन्दरों, सांपों और मेढकों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ख) इन वस्तुओं की खरीद करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के लिये कोई उपाय किए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख)** मानव केशों तथा बंदरों के सबंध में जानकारी नीचे दी जाती है :—

| मद | वर्ष | मूल्य हजार रुपये में | देश |
|---|---|---|---|
| मानव केश | 1970-71 | 20087 | जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, |
| | 1971-72 | 12649 | इटली, जापान, कोरिया गण- |
| | 1972-73 (से सितम्बर तक) | 2325 | राज्य, कुबैत, स्पेन, कोरिया, लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य |
| | 1972-73 (पूरा वर्ष) | 3027 | अफगानिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका, सेनिगल, फिजी द्वीप समूह, यूगोस्लाविया, सिंगापुर, सूडान. मलेयाशिया, नीदरलैंड तथा अन्य देश । |
| बन्दर . | 1970-71 | 2641 | कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन |
| | 1971-72 | 2196 | संघीय गणराज्य, हंगरी, इटली, |
| | 1972-73 (पूरा वर्ष) | 3523 | जापान, नीदरलैंड , ब्रिटेन, सं०रा० अमेरिका, सोवियत संघ, यूगोस्ला- विया तथा अन्य देश । |

सांप तथा मेंढक संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत नहीं किये गये हैं, जिसके आधार पर विदेश व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं।

(ग) बंदरों तथा सांपों का निर्यात , हमारे वन्य जीवन के परिक्षण के हेतु, केवल प्रतिबंधित आधार पर किये जाने की अनुमति दी जाती है। मेंढकों का निर्यात गुणावगुणा के आधार पर करने की अनुमति है क्योंकि मेंढक की टांगें जोकि अधिक मुद्रा अर्जित करती है, निर्यात की एक मुख्य मद है। मानव केशों का व्यापार बढ़ाने के लिए , 1970 के दौरान निम्नतम कीमत के प्रतिबंधों को हटा दिया गया तथा भुगतान संबंधी तथा विग और विगलेट के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

**देश में 'एयर-टैक्सी' सेवा**

2956. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'एयर-टैक्सी' सेवा आरंभ करने संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इस प्रयोग के लिये कौन-कौन से मार्ग चुने गये हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख)** फिलहाल इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

**पांचवीं योजना के दौरान लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय पर्यटन केन्द्रों की स्थापना**

2957. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय पर्यटन केन्द्र स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी)** : (क) और (ख) पर्यटन विमान का एक पर्यटन अधिकारी ब्राजील में कार्य कर रहा है, जिससे बोलीविया, अर्जेन्टीना तथा वेन्जुएला का कार्य भी देखने की आशा की जाती है। लेटिन अमेरिकन देशों में कोई अन्य पर्यटन कार्यालय स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**जामनगर को हवाई अड्डे से मिलाने वाली सड़क**

2958. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर को हवाई अड्डे से मिलाने वाली कोई ठीक सड़क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) शहर को हवाई अड्डे से मिलाने वाली ठीक सड़क के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) सरकार को जानकारी है कि एप्रोच रोड़ अच्छी हालत में नहीं है।

(ख ) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार एप्रोच रोड़ की मरम्मत व संधारण के लिये सहमत हो गयी है, बशर्ते कि रक्षा मंत्रालय (जिनके कि अधिकार में यह है) इसे राज्य सरकार को हस्तांतरित कर देते हैं। इस बात पर सहमति हो गयी है और शर्तें तैयार की जा रही हैं।

**Shortage and blackmarketing of cotton yarn**

2959. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether complaints regarding shortage and blackmarketing of cotton yarn are constantly being received for more than last six months; and

(b) if so, the efforts made by Government to improve the situation and the extent to which the situation has improved ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b)** The State Governments have been empowered to deal with cases of blackmarketing of cotton yarn. They have been urged to take severe action against proved cases of such malpractices. Distribution control over yarn of counts upto 80s has also been relaxed in view of the improved supply position.

**Advancement of loans to Cottage Industries and Animal Husbandry Industry**

2951. **Shri Nathu Ram Ahirwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for advancing loans to the cottage industries and animal husbandry industry in the rural and urban areas; and

(b) if so, the outlines thereof ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan)** : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**रुपयों में भुगतान करने वाले देशों के साथ दीर्घावधि व्यापार करार**

2962. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुपयों में भुगतान करने वाले देशों के साथ दीर्घावधि व्यापार करार करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत और टर्की के बीच व्यापार समझौता**

2963. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 से अब तक (वर्ष वार) भारत और टर्की के बीच कितना व्यापार हुआ, और

(ख) हाल ही में हुए व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच कितना व्यापार बढ़ने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) वर्ष 1970-71 से अब तक भारत तथा तुर्की के बीच व्यापार की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है:—

(मूल्य लाख रुपयों में)

| | निर्यात जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल हैं। | आयात |
|---|---|---|
| 1970-71 . . . . . | 29.00 | 70.00 |
| 1971-72 | 200.08 | 14.78 |
| 1972-73 . . . . . | 521.36 | 11.66 |

(ख) इस करार में भारत तथा तुर्की के बीच क्लीयरिंग प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यापार की व्यवस्था नहीं है और यह सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर तय की जा रही व्यापार संविदाओं पर निर्भर करता है।

**पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क**

2964. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1973 में मिट्टी के तेल, पैट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल के बढ़ाकर निर्धारित किए गए प्रति लिटर मूल्य में उत्पादन शुल्क कितना है ; और

(ख) क्या मिट्टी के तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण सभी वर्गों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उत्पादन शुल्क में कुछ राहत देने का है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) पैट्रोल, मिट्टी-तेल और हाई स्पीड डीज़ल तेल के हाल ही में बढ़ाये गये मूल्यों में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अधीन लगने योग्य उत्पादन शुल्क का अंश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1973 द्वारा मिट्टी-तेल पर उत्पादन-शुल्क में 200/- रु० प्रति किलोलिटर या 20 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि की गई थी। लेकिन, जनसाधारण की प्रतिक्रिया के उत्तर में मिट्टी-तेल पर शुल्क में वृद्धि की सीमा को बाद में एक अधिसूचना द्वारा घटा कर 9 नवम्बर, 1973 से केवल 10 पैसे प्रतिलिटर कर दिया गया है।

**विवरण**

| उत्पाद का नाम | केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन 9-11-73 से लगने वाला उत्पादन शुल्क |
|---|---|
| | 15 डिग्री सैंटीग्रेड पर प्रति लिटर रुपये पैसे |
| 1. मोटर स्पिरिट | 2.00 |
| 2. मिट्टी-तेल-- | |
| (i) बढ़िया . | 36.50 |
| (ii) घटिया . | 5.09 |
| 3. हाई स्पीड डीज़ल तेल . . (परिष्कृत डीज़ल तेल और वाष्पशील तेल) | 36.105 |

टिप्पणी : इसमें खनिज उत्पाद (अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 के अधीन लगने योग्य अतिरिक्त उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है।

**इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया द्वारा अर्जित कुल राजस्व में अधिकारियों तथा प्रतिनिधिमण्डलों की यात्रा के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का योगदान**

2965. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया ने 1972-73 में कुल कितना-कितना राजस्व अर्जित किया :

(ख) सरकारी अधिकारियों तथा प्रतिनिधिमण्डलों की यात्रा के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने प्रत्येक को कितनी धनराशि दी; और

(ग) पेट्रोल की कीमत में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप विमान भाड़ों में हुई वृद्धि के कारण विशेषकर 1973-74 में सरकारी कार्यों के लिये यात्रा पर सरकार को प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 72.05 करोड़ रुपये तथा एयर इण्डिया द्वारा 101.08 करोड़ रुपये।

**(ख) और (ग)** : एयर कारपोरेशन ऐसे आंकड़े नहीं रखते।

**भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन क्रय केन्द्रों की स्थापना**

2966. **श्री वी० मायावन :**

**श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने देश में पटसन क्रय केन्द्रों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां तो कितने केन्द्र स्थापित किये गए; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना से कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिला ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां।

(ख) निगम ने देश में 30 विभागीय खरीद केन्द्र स्थापित किये हैं।

(ग) केन्द्रों के नियमित अमलें की स्वीकृत संख्या 300 हैं। इसके अलावा, चालू मौसम के दौरान केन्द्रों के बेलिंग प्रेसों में दैनिक वेतन पाने वाले 150 मज़दूर नियुक्त हैं।

**रूस को ऊनी हौजरी का निर्यात**

2967. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी शिष्टमण्डल ने आगामी वर्ष के लिये ऊनी हौजरी हेतु क्रयादेश देने के लिये इस वर्ष अक्तूबर में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो रूसी शिष्टमण्डल ने कितनी और कितने मूल्य की हौजरी वस्तुओं का क्रयादेश दिया है; और

(ग) क्या गत दिसम्बर में संपूर्ति के लिये निर्धारित 75 रूपये प्रति किलों के अधिकतम मूल्य के मामले में प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने के लिये स्थानीय हौजरी एक्सपोर्टस कारपो-रेशन का एक शिष्टमण्डल प्रधानमंत्री से मिला था; और यदि हां, तो उनकी मांग पर इस बीच क्या पुनरीक्षित अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां ।

(ख) रूसी शिष्टमण्डल ने 1974 के दौरान 13.53 करोड़ रुपये के मूल्य के 18.45 लाख ऊनी निटवीयरों की सप्लाई करने के लिये भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० के साथ संविदाएं की हैं ।

(ग) स्थानीय हौजरी एक्सपोर्टस कोरपोरेशन को कोई शिष्टमण्डल प्रधान मंत्री से नहीं मिला है। तथापि, ऊनी हौजरी के निर्यातों पर प्रति पूर्ति का अधिकतम मूल्य बढ़ाकर 120 रुपये प्रति किलों कर दिया गया है ।

**वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कच्चे माल का सीमित मात्रा में आयात**

2968. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता उद्योगों में सभी वास्तविक उपभोक्ताओं को कच्चे माल की सीमित मात्रा के आयात के लिये अनुमति देने के उद्देश्य से आयात नीति में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं । प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल तथा संघटकों के आयात की अनुमति गत खपत के मूल्य के आधार पर दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

**वित्त मंत्रालय द्वारा हिन्दी में सामान्य आदेश जारी किया जाना**

2969 **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गए हैं कि राज्य भाषा अधिनियम उपबन्धों के अनुसरण में सभी सामान्य आदेश अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ जारी किये जाएं;

(ख) गत तीन महीनों में से कितने मामले ध्यान में आए हैं जिनमें सामान्य आदेशों की श्रेणी में आने वाले पत्र-परिपत्र ज्ञापन आदि केवल अंग्रेजी में जारी किये गए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) वित्त मंत्रालय खास में इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था फिलहाल पर्याप्त मानी गई है। जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों का सम्बन्ध है, अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे विभिन्न कार्यालयों से इकट्ठा किया जा रहा है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

**(ख) और (ग)** : व्यय विभाग द्वारा इस अवधि में जारी किये गए ऐसे पत्रों आदि की संख्या 12 है, जिनमें से 9 का सम्बन्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अंशदाई भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली आदि में कुछ संशोधनों से है, जिनकी मूल नियमावली के प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर, जो सांविधिक किस्म के हैं, अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। कुछ मितव्ययी उपायों से सम्बन्धित तीन पत्र आदि आत्यावश्यकता के कारण केवल अंग्रेजी में जारी किये गए, परन्तु उनका हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। बैंकिंग विभाग और आर्थिक कार्य विभाग खास में ऐसे मामलों की संख्या कुछ नहीं है ।

राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में, अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**फ्रांस और इटली और वहां के उद्योगपतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश**

**2970. श्री के० फाँडंडारामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फ्रांस और इटली तथा वहां के उद्योगपतियों द्वारा भारत में कितना पूंजी निवेश किया गया और उनके द्वारा अन्य कितनी सहायता दी गई ;

(ख) किन-किन उद्योगों में उन्होंने पूंजी निवेश किया तथा सहायता की ; और

(ग) क्या भविष्य के लिए किन्हीं नए समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) **निवेश फ्रांस**--

फ्रांस द्वारा किये गये दीर्घकालीन गैर-सरकारी निवेशों की रकम मार्च, 1970 के अंत में 49.2 करोड़ रुपये थी। फ्रांस द्वारा जिन क्षेत्रों में निवेश किये गये हैं वे ये हैं :--वस्तु निर्माण उद्योग, खनन, पैट्रोलियम और सेवाएं।

**इटली**

इटली द्वारा किये गये दीर्घकालीन गैर-सरकारी निवेशों की रकम मार्च 1970 के अंत में 90.1 करोड़ रुपये थी। इटली द्वारा जिन क्षेत्रों में निवेश किया गया है वे ये हैं :--वस्तु निर्माण उद्योग, खनन, पैट्रोलियम और सेवाएं।

**सहायता : फ्रांस**

**वित्तीय सहायता**

भारत को फ्रांस से 1961-62 से ऋण दिये जाने लगे थे और 1966-67 तक यह सारे के सारे सम्भरक ऋण थे। 1961-62 से 1966-67 तक 6 वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त संभरक ऋणों की कुल रकम 75 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (106-65 करोड़ रुपये) थी।

"सरकार से सरकार को" के आधार पर फ्रांस के 1967-68 में ऋण मिलने शुरू हुए थे और 1967-68 से 1973-74 की सात वर्ष की अवधि में इनकी कुल रकम 128.948 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (183.36 करोड़ रुपये) थी। इस रकम में फ्रांस से माल और सेवाओं के आयात के लिए 110.10 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (156.56 करोड़ रुपये) और ऋण राहत के रूप में 18.848 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (26.80 करोड़ रुपये) की रकम शेष मिली है, फ्रांसीसी ऋणों से लाभान्वित होने वाले उद्योग इस प्रकार हैं :-

उर्वरकों सहित रसायन बिजली, विशेष और मिश्र इस्पात, तेल और पेट्रो-रसायन, परमाणु शक्ति, रेलवे, इलैक्ट्रानिक्स आदि

हाल ही में फ्रांस सरकार ने सूचित किया है कि वे पांचवीं आयोग की अवधि के दौरान उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत को सहायता देने के लिए 30.00 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (42.66 करोड़ रुपये) का एक विशेष ऋण देने के लिए तैयार हैं।

**तकनीकी सहायता**

भारत-फ्रांस तकनीकी सहयोग करार के अधीन फ्रांस 1958 से तकनीकी सहाताय देता आ रहा है। फ्रांसीसी सहायता, पेट्रो-रसायन जहाज निर्माण, लघु उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की व्यवस्था के रूप में और बांध तथा सिविल निर्माण, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, दूर संचार, तेल की खोज रेलवे आदि जैसे क्षेत्रों में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने के रूप में दी जाती रही है। अक्तूबर 1973 के अंत तक फ्रांस ने 72 विशेषज्ञों की सेवाएं प्रस्तुत की हैं और लगभग 859 भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की हैं।

**वित्तीय सहायता इटली**

उर्वरकों की खरीद के लिए सरकार से सरकार को 1967 में दिए गए 20 लाख अमरीकी डालरों (1.46 करोड़ रुपये) के बराबर के एक ऋण को छोड़कर इटली द्वारा दी गयी सहायता संभरक ऋणों के रूप में दी गई है। अब तक प्राप्त इन संभरक ऋणों की रकम कुल मिलाकर 28.82 करोड़ अमरीकी डालरों (209.78 करोड़ रुपये) के बराबर है। उपर्युक्त के अलावा इटली ने 4.42 करोड़ अमरीकी डालर (32.17 करोड़ रुपये) की ऋण-राहत प्रदान की है।

इटली की सहायता से लाभन्वित उद्योग इस प्रकार है :— उर्वरकों सहित रसायन, तेल और पेट्रो-रसायन, मोटरगाड़ियां, बिजली, खनन और धातु, कागज और छपाई आदि।

**टिप्पणी** : इन दोनों देशों द्वारा दी गयी सहायता के संबंध में उपयुक्त सूचना में दिए गए फ्रांसीसी फ्रांक और अमरीकी डालरों के बराबर भारतीय रुपयों का हिसाब विनिमय की मौजूदा केन्द्रीय दर के आधार पर लगाया गया है। जो 1 फ्रांसीसी फ्रांक = 1.422 रुपये और 1 डालर = 7.279 रुपये है।

**Views of Eminent Economists on Deficit Financing in India**

2971. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some eminent Economists of the country have expressed their opinion that deficit financing is one of the major reasons of inflation; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether Government propose to make certain changes in this regard ?

**The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan)** : (a) Yes, Sir.

(b) The views expressed and suggestions made by Economists and others are given due consideration by the Government, while framing the economic policy for the country.

**मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा आयातित लिमूसीन मोटरकार का प्रयोग**

2972. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी सरकारी कामकाज के लिए आयातित लिमूसीन मोटर कारों का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कारों का प्रयोग करने के बारे में अनुदेश जारी किये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है। इसको यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) आयातित कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बारे में हिदायतें पहले से ही विद्यमान हैं। सरकार की नीति यह है कि नयाचार की मांगों तथा इसी प्रकार के अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयातित कारों के प्रयोग को उत्तरोत्तर कम किया जाये। सरकार द्वारा हाल ही में हिदायतें जारी की गयीं हैं कि, भविष्य में, जब वर्तमान आयातित कारें बदलने योग्य हो जायं तो उनके बदले में भारत में निर्मित कारें दी जांय। नयाचार आवश्यकताओं के कारण विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास निगम इसके अपवाद हैं।

**मैसर्स साहू जैन को वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किये गये / दिये गये ऋणों की राशि**

2973. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने मैसर्स साहू जैन को कितने ऋण की मंजूरी दी है और भुगतान किया है ;

(ख) ऋण किस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई एजेंसी बनाई है कि जिन प्रयोजनों के लिये ऋण दिये गये उनका उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए और क्या वह एजेंसी उनकी लेखा-पुस्तकों आदि का निरीक्षण करती है ; और

(घ) यदि हां, तो एजेंसी के निष्कर्ष क्या हैं और उनके प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट II में सम्मिलित साहूजैन व्यवसाय गृह से संबंधित औद्योगिक कंपनियों को अखिल भारतीय दीर्घविधक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा मंजूर किये गये और वितरित किये गये ऋणों की रकमें उनका प्रयोजन बताते हुए संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

**(ग) और (घ)** : ऋणों के अंतिम रूप से उपयुक्त उपयोग और सहायता प्राप्त कंपनियों के बाद के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए स्वयं वित्तीय संस्थाओं ने प्रक्रिया निर्धारित की है। ऋण इकट्ठे नहीं दिए जाते हैं बल्कि उपकरण आदि की खरीद करने या उनके लिए किये गये खर्च की साक्ष्य प्रस्तुत करने और परियोजना का वित्त प्रबंध करने वाली संस्थाओं की सहमति से वित्तीय आयोजना के अनुसार कार्य करने पर उनका भुगतान किया जाता है। जहां संस्था आवश्यक समझती है, सहायता प्राप्त कंपनी के बोर्ड में नामजद निदेशक की नियुक्ति करती है और सहायता प्राप्त कंपनी की प्रगति पर स्वयं नजर रखती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी को दिये गये ऋणों का उपयोग उचित रूप से हो रहा है, ये संस्थाएं सहायता प्राप्त कंपनी से नियमित रूप से सार्वधिक रिपोर्ट प्राप्त करती है, संयंत्रों का निरीक्षण करती हैं और कंपनी की लेखा पुस्तकों की जांच करती हैं और परियोजना स्थल और कारखाने का दौरा करती हैं और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं। संलग्न विवरण में दिखाया गया है कि एक कंपनी के लिए मंजूर किये गये ऋणों का उपयोग नहीं किया गया है, दो विभिन्न कंपनियों द्वारा लिये गये दो ऋणों का उपयोग करके पूर्ण रूप से पुनः अदायगी कर दी गयी है और चौथी कंपनी ने उपकरणों का आयात करने में ऋण का उपयोग किया और उस ऋण के अधिकांश भाग की पुनः अदायगी की जा चुकी है।

**विवरण**

30-9-1973 तक साहू जैन घराने से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित की गयी वित्तीय सहायता का विवरण जिसमें सहायता प्राप्त कंपनियों की संख्या और ऋण मंजूर करने का प्रयोजन भी दिया गया है।

(लाख रुपयों में )

| | सहायता प्राप्त कंपनियों के नाम | मंजूर की गयी रकम | वितरित की गयी रकम | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|
| भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | (i) जयपुर उद्योग लि० राजस्थान | 190.00 | कंपनी द्वारा इसका अभी कोई उपयोग नहीं किया गया | एक सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिए |
| भारतीय औद्योगिक वित्त निगम | (i) अशोका सीमेंट्स लि० शाहाबाद, बिहार | 50.00 | 50.00 | एक नया सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए और कागज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये |
| | (ii) रोहतास इंडस्ट्रीज़ लि० डालमिया नगर, शाहाबाद, बिहार | 100.00 | 100.00 | (दोनों ऋणों की पूर्ण रूप से पुनः अदायगी कर दी गयी ) |
| भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम | (i) रोहतास इंडस्ट्रीज़ लि० डालमिया नगर, शाहाबाद, बिहार | 27.7 | 27.2 | एक कागज मिल का आधुनिकीकरण करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आयात लाईसेंस के आधार पर एक विदेशी मुद्रा ऋण 30-9-73 को 9.10 लाख रुपया बकाया |

**मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड पर करों की बकाया राशि**

**2974. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड पर करों की बकाया राशि के बारे में 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-निर्धारिती से कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कर निर्धारिती पर कितना जुर्माना किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** (क) से (घ) कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से सम्बन्धित आयकर की बकाया मांग के भुगतान में देरी के लिये द्रण्ड क्यों नहीं लगाया जाय, इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बकाया मांग की अब वसूली कर ली गई है।

**मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि**

2975. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में मुद्रा सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना हिस्सा है; और

(ग) वर्तमान मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जनता के पास मुद्रा-उपलब्धि में 1971-72 में 945 करोड़ रुपये की और 1972-73 में 1291 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। चालू राजस्व वर्ष में (9 नवम्बर, 1973 तक) मुद्रा उपलब्धि में 594 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ख) बैंकों द्वारा सरकारों को दिये गए शुद्ध ऋण में 1971-72 और 1972-73 में क्रमशः 1147 करोड़ रुपये और 1307 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को, जिसमें सरकारी क्षेत्र के गैर-विभागीय उपक्रम शामिल है, दिये गए शुद्ध ऋण में क्रमशः 76 करोड़ रुपये और 204 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। चालू राजस्व वर्ष में (7 नवम्बर, 1973 तक) बैंकों द्वारा सरकारों को दिये गए शुद्ध ऋण में 1069 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है लेकिन बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गए शुद्ध ऋण में 476 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

(ग) मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि को यदि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति और उपलब्धि में वृद्धि करके प्रतिसन्तुलित नहीं किया गया तो उससे अर्थ-व्यवस्था में मूल्यवृद्धिकारी दबावों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

**केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना**

2976. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू के बहुत से कारखाने कच्चे काजुओं की कमी के कारण हाल ही में बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कारखाने कौन-कौन से हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग)** काजु साधित करने वाला उद्योग एक मौसमी उद्योग है जो कि मई-सितम्बर के दौरान स्वदेशी कच्चे काजू की सप्लाईयों तथा वर्ष

के शेष भाग के दौरान आयातित काजू पर निर्भर रहता है। स्वदेशी उत्पादन से तथा साथ ही आयातों के माध्यम से कच्चे काजू की उपलब्धता, उद्योग की स्थापित क्षमता के लिये कम पड़ती है इसलिये काजू फैक्टरियां वर्ष में कुछ महीनों के लिये बन्द रहती हैं और कुछ एकक कुछ-कुछ समय बाद बन्द रहते हैं। चूंकि यह बात इस उद्योग में सामान्य है अतः सरकार को इस प्रकार से बन्द रहने वाली काजू फैक्टरियों की संख्या उनके नामों तथा उनकी हानि की सीमा के बारे में मालूम नहीं है।

**वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यातकर्ताओं को माल को जहाज पर लादने से पूर्व ऋण दिया जाना**

**2977. श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यातकर्ताओं को प्रत्यक्ष पत्रों/फर्मों के निर्यात क्रयादेशों के लिये अधिक जोर दिये बिना माल को जहाज पर लादने से पूर्व ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किसी सतर्कता तन्त्र की व्यवस्था की गई है कि गहनों/बर्तनों के रूप में देश से बहुत अधिक शुद्धता वाली चांदी देश से बाहर न भेजी जाए जिनमें प्रयुक्त चांदी धातु के मूल्य में मजूरी का अंश अधिक नहीं होता ; और

(घ) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान चांदी के बर्तनों/गहनों का निर्यात करने वाली फर्मों के नाम क्या है तथा उन्होंने कितनी कीमत के बर्तनों/गहनों का निर्यात किया और उक्त निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

**वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)** चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरी करने तथा इन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही लदान पूर्व योजना की कुछ आवश्यकताओं में परिवर्तन करने का निश्चय किया। इस बारे में 25 सितम्बर, 1973 को जारी किये गये अपने परिपत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को सूचित किया कि चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यात के सम्बन्ध में विशेष व्यापार प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक इन वस्तुओं के निर्यातकों को, ऋण पत्र/पक्के निर्यात आदेशों के प्रेषण पर आग्रह किये बिना लदान पूर्व अग्रिम दे सकते हैं। इस प्रकार की ऋण-सीमाएं स्वीकार करते हुए, बैंकों को निर्यातकों के पहले के कार्यों और उनके द्वारा दी जाने वाली निर्यात-कार्य गारण्टी का, यदि कोई हो, ध्यान रखना पड़ता है। बैंक द्वारा उस अवस्था से, जब निर्यातक द्वारा निर्यात के लिये गहनों/बर्तनों के निर्माण के लिये चांदी प्राप्त की जाती है। एक अलग खाता खोलना होता है, इस खाते में बकाया राशियों को, अग्रिम के दिनांक से 180 दिन की अवधि के भीतर तुल्य निर्यात बिलों पर क्रामण द्वारा या निर्यात के सम्बन्ध में विदेश से प्राप्त प्रेषणाओं द्वारा समाप्त करना होता है। बैंक इस प्रकार के अग्रिमों पर 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं ले सकते उपर्युक्त आधार पर दी गयी पैकिंग ऋण सीमाएं भी लदान-पूर्व ऋण योजना और निर्यात ऋण (ब्याज सहायता) योजना के अन्तर्गत क्रमशः पुनर्वित सहायता तथा ब्याज सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ग) भारत से किये जाने वाले चांदी के गहनों/बर्तनों के सभी निर्यातों की यथास्थिति फार्म जी० आर० / ई०पी०/पी० पी० फार्मों में घोषणा करनी होती है। साथ ही इस संबंध में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बरती जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह भारत से किये गये चांदी के गहनों/बर्तनों के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात-वार रिकार्ड नहीं रखता और इसलिये निर्यात-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है । किन्तु इन वस्तुओं के निर्यात के मूल्य से संबंधित आंकड़े, जैसे कि वे वाणिज्य सूचना और अंक संकलन कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े-खण्ड 1 निर्यात और पुनर्निर्यात" से प्राप्त हुए हैं, नीचे दिये गये हैं :—

| अवधि | चांदी जरदोज़ी के काम, चांदी के आभूषणों, चांदी से निर्मित वस्तुओं, तैयार चांदी और अंशत : तैयार चांदी का निर्यात । |
|---|---|
| 1-4-1970 से 31-3-1971 | 26.77 |
| 1-4-1971 से 31-3-1972 | 22.43 |
| 1-4-1972 से 31-3-1973 . . . . | 35.69 |

**जोरहाट और डिब्रूगढ़ तक बोइंग विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव**

2978. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट और डिब्रूगढ़ तक बोइंग-विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब तक चालू हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) से (ग) विमान बेड़े की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण, इंडियन एयरलाइन्स का बोइंग सेवा को जोरहाट तथा डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**वर्ष 1972-73 में कपड़े के निर्यातकर्ताओं को दी गई नकद सहायता**

2979. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में कपड़े के निर्यात हेतु इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा कुल कितनी नकद सहायता दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में कपड़े के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) इसी अवधि में कितनी रुई का आयात किया गया और रुपयों में उसका कितना मूल्य चुकाया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) **तथा (ख)** वर्ष 1972–73 के दौरान इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन ने भारतीय कपड़ों के निर्यातों पर जो 160.51 करोड़ रुपये मूल्य के थे, 34.08 करोड़ रुपए का नकद प्रतिपूरक भत्ता दिया है।

(ग) 1972–73 के दौरान रुई की 180 किग्रा० वाली 6.26 लाख गांठों का आयात किया गया जिनका कुल मूल्य 90.88 करोड़ रुपए था ।

**देहाती और शहरी क्षेत्रों में लीड बैंकों की शाखाएं खोलने के लिये निर्धारित लक्ष्य**

**2980. श्री विश्वनारायण शास्त्री:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में देहाती और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत लीड बैंकों द्वारा शाखाएं खोले जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ख) वास्तव में कितनी शाखाएं खोली गयी और उनका लाभ कितने लोगों को पहुंचा है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)** यद्यपि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कार्यालय खोलने के लिये अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को तीन वर्ष की अवधि 1972, 1973 तथा 1974 में कुल 5000 शाखाएं खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने का परामर्श दिया था। वाणिज्यिक बैंकों ने 1972 में 1763 कार्यालय खोले और चालू वर्ष में 30–9–73 तक 1043 शाखाएं खोली। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1972 में 899 कार्यालय तथा चालू वर्ष में 530 कार्यालय खोले। राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा खोले गये कार्यालयों का जन-संख्या समूहवार विभाजन नीचे दिया गया है।

**खोले गये कार्यालय**

| वर्ष | ग्रामीण केन्द्र | अर्ध-शहरी केन्द्र | शहरी केन्द्र | महानगरी/पत्तन नगर | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 453 | 152 | 119 | 175 | 899 |
| 1973 (30–9–73 तक) | 188 | 115 | 103 | 124 | 530 |

प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या जो 1971 के अन्त में 42000 थी, घटकर सितम्बर, 1973 में 35000 रह गयी ।

**वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य में तस्करी के माल का बरामद किया जाना**

**2981. श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 में देश में सीमा शुल्क विभाग द्वारा राज्यवार तस्करी का माल कुल कितनी बार बरामद किया गया तथा उसकी कीमत कितनी थी; और

(ख) उक्त वर्ष के दौरान तस्करी की गतिविधियों में भाग लेने के कारण राज्यवार कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख)** तस्कर-आयात किये गये माल आदि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में आंकड़े प्रत्येक सीमा-शुल्क गृह/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के लिये अलग-अलग रखे जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्णाटक केरल, उड़ीसा तथा तमिलनाडु।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो सीमा-शुल्क के उद्देश्यों के लिये एक से अधिक सीमा-शुल्क गृहों/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालयों के अधीन आते हैं, अलग-अलग राज्यवार आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। लेकिन, यथा उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5873/73]

**एयर कस्टम्स हाउस, पालम, हवाई अड्डा नई दिल्ली में चोरियों के कारण मुआवजे की अदायगी**

2982. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1973 में एयर कस्टम्स हाउस, पालम, नई दिल्ली में कोई चोरी हुई थी; और

(ख) क्या अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो चोरी गये माल के लिए मालिकों को सरकार को कितना मुआवजा देना पड़ा था ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख)** यह आरोप लगाते हुए एक शिकायत की गयी थी कि 24-7-1973 की शाम को एक अनजाने बाहरी व्यक्ति ने 5 अधिकारियों के साथ मिल कर पालम स्थित सीमा-शुल्क गोदाम से एक थैले को, जिसमें कुछ वस्तुएं थीं, उठा ले जाने की कोशिश की थी। उस बाहरी व्यक्ति की पहचान के बारे में कुछ पता नहीं है। जिन 5 अधिकारियों (2 अधीक्षक, 2 निरीक्षक तथा 1 उप-निरीक्षक) के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, उनमें से तीन अधिकारियों (1 अधीक्षक, 1 निरीक्षक तथा 1 उप-निरीक्षक) को मुअत्तिल कर दिया गया है। एक निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधीक्षक को ऐसा कार्य-भार सौंप दिया गया है कि उसे पालम स्थित सीमा-शुल्क गोदाम अथवा हवाई अड्डे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस चौकीदार ने शिकायत की थी, वह 3-9-1973 को उप-क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये हलफनामे में अपनी बात से मुकर गया है। लेकिन आगे जांच-पड़ताल जारी है।

क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

**चिलका झील पर पर्यटन विकास के लिये योजना**

2983. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 15 करोड़ रुपये की लागत से चिलका झील पर पर्यटन विकास के लिए उड़ीसा सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या योजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती सरोजनी महिषी)** : (क) जी, हां । स्कीम की मोटी रूप-रेखा संलग्न विवरण में दी गयी है ।

**(ख) और (ग)** उड़ीसा सरकार ने, योजना आयोग के पर्यटन सम्बन्धी कार्यकारी दल के सुझाव पर, चिलका झील का, विशेषत: इसके पर्यटन महत्व की दृष्टि से, समेकित विकास करने के लिए एक डिजाइन तैयार करने तथा व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय किया है । राज्य सरकार इस कार्य के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने की प्रक्रिया में है जिसमें नगर आयोजक, वास्तु विद्, अर्थशास्त्री आदि सम्मिलित होंगे । व्यवहार्यता अध्ययन के 1974 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

**विवरण**

**चिल्का झील क्षेत्र का समेकित विकास**

**उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गयी स्कीम की मोटी रूप रेखा**

1. आवास-स्थान (भूमि अधिग्रहण सहित, जहां कहीं आवश्यक हो)

   (क) बालूगांव के निकट बारकुल में एक सौ शय्याओं वाला पर्यटक होटल जिसमें आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हों ।

   (ख) राम्भा में पर्यटक बंगले का विस्तार तथा विकास ।

   (ग) झील के अन्दर तथा दक्षिण, पश्चिम व उत्तर में इसके इर्द-गिर्द, दस पहाड़ियों की चोटियों पर आधुनिक साज-सज्जाओं वाले दस बंगलों का निर्माण . 3.00 करोड़ रु०

2. दस पहाड़ियों तथा कुछ द्वीपों पर प्राकृतिक दृश्ययोजना जिसमें उद्यानों का विन्यास, पार्क के फव्वारे, जगमगाहट की व्यवस्था, पहाड़ियों के इर्द-गिर्द भूमि-तल से चोटी तक मोटर चलने योग्य सर्कुलर रोड का निर्माण प्रवासी पक्षियों के आश्रय प्रदान करने के लिए द्वीपों का वन-रोपण इत्यादि सम्मिलित हैं . 3.00 करोड़ रु०

3. मनोरंजन सुविधाएं जिनमें जल-क्रीड़ाओं, हाउस बोटों, कारों के एक बेड़े, डीलक्स कोचों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए आडिटोरियम तथा उड़ते फिरते दर्शकों के लिए मनोरंजन रेस्टोरैंटों, स्नेक बार आदि की व्यवस्था सम्मिलित है . 3.00 करोड़ रू०

4. जैट्टियों, फिशिंग प्लेटफार्मों, एप्रोच रोड्स का निर्माण . 1.00 करोड़ रू०

5. झील के दक्षिण बिन्दु से उत्तरी बिन्दु तक लगभग 100 किलोमीटर तट-रेखा वाली एक रिंग रोड का निर्माण जिस पर दोनों ओर छायादार वृक्षों के आरोपण सहित आवश्यक प्राकृतिक दृश्य योजना की गयी हो। इस रिंग रोड का उद्देश्य पर्यटकों के लिए मैरीन ड्राइव के नमूने पर एक ज्वाय राइड की व्यवस्था करना तथा झील क्षेत्र का सीमा निर्धारण करना है ताकि भारत सरकार इस क्षेत्र को पर्यटकों को अत्यधिक प्रिय शान्ति एवं पवित्रता को दृष्टि में रखते हुए एक पक्षी-शरण-स्थल के रूप में घोषित कर सके . 5.00 करोड़ रू०

कुल . . .15.00 करोड़ रू०

**उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना**

2984. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के बारे में औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा का आवेदन पत्र लाइसेंसिंग समिति के समक्ष रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना कब तक की जाएगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) से (ग) उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम का प्रार्थना-पत्र लाइसेंसिंग समिति के आगे प्रस्तुत करने के लिए हाल में औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है । समिति के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है । मिल की वास्तविक स्थापना उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जाएगी ।

**फसल बीमा योजना आरम्भ करने सम्बन्धी निर्णय को प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित करना**

2985. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने फसल बीमा योजना आरम्भ करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय को प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) उन्होंने इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों को चुना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्रों को चुनने का है ।

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) विविध बीमा निगम ने निम्नलिखित राज्यों को लिखा है कि वे फसलों की, उपयुक्त क्षेत्रों की तथा उन एजेन्सियों की शिनाख्त करें जिनके पास मार्गदर्शी परियोजनाओं को चालू करने के निमित्त अपेक्षित क्षेत्र-सेवाएं करने के लिए आवश्यक आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध है ।

(1) पंजाब
(2) राजस्थान
(3) गुजरात
(4) महाराष्ट्र
(5) पश्चिम बंगाल
(6) उड़ीसा
(7) आन्ध्र प्रदेश
(8) तमिल नाडू
(9) केरल

**चौथी योजना में सिमिलिपाल पहाड़ियों (उड़ीसा) को नेशनल पार्क के रूप में विकसित करना**

2986. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में सिमिलिपाल पहाड़ियों को नेशनल पार्क के रूप में विकसित करने के लिये उड़ीसा सरकार ने कुल कितनी धनराशि का उपबन्ध किया था और इसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना में इस परियोजना के लिये कोई सहायता दी है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या उड़ीसा के इस नेशनल पार्क के विकास को अपने हाथ में लेने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती सरोजनी महिषी)** : (क) उड़ीसा सरकार ने चौथी योजना में मयूरभंज जिले में सिमिलीपाल हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने के लिये कुल 3.55 लाख रुपये की व्यवस्था की थी जिसमें से अक्तूबर 1973 के अन्त तक 3.27 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

(ख) इस प्रयोजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई धन नहीं दिया है।

**(ग) और (घ)**: राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि पांचवीं योजना में सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के विकास के कार्य को केन्द्र-चालित योजना के रूप में प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

प्रस्तावित योजना पर वित्तीय परिव्यय 114 लाख रुपये होगा। उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 185 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान के महत्वपूर्ण जंगली जानवरों में बाघ, चीते, जंगली हाथी आदि शामिल हैं। यह प्रस्ताव केन्द्रीय वन विभाग द्वारा विचार किये जाने के लिये हैं।

**देश में हथकरघा बुनकरों को धागे का वितरण**

2987. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में हथकरघा बुनकरों को धागे का वितरण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या इसमें भी चोरबाजारी चल रही है जिससे केवल अधिक दाम देने वालों को ही धागा उपलब्ध होता है; और

(ग) यदि हां, तो सभी बुनकरों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : **(क) से (ग)** : विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को समान रूप से तथा नियंत्रित कीमतों पर धागा उपलब्ध करने की जो धागा नियंत्रण योजना मार्च 1973 में आरम्भ की गई थी, उसको उच्चतम न्यायालय तथा राज्य उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और विधि न्यायालयों ने इस योजना के चलाने के विरुद्ध स्थगन आदेश दिये थे। अतः यह योजना निष्फल हो गई। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने धागा नियंत्रण आदेशों के समर्थन में अपना फैसला दिया है। राज्य सरकारों को सूती धागे की काला बाजारी के मामलों पर कार्यवाही करने की शक्तियां पहले ही प्रदान कर दी गई है। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि वे सूती धागे की काला बाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

**लारीज होटल, आगरा को सरकारी नियंत्रण में लेने का अनुरोध**

2988. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारीज होटल, आगरा के श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से इसे अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती सरोजनी महिषी) :** **(क) और (ख)** जी, हां। अखिल भारत होटल कर्मचारी संघ से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें लारीज होटल, आगरा, को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का सुझाव दिया गया था। पता चला है कि उक्त होटल को एक अन्य कम्पनी ने खरीद लिया है जिसका कि इसे गिरा कर उसी स्थान पर एक नये होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है। अतः सरकार द्वारा इस होटल को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

**समाजवादी देशों को निर्यात में वृद्धि**

2989. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवादी देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) 1972 के निर्यात आंकड़ों की अपेक्षा निर्यात बढ़ा या घटा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी हां।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात वर्ष 1970-71 में 362 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 वर्ष 1972-73 में 470 करोड़ रुपये के हुये हैं।

(ग) वर्ष 1971-72 में निर्यात के स्तर पर मुकाबले वर्ष 1972-73 में निर्यातों में 36 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है।

**उत्तर प्रदेश में हथकरघों और विद्युत चालित करघों को धागे का वितरण**

2990. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, जिला-वार, हथकरघों और विद्युतचालित करघों को धागे के वितरण की वर्तमान व्यवस्था क्या है; और

(ख) निर्बाध और युक्ति संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिये भावी व्यवस्था क्या होगी और धागो की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) :** वस्त्र आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों को विपुल मात्रा में सूती धागे का आबंटन किया जा रहा है, जिसका बुनकरों के बीच आगे वितरण राज्य सरकारों द्वारा नामजद किये गये अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। अतः उत्तर प्रदेश में जिले-वार वितरण करना राज्य सरकार का काम है।

**जीवन बीमा निगम का कारोबार**

2991. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में देश में जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि के बीमें दिये गये;

(ख) निगम द्वारा उत्तर प्रदेश और इसके फैजाबाद डिविजन में वर्ष 1972-73 और 31 अक्तूबर, 1973 तक कुल कितनी राशि के बीमा दिये गये; और

(ग) निगम ने उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से इसके फैजाबाद डिविजन में धन लगाने हेतु कौन योजनायें बनाई हैं या विचाराधीन हैं?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) 2062.30 करोड़ रुपये।

(ख)

(करोड़ रुपये)

| | 1972-73 | 1-4-73 से 31-10-73 तक |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश . . | 293.44 | 65.73 |
| फैजाबाद प्रभाग . . . . . | 13.25 | 3.41 |

(ग) उत्तर प्रदेश, और अथवा फैजाबाद प्रभाग में निवेश के लिये जीवन बीमा निगम ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है और न कोई ऐसी योजना विचाराधीन है। दूसरे राज्यों की ही तरह उत्तर प्रदेश में निवेश के मुख्य मार्ग ये हैं :—

1. सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाना।
2. आवासीय योजनाओं के लिये सरकार को ऋण।
3. मुख्य सहकारी आवास वित्त समिति को ऋण।
4. भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र।
5. राज्य वित्तीय निगम के शेयर और बंध पत्र।
6. राज्य विद्युत बोर्ड के बंध पत्र और उसको ऋण।
7. शक्कर सहकारी समितियों को ऋण।
8. जलपूर्ति और मल निकास योजनाओं के लिये नगर पालिकाओं को और पाइप द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जलपूर्ति के लिये जिला परिषदों को ऋण।
9. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयर, ऋण-पत्र और उनको ऋण।
10. उत्तर प्रदेश आवास बोर्ड को विशेष ऋण।
11. औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### कुछ रेलवे कर्मचारियों के नियमानुसार कार्य आंदोलन के कारण अनेक रेलगाड़ियों के देर से चलने का समाचार

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** :—Sir, I call the attention of the hon. Minister of Railways to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported that running of several trains due to work-to-rule agitation by the Signal and Tele-communication staff Association and the Indian Railway loco-mechanical staff Association who have alleged that the Railway administration has been Cold to them long standing demands."

**रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : इण्डियन रेलवे सिगनल एण्ड टैलीकम्यूनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन ने विभिन्न रेल प्रशासनों को इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया है लेकिन ऐसी सूचना मिली हैं जिसमें यह कहा गया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयीं तो इस एसोसियेशन के सदस्य 27-11-1973 से "नियमानुसार काम करों" आन्दोलन शुरू कर देंगे।

2. 27 नवम्बर, 1973 से कुछ ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है कि सिगनल एवं दूर संचार विभाग के कर्मचारी संस्थापनों के अनुरक्षण से संबंधित अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इन घटनाओं के कारण गाड़ियों के कुछ देर से चलने की रिपोर्टें मिली हैं। कुल मिलाकर भारतीय रेलों पर प्रति दिन चलने वाली कुल 5173 यात्री गाड़ियों में से 28 नवम्बर को केवल 32 डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों तथा 39 सवारी गाड़ियों के समय पालन पर बुरा प्रभाव पड़ा। जहां तक उपनगरीय गाड़ियों का सम्बन्ध है, केवल बम्बई क्षेत्र में ही कुछ गाड़ियां अस्त व्यस्त रहीं।

3. "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन ने ऐसी घटनाओं की शक्ल ले ली है जिसमें कर्मचारी यह दलील दे कर रात में खराबियां दूर करने के लिये ड्यूटी पर नहीं आये कि उनकी ड्यूटी दिन में ही पूरी हो गई थी। सिगनल अनुरक्षकों की कोटि में, कार्यभार के आधार पर ये कर्मचारी "अपवर्जित" कोटि या "अनिवार्यतः सविरामी " या "सतत" कोटि में आते हैं। जब वे ड्यूटी घंटों से अधिक काम करते हैं तो उन्हें कार्य घंटा विनियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता भी मिलता है। कुछ स्टेशनों पर जहां जेनरेटरों की देख-भाल करनी होती है उन्होंने इस दलील पर 17.00 बजे से ही काम छोड़ दिया है कि वे 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे यद्यपि कार्य घंटा विनियमों के अनुसार इन कर्मचारियों को अभी तक " अनिवार्यतः सविरामी " कर्मचारी की कोटि में ही रखा गया है।

4. 7 मांगों की एक सूची प्राप्त हुई थी जिसकी बारीकी से जांच की गई थी। इण्डियन रेलवेज सिगनल एंड टेलीकम्यूनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन भारतीय रेलों में रहने वाली बहुत सी कोटियों में से केवल एक कोटि का प्रतिनिधित्व करता है। इन परिस्थितियों में रेलों ने बहुत वर्षों से केवल एक ऐसी यूनियन को मान्यता देने की नीति अपनाई है जो मिली जुली कोटि के कर्मचारियों को हो और एक श्रेणी के कर्मचारियों में सभी कोटियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हो जैसे अराजपत्रित या राजपत्रित और उसने कोटिवार संघों को मान्यता नहीं दी है।

5. इन में से एक मांग यह है कि कुछ दुर्घटनाओं के मामले में जो आर्थिक लाभ रेल पथ कर्मचारियों को मिलता है वही आर्थिक लाभ उन्हें भी दिया जाये। यह मांग पहले ही एक मान्यताप्राप्त फैडरेशन द्वारा उठाई जा चुकी है और जांच करने के बाद वह मान ली गई है तथा रेलों को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। जहां तक सिगनल अनुरक्षण कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध हैं प्रत्येक रेलवे स्थानीय परिस्थितियों जैसी बातों को ध्यान में रखते हुये कार्यभार का मूल्यांकन कर रही है ताकि यह पता लग सके कि क्या उनकी संख्या बढ़ानी जरूरी है। अन्य मांगें औचित्यपूर्ण नहीं हैं।

6. इस समय इंडियन लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन द्वारा "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन के चलाये जाने की कोई सूचना नहीं है।

7. मैं संबंधित कर्मचारियों से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी उन्होंने आन्दोलन शुरू किया है उसे वापस ले लें विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उनकी मांगों में एक मुख्य मांग जो "क्रैकडाउन" भत्ते से संबंधित है, मान ली गई है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण भी इस अपील में मेरा साथ देंगे।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** From, the statement of the hon Minister, it appears that the agitation of the employees is spreading and the number of late running trains is also increasing. I want to know whether employees would be punished for resorting to work-to-rule agitations ? The employees ane taking plea that they are doing their work in accordance with the rules formed by the Railway itself. The rules framed by the Railways have become out dated and if the employees work according to this then trains will not run according to Schedule considering this whether any action is being counterplated to change the rules ? The hon Minister has stated that the working hours of loco employees will be ten hours and this will come in force from 1st December but added that this will take 3—4 years to implement it. I want to know how many employees will be effected in the event of implementing the decision from 1st December ? The hon Minister has apprised of difficulties in implementing the decision. Then what is the thing which is going to be implemented from 1st December. ?

The hon Minister has stated that he has carefully examined all the demands except one relating to recognisition of unions. I want to know whether the ministry have looked into the demand regarding the duty hours ? Are not the employees entitled to get overtime allowance after doing twelve hour's work ? Why this demand has been rejected ?

You have already recognised two Unions but both one not doing work satisfactorily. That is why categorised unions of employees ane on agitational path. This worsen the situation. Again the hon Minister says that categorised unions will not be recognised.

Now the Railway Minister has asked for one union of Railway employees. But until this is formed, in what way the demands of categorised employees will be met. The Loco employees are complaining that assurances given to them have not been fulfilled. Besides this the arrested loco employees have not been set free and cases withdrawn. May I know whether the Government is prepared to talk to categorised Union till one union of the employees is formed? The Railway Minister and the Railway Board ane equally responsible for late running of trains.

On 26th November the Deluxe train, coming from Calcutta to Delhi, developed trouble. Zhazha Station was informed and asked to provide a worker to mend the trouble. On reaching Zhazha, it was learnt that the concerned worker had gone to see a football match. This resulted in delayed running of the train. May I know whether separate registers have been kept to show correct timings of incoming and outgoing trains.?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** It is unfortunate that the slogan of work to rule is aimed at working less but draw full wages. The duty hours of continuious category staff is eight hours. Beyond this they are given overtime. The essentially intermittent staff have to work twelve hours and beyond this they are given overtime.

The trouble is that their zones namely Northern, North Eastern and Eastern Railway's have resorted to work to rule . This work to rule seems to be innocent but actually it is very harmful. After doing eight hours duty the employees do not respond to call if they are

required to do emergency duties. They say that they have performed eight hours duty as required in the rules . Actually the rules were being observed in a very wrong way.

Regarding changing rules, I want to state that all Railway Zones have been instructed to change the rules for the benifit of employees. So far this demands of Loco Running staff is concerned, the Mianbhai Tribunal had given award that the working hours should reduced to twelve hours from fourteen hours and this may be implemented in eight years. But we have decided that the duty hours should be reduced to ten hours and be implemented in three years. According to the rough estimate, the expenditure on it would be Rs. 3 crores and about thirty thousand new hands will be recruited. As such this will take time. The Government is not going back to its decision.

Regarding the arrested employees, I would like to say that all the persons held under Defence of India Rules have been released and reinstated.

According to rules the employees who were not at work were not entitled to any pay. But we have decided to treat them on leave if due or on have not due.

The policy of the Railways is to have one union. But there are two unions and both have been recognised.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य (घाटल)** : आप यह क्यों भूल जाते हैं कि उन यूनियनों के लोग रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : इसीलिये हम एक यूनियन बनाने के पक्ष में हैं।

गाड़ियों के ठीक समय पर न चलने का मुझे खेद है। यह बात गलत हैं कि दो किस्म के रजिस्टर रखे हुये हैं ?

**Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior)**: I have close contact with Railway employees. I can place two set of registers on the table.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : If that is true I promise severest punishment to the officers responsible for the maintanance of two set of registers.

**Shri Ramavatar Shastri (Patna)** : The statement of the Minister on the work to rule by All India Signal & Tele-communication Staff Association and Indian Railway Loco Mechanical Staff Association, is for from facts. In five Zones viz. Eastern, South Eastern, North Eastern and Northern Railways 'work to rule' is operative.

There were seven demands of Signal and Tele-communication staff. What is the difficulty in giving uniforms, fixing working hours etc.

Loco Mechanical Staff Association has put up eight demands. Their main demand is to implement Factories Act in Loco shed. They have demanded 75 per cent upgradation and uniforms . The demands of both the unions are just. But the Hon. Minister has not given attention to these demands.

The statement of the Hon. Minister that these Associations had not given notice, is wrong. I am connected with Indian Railway Loco Mechanical Staff Association as their Vice-President. There was a discussion on their demands on 29th August. The Labour Minister on his own initiative discussed with them on 23rd October. These people gave notice to the Railway Board and the Minister is not informed of it.

The Departmental unions may be recognised as has been done in P&T Department.

The Railway Minister, the Labour Minister and the union people say that there should be one union. But how can it be brought about ?

The staff of Tele-communications is being suspended for operating 'work to rule. Why cannot their working hours be requred as has been done in the case of running staff.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : The greatest hinderance in the function of one union is shastri ji himself.

**Shri Ramavatar Shastri** : We are prepared to disolve all the unions.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : If the Hon. Member acts on what do syas it would be better.

**Shri Ramavtar Shastri** : If the hon Minister is prepared we are also ready.

**Mr. Speaker** : The hon. Member should have patience to have others.

**Shri Mohd. Shafi Quareshi** : The hon. Member stated that he met with the representatives of an unrecognised union It proves that we are ready to have the just grievences of each every employee.

The hon. Member has asked as to why their 7 demands have not been accepted. One of their demands is to provide houses from all. This is impossible we cannot accept it.

If they do not stress on the employees to stop working and continue agitating for their demands then we are prepared to look into their grievences.

**Birender Singh Rai (Mahendergarh)** : The Railway is the biggest employer. During the last few months there have been so many strikes. The hon. Minister has not detected the demands of signal and Tele-communication staff.

There are so many categories in the Railways that one federation cannot represent all of them. The Government should negotiate with the representatives of the various categories and end this truble once and for all.

When the working hours of Loco staff were reduced from 14 to 10 hours, were not these hours applied to maintenance staff ?

Every day occidents accur and so many mishappenings take place. Why cannot the present Railway Minister check these things ?

The Railway Ministery should declare to maintain this important national service. This is not merely the question of employees but it concerns the whole nation . How can

a human being offened to run a locomotive for 14 hours and a signaler work on signal from 20-20 hours ? What is the result of your investigation in the matter?

Is not it a fact that due to strikes of loco maintenance Tele-communication staff strikes various train services had to be cancelled ?

When the recommendations of the Pay Commission were under consideration, Railway Telegraph Association tried to express their grievences. But the Government did not care to talk with them.

**Shri Mohd. Shafi Quereshi** : The allegation of Rao Shaib that Railway have not proved to the mark in the present circumstances, is wrong. Both at times of war and peace Railways have proved their dutifulness.

The Railways have maintained the movement of foodgrains and as a result thereof there has been no complaint.

The seven demands rebate to liking of Tele-communication service with Technical category ; duty hours be reduced to hours ; staff may be increased ; allowances may be given for break down and failures, Inspectors should not be put on store duty; entire signalar and Tele-communications staff be provided with Railway quarters, uniforms be provided to all and they should have right to negotiate and amenities for recriation.

The matter of uniforms is contigency and shall continue. Break down allowance has been granted. The rest of the demands were proparly considered and rejected.

So far as accidents are concerned there has been 37% decrease since 1964-65, whereas there has been 58 per cent increase in traffic

The hon. Member can any time meet me in connection with the grievences.

**श्री नवल किशोर सिन्हा (फैजाबाद)** : बम्बई कि स्थिति काफी खराब रही है ।

रेलवे के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मानदंड हैं। देश भर के रेलवे कर्मचारियों के लिये एक ही मानदंड क्यों नहीं रखा जाता ।

क्या मंत्री महोदय वास्तव में यह समझते हैं कि 18 लाख कर्मचारियों के हितों को एक ही कार्मिक संघ देख सकता है ! एक ही चेयरमेंन अथवा सचिव इसे कैसे देख सकता है ?

**श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा)** : जब दो मंत्री सम्पूर्ण देश की रेलों की देखभाल कर सकते हैं तब एक चेयरमेंन क्यों नहीं देख सकता ?

**श्री नवल किशोर सिन्हा** : उनके पास रेलवे बोर्ड की पूरी शक्ति है ।
मंत्री महोदय को देश में शाखावार क्या कठिनाई है ? यदि एक ही यूनियन बनानी है तो मंत्री महोदय उसके लिये जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा लेते ?

**श्री ए० पी शर्मा** : (वाक्सर) कठिनाई ट्रेड यूनियनों की नहीं है अपितु राजनीतिक पार्टियों की है ।

**श्री नवल किशोर सिन्हा** : रेलमंत्री हमारे समेत सभी बाह्य व्यक्तियों को यूनियनों से बाहर रखने की चेष्टा करनी चाहिये । तकनीकी कर्मचारियों को डेस्क कार्यों पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये । स्टोर कार्यों के लिये सामान्य व्यक्तियों को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरैशी** : 'टेली-कम्यूनिकेशन और सिगनल स्टाफ रूल के अनुसार' कार्य कर रहें हैं । जिस के परिणामस्वरूप कई गाडियों को रद्द करना पड़ा ।

माननीय सदस्य की अन्य बातें कार्यवाही के लिये अच्छे सुझाव हैं। हम उन पर भली प्रकार विचार करेंगे ?

---

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

**जीवन बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन**

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

**[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 5859/73]**

(2) कृषक पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पुनर्वित कृषक निगम, बम्बई के 30 जून 1973 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

**[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5860/73]**

(3) विदेशी मुद्रा विनयिमन अधिनियम, 1973 की धारा 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 3043 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

**[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 5861/73]**

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 495 (ङ) और 496 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 नवम्बर 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यानत्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 497 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 नवम्बर 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 498 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 नवम्बर 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

**[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 5862/73]**

(5) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम

के वर्ष 1971-72 के क्रियाकलापों संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1973 में प्रकाशित हुआ था ।

**[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 5863/73]**

टेक्स्टाइल समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत टेक्स्टाइल समिति (संशोधन) नियम

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टेक्सटाइल समिति (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत राजपत्र दिनांक 16 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 629 में प्रकाशित हुये थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल टी 5864/73]**

---

## राज्य सभा से सन्देश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**महासचिव** : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:--

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 29 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने की अवधि को राज्य सभा के 89 वे सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाया दिया गया है ।

---

## विधेयकों पर अनुमति
## ASSENT TO BILLS

**महासचिव** : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विदेशी पंचाट (मान्यता और पर्वतन) संशोधन विधेयक, 1973

(2) स्टेट बैंक विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

---

## अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के बारे में वक्तव्य
## STATEMENT RE. ON WELFARE AND DEVELOPMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

**अध्यक्ष महोदय** : हरिजनों के बारे में श्री राम निवास मिर्धा द्वारा दिया गया वक्तव्य काफी लम्बा है—14 पृष्ठ का है ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (ग्वालियर) : उसे सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : मैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों, विशेषकर हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल्याण और विकास के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

**[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5869/73]**

---

## सभा का कार्य

## BUSINESS OF THE HOUSE

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया)**: आपकी अनुमति से मैं 3 दिसम्बर, 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य के लिये जाने की घोषणा करता हूं :

(एक) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक 1973 (विचार तथा पास करना)

(तीन) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (आगे विचार तथा पास करना)

(चार) संघ लोक सेवा आयोग के 22वें वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(पांच) एक नौसेना (संशोधन) विधेयक 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (विचार तथा पास करना)

(छ) चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (विचार तथा पास करना)

(तीन) जल प्रदूषण निवारण विधयक 1969 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में । (विचार तथा पास करना)

**[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]**

**[ Shri S. A. Kader *in the Chair* ]**

**श्री वयालार रवि** (चिरंजिकीवत) : मैं संसदीय कार्य मन्त्री से केरल में अखबारी कागज का संयंत्र स्थापित करने पर चर्चा को भी इसमें शामिल करने का अनुरोध करूंगा । अखबारी कागज की कमी के कारण राष्ट्र में गंभीर संकट है और सरकार इस संबंध में बहुत चिन्तित है । अखबारी कागज के संयंत्र के स्थापित करने में विलम्ब से भारत सरकार को 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होगी । अतः इस विषय पर सदन में अवश्य चर्चा की जानी चाहिए ।

तमिलनाडु में विद्यार्थियों पर किराये के गुन्डों ने हमला किया लेकिन पुलिस उनको संरक्षण नहीं दे सकी । यह बहुत गंभीर मामला है । राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल रही है ।

अतः गृह मंत्री को तमिलनाडु की स्थिति पर वक्तव्य देना चाहिये और इस बारे में सभा में चर्चा की जानी चाहिये ।

**श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद)** : एशिया की संयुक्त सुरक्षा प्रणाली की संभावना के बारे में समाचार पत्रों में समय समय पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं । पश्चिमी एशिया का मामला भी हमारे सम्मुख है । इन महत्वपूर्ण विषयों पर सभा में चर्चा का शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिये ।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना पर भी चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये । योजना में कटौती और बढ़ौतरी के बारे में अनेक महत्वपूर्ण घोषणायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं । लेकिन सभा में उन पर चर्चा का अवसर नहीं दिया गया है । दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा अधूरी रही थी । इस विषय पर वर्तमान सत्र में चर्चा जारी रखी जानी चाहिये ।

इंडियन एयर लाइंस में तालाबन्दी के कारण रेलवे पर अधिक भार पड़ गया है । रेलवे मंत्री को रेलवे पर पड़े भारी भार को कम करने के लिये किये गये विशेष उपायों के बारे में बताना चाहिये ।

**Shri Ramavatar Shastri (Patna)** : There is a great difficulty of Kerosene oil in Bihar. People are living in the dark. The hon. Minister should make a statement in this regard and should take steps in this connection to avoid difficulty to the people, particularly in the villages.

Hundereds of employees of the Food Corporation of India have been retrenched. The shopkeepers are not getting grain properly due to their removal. The Minister of Agriculture should make a statement in this regard. He should also found out some solution in this matter.

Amendment should be made in the Industrial Disputes Act. Grievences of the Medical Sales Representatives should be looked into and the Labour Minister should make a Statement in this regard.

**Shri Madhu Limaye (Banka)**: Out of the 14 nationalized banks, Bank of Maharashtra and Central Bank are running in loss.

There is a great deal of misappropriation in the matter of advances given by the nationalized banks. A discussion on Bank Commission's report should be held next week.

Recently a Harijan was murdered in Bihar. There is a great anger amongst the Harijans because of that murder. Atrocities are being committed every day on Harijans. In case Government is not able to protect the Harijans from these atrocities what kind of welfare. She is doing? The Government should hold an immediate enquiry in this matter. Adjournment Motion should be allowed to introduce in this matter.

**Shri S.M. Banerjee (Kanpur)** : Discussion on atrocities on Harijans in Bihar, Uttar Pradesh, Delhi & Harayana, should be allowed.

The hon. Minister should make a statement on the increase in prices of petrol.

Shri Ram Institute has been closed since September. Shri Subramanian was asked to make a statement in this regard but he has not made any statement so far. We have asked the Prime Minister to make an enquiry into this matter, but nothing has been done So far.

954 employees have been retrenched from the Food Corporation of India. Shri Shinde should make a statement on this matter.

Prices of essential goods have been increased from 15 to 100 per cent. The hon. Minister should make a statement in this connection and should indicate the steps proposed to be taken in this matter.

**श्री समर गुह (कन्टाई)** : अशोधित तेल के मूल्यों में अचानक वृद्धि किये जाने के कारण स्थिति जटिल हो गई है । 50 प्रतिशत टैक्सियां बेकार पड़ी हैं। टैक्सी ड्राईवरों और टैक्सी मालिकों की आय इतनी कम हो गई है कि उनके लिये अपने परिवार का पालन करना कठिन हो गया है । आज ही पता लगा है कि ईरान ने तेल की सप्लाई बन्द नहीं की है । फिर तेल के मूल्यों में अचानक इतनी अधिक वृद्धि करने के क्या कारण हैं । पैट्रोल के मुल्यों में वृद्धि से न केवल टैक्सी ड्राइवर बल्कि स्कूटर ड्राइवर भी प्रभावित हुए हैं सरकार ने अचानक तेल के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है । समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि के कारण गत 10 दिनों में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के लोगों को समाचार-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । समाचार पत्र विक्रेताओं ने उनका बहिष्कार किया है ।

सरकार को यह बताना चाहिये कि अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि से समाचार-पत्र के मूल्य में कितने अनुपात में वृद्धि होगी । यह बहुत गंभीर मामला है । सरकार को इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिये और ये बताना चाहिये कि क्या उसने समाचार-पत्रों के मूल्य मन माने ढंग से बढ़ाने की अनुमति दी है ।

भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई रिपोर्ट के सबंन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही और क्या सरकार इस बारे में कोई वक्तवय देगी अथवा नहीं ;

**श्री मधु दण्डवते (राजपुर)** महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किये गये महाराष्ट्र कृषि भूमि विधेयक पर महाराष्ट्र और केन्द्रीय सरकार में तीव्र मतभेद है ये मतभेद और अधिक बढ़ गया है अतः इस बारे में चर्चा की व्यवस्था की जानी चाहिये और मंत्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

कार्य मंत्रणा समिति ने एक बैठक में चीनी आयोग की सिफारिश के बारे में निर्णय लिया है । उस पर चर्चा की जानी चाहिये इस विषय पर भी एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

दिल्ली में सुपर बाजार में 1500 क्विन्टल गेहूं के नष्ट हो जाने तथा 1500 क्विन्टल गेहूं के नष्ट हो जाने की सम्भावना से स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। सिविल सप्लाई विभाग ने इस बारे में बहुत ग़लत दृष्टिकोण अपनाया है । मैंने मंत्री महोदय को सब ब्यौरा दे दिया है ताकि वह वक्तव्य दे सकें ।

विदेश मंत्री को श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा, 15 वर्षीय आर्थिक सहयोग सम्बन्धी घोषणा और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तथा चीन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे व्यवहार के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

हरिजनों पर अत्याचारों के विषय पर चर्चा की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)** : देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों के विषय पर चर्चा की जानी चाहिये ।

विदेश मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक वक्तव्य देना चाहिये।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में चलचित्र विधेयक सभा में आगामी सप्ताह में आने वाला है परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक अन्य विधेयक है जो चलचित्र उद्योग में काम करने वालों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी क्या स्थिति है? दूसरे सदन में गत सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी कि इस सत्र में वह विधेयक पुनःस्थापित करने वाले हैं परन्तु उसके बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया गया उस विधेयक को पुनःस्थापित करने के साथ ही चलचित्र विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिये।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : मैं सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में नहान में पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी के श्रमिकों पर किये जा रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां 13000 श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया गया है। पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी को यमुना पनबिजली परियोजना पूरी करने का ठेका दिया गया है। वे उस काम को समय पर पूरा नहीं कर सके। इसलिये उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी और तालाबन्दी घोषित कर दी और वे पुलिस की सहायता से श्रमिकों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। श्रमिकों के वकील को भी गिरफ़तार कर लिया गया है। सरकार को यमुना पनबिजली परियोजना में तालाबन्दी के संबन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये। पुलिस अधीक्षक मुख्य मंत्री के साथ मिल कर जोकि एक ही ज़िले के हैं, श्रमिकों को सता रहा है। यहां तक कि पुलिस श्रमिकों के वकीलों को भी दबाने का प्रयत्न कर रही है।

मैं प्रो० मुकर्जी के विचारों से सहमत हूं कि जेलों में राजनीतिक कैदियों को राजनीतिक दर्जा दिया जाना चाहिये। इन विषयों पर ब्यौरेवार चर्चा करने के लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिमे।

**Shri Hukam Chand Kachwai (Morena)** : The Minister of Parliamentary Affairs should arrange a discussion on these matter. The report of Food Corporation of India should also be discussed in this house.

The owner of Modi industries in Modinagar get such persons murdered who appose him or who plead the case of workers. Recently Shri Subhash Verma, a stenographer was attacked by his men. Shri Modi has great influence over the Collector, Tehsildar and Police of that region. All the industries are closed for the last 4-5 days but no news has appeared in the newspapers about this incidence. Such incidents should be discussed in this house.

Sometime back a case of rape of a Harijan girl by a person, who is in receipt of freedom fighter pension, was raised in the House. The hon'ble Minister should make a statement giving details of the incident.

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : मैं नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पास तीन सप्ताह का समय रह गया है। यदि हमने एशियाई सामूहिक सुरक्षा और योजना के प्रारुप पर तुरन्त चर्चा न की तो गत सत्र वाली स्थिति पदा हो जायेगी।

**सभापति महोदय** : नियम 295 के अधीन प्रतिवेदन का विषय होना चाहिये जब कि यह आगामी सप्ताह के लिये सभा के कार्य के बारे में संसद् कार्य मंत्री का वक्तव्य है। अतः यह असम्बद्ध है।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : मैं माननीम सदस्यों द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिये जाने के लिये उनका धन्यवाद हूं। जहां तक केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध विषयों का प्रश्न है, सम्बन्धित मंत्री उन पर विचार करेंगे। कुछ सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने की बात कही गई है। मैं निश्चय ही उनके विचार विदेश मंत्री को पहुंचा दूंगा। भारतीय खाद्य निगम पर अगले सप्ताह के बाद चर्चा की जायेगी। जब हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर इस सत्र में चर्चा की जायेगी उसी के दौरान हम हरिजनों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इस सत्र में योजना का प्रारूप सभा-पटल पर रख दिया जायेगा और तत्पश्चात् उस पर चर्चा की जा सकती है।

**श्री समर गुह** (कंटाई) : भारत-रूस संयुक्त विज्ञप्ति को सभा-पटल पर कब तक रखा जायेगा?

**श्री के० रघुरामैया** : मुझे पता चला है कि विभिन्न करारों की प्रतियां सत्र की समाप्ति से पहले सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**श्री बी० के० दासचौधरी** (कूच-बिहार) : गत सत्र में योजना के मसौदे पर चर्चा स्थगित की गई थी। क्या इसको पुनः कार्य मंत्रणा समिति में रखने की आवश्यकता है?

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** : A function was held in the Central Hall of Parliament in honour of the General Secretary of Soviet Communist Party. Dr. Shankar Dayal Sharma who is President of the ruling party was sitting in the 1st row. Though he is President of the ruling party, he has no status in the Parliament. This is not proper and you should convey our feelings to the hon'ble Speaker.

**डा० हेनरी आस्टिन** (एरणाकुलम) : श्री ब्रेजनेव रूस में शासक दल के नेता हैं और डा० शंकर दयाल शर्मा भारत में शासक दल के नेता हैं। यदि उन्हें पहली पंक्ति में स्थान न दिया जाता तो श्री ब्रेजनेव क्या सोचते ? श्री वाजपेयी को यह मामला नहीं उठाना चाहिये था।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Dr. Shankar Dayal Sharma is not leader of Congress party in Parliament. Had he been so, he would have been the Prime Minister.

**तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये तीन बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the Clock.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बज कर दो मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई**

**The Lok Sabha reassembled after lunch at two minutes past fifteen of the Clock.**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]**

## विधेयक पुर:स्थापित
## BILLS INTRODUCED

**(एक) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक**

Untouchability Offences Amendement Bill

**(धारा 2, 9 आदि का संशोधन)**

**Shri Madhu Limaye (Banka) :** I beg to move :—

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Untouchability (Offences) Act."

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम का संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**Shri Madhu Limaye :** I introduce the Bill.

## (दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 77 क और 168क का अन्तः स्थापन)

## Representation of the People (Amendment) Bill

**Shri Madhu Limaye :** I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**Shri Madhu Limaye** : I introduce the Bill.

## (तीन) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक

## State Bank of India (Amendment) Bill

### (धारा 17, 19 आदि का संशोधन)

**Shri Madhu Limaye** : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955."

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**Shri Madhu Limaye** : I introduce the Bill.

## (चार) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक

## Aligarh Muslim University Bill

(विधेयक का पूरा नाम तथा प्रस्तावना, आदि का संशोधन)

**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

**(अनुच्छेद 124 का संशोधन)**

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक की भावना से पूर्णतया सहमत हूं तथापि मैं इसका समर्थन नहीं करता। इस विधेयक की भावना यह है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने में सरकार की शक्तियां इतनी अधिक नहीं होनी चाहियें कि वह मनमानी करने लगे और सरकार को ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे न्याय के उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, अखंडता और निष्पक्षता पर आंच आये। वस्तुतः इस विधेयक का यही उद्देश्य है। मैं प्रस्तावक के इस विचार से भी सहमत नहीं हूं कि इस मामले में सरकार की शक्तियां असीम हैं। मेरे विचार में उन शक्तियों का प्रयोग किन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है अतः वे सशर्त हैं। प्रस्तावक ने वरिष्ठता पर जोर दिया है और उनके विचार में अब तक वरिष्ठता पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। वस्तुतः सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्वीकार किया है कि अब तक वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति की जाती रहीं परन्तु, अब तक एक या दो बार ऐसा नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार की जाती है। इस लिये सरकार को इस अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा। यदि सरकार उन शर्तों को पूरा नहीं करती तो सरकार संविधान का उल्लंघन करती है। अतः कोई ऐसा तरीका ढूंढ़ना चाहिये जिससे सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करे। अनुच्छेद 124 में लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करेगा। अनुच्छेद 124(2) में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है। अब विधि मंत्री द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र से पता चलता है...

**विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिये जो न्यायालय के विचाराधीन है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : मैंने केवल शपथ-पत्र का उल्लेख किया है । मैं उस मामले के बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर रहा। मेरा विचार यह है कि सरकार संविधान का शब्द और भावना में उल्लंघन कर रही है। यदि सरकार संविधान के अनुसार कार्यवाही करे तो कोई कठिनाई नहीं होगी और सरकार की शक्ति को मनमर्जी नहीं समझा जायेगा। सरकार ने शपथ-पत्र में यह कहीं नहीं कहा कि अनुच्छेद 124 के अनुसार अपेक्षित परामर्श किये गये हैं। बल्कि विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आरम्भ से ही कहा है कि किसी भी मामले में परामर्श नहीं किया गया। अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन न करे।

फिर प्रधान मंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में 'उपयुक्त परामर्श' किये गये हैं जबकि विधि मंत्री का कहना है कि इस मामले में परामर्श करना आवश्यक नहीं । अतः प्रधान मंत्री और विधि मंत्री में भी इस मामले में मतभेद हैं। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं का यह आशय था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया जाना चाहिये। 'न्यायाधीश' शब्द में 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' भी शामिल हैं नियुक्ति के वारंट में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के अधीन नियुक्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति का वारंट अन्तिम माना जाना चाहिये। अतः यदि सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये बाध्य किया जा सके तो इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस सभा की एक समिति बनाई जानी चाहिये जो संविधान के उल्लंघनों के बारे में शिकायतों की जांच किया करे । प्रधान मंत्री ने दूसरे सदन में 'उपयुक्त परामर्श के बाद' शब्दों का प्रयोग किया है। अब हमें कुछ समझ म नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाय और किस पर नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सभा के नियमों के अनुसार किसी मंत्री की निश्चित नीति सम्बन्धी वक्तव्य को छोड़कर दूसरे सदन की कार्यवाही का इस सभा में उल्लेख नहीं किया जा सकता। यदि आप अपनी बात के समर्थन में ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिये अध्यक्ष की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या दूसरे सदन की कार्यवाही को कोई महत्व नहीं देना चाहिये? फिर दोनों सदनों की कार्यवाही प्रकाशित भी तो की जाती है।

अतः मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय विधि मंत्री, विधि विभाग के संयुक्त सचिव तथा प्रधान मंत्री के विचारों में भिन्नता है। प्रधान मंत्री अब तक स्थापित परम्परा में पालन के पक्ष में प्रतीत होती हैं अर्थात् उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में उपयुक्त न्यायाधीशों से परामर्श। इस प्रकार मेरे विचार से संविधान के संबंधित अनुच्छेद का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बात के लिये भी कोई सुरक्षा प्रतीत नहीं होती कि भविष्य में संविधान की अपेक्षाओं के उल्लंघन को रोकने के लिये कुछ व्यवस्था हो।

मेरा विचार है कि सदन संविधान के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करे। उक्त समिति इस मामले पर भी विचार करे। अतः मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करूंगा

कि वह विधेयक को पास करने की मांग मत करें। दूसरा पक्ष इस बात का केवल आश्वासन दे दे कि संविधान की अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी।

**विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : संविधान के अनुच्छेद 124 की व्याख्या का मामला दिल्ली में उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। न्यायाधीशों के कथित प्रति-स्थापन पर चर्चा के दौरान भी यह मामला उठाया गया था। मैंने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 124(2) के संदर्भ में यह कहा था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो राष्ट्रपति के लिये आवश्यक है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करे परन्तु जब किसी ऐसे व्यक्ति को कि पहले से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका हो, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा हो तो ऐसा कहना आवश्यक नहीं। मैंने यह भी कहा था कि यदि मान भी लिया जाये कि परामर्श की आवश्यकता है तो संविधान के अनु-च्छेद 124(2) के अधीन ऐसा करना अनिवार्य नहीं निदेशात्मक है।

दिल्ली के उच्चतम न्यायालय के सामने यह बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में परामर्श आवश्यक नहीं और फिर यदि यह समझा जाये कि परामर्श आवश्यक है तो यह अनिवार्य बल्कि निदेशात्मक अथवा वैकल्पिक है। इस संबंध में संवैधानिक स्थिति के बारे में और कुछ कहना कठिन है क्योंकि मामला न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।

शपथ-पत्र में मैंने कहा है कि संविधान के लागू होने के समय से संविधान की व्याख्या का यह तरीका रहा है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उस समय तक कोई परामर्श नहीं किया गया जब तक कि कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हुए सरकार को पत्र लिखे। परन्तु सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के पूर्व कभी भी कोई औप-चारिक अथवा अनौपचारिक परामर्श नहीं किया।

यही बात निर्णयाधीन याचिकाओं में उच्च न्यायालय को भी बताई गई है। हमने यह नहीं कहा कि प्रथा वरिष्ठता की रही है हालांकि वास्तविकता यही है कि नियुक्त होने वाले सभी व्यक्ति वरिष्ठ थे। यदि पहले वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया गया तो इसका आधार केवल मात्र वरिष्ठता न होकर अन्य परिस्थितियों एवं अन्य पहलुओं को विचार में रख कर योग्यता व गुण भी थे। इन आधारों पर यदि वरिष्ठ व्यक्ति को उपयुक्त समझा गया तो नियुक्त किया गया। अतः यदि पहले प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति को उपयुक्त मानकर उसकी नियुक्ति की गई तो उसका यह अर्थ नहीं कि वरिष्ठता को आधार मानने की परिपाटी का पालन किया गया था।

संविधान सभा में डा० अम्बेदकर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को मैंने भी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उसका यह अर्थ नहीं निकलता जिसका कि श्री श्यामनन्दन मिश्र अथवा अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। इस बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ किया गया है वह संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है।

मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिये केवल वरिष्ठता को आधार बताना संभव नहीं है जैसा कि इस विधेयक में अपेक्षित किया गया है। प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को आशंका है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो नियुक्ति गुणों के आधार पर न की जाकर अन्य आधारों पर की जायेगी।

परन्तु यदि वरिष्ठता को ही आधार बनाया गया तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि किसी मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को भी नियुक्त करना पड़े। यह सर्वमान्य तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश विख्यात न्यायाधीश हैं। परन्तु एक न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश में अन्तर हो सकता है। अतः ऐसा उपबन्ध नहीं बनाया जा सकता जिससे कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को स्वविवेक के प्रयोग करने की गुंजाइश ही न रहे। अतः मैं ऐसे संशोधन के पक्ष में नहीं हूं जो संवैधानिक उपबन्धों को जकड़े।

यह भी तर्क दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान में किसी विशेष उपबन्ध का न होना यह बताता है कि ऐसा सोचा गया था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जायेगा। परन्तु मेरा मत यह है कि ऐसा इस कारण किया गया था कि संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि इस नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से कुछ सीमा तक स्वविवेक का प्रयोग करने की छूट हो ताकि इस उच्च पद पर पूरी सतर्कता एवं सूझबूझ के साथ नियुक्ति की जा सके।

यह कहा गया है कि सरकार केवल उन लोगों को नियुक्त करेगी जो उसकी सहायता करेंगे। संविधान के संशोधन वाले मामले में जिन न्यायाधीशों ने अपना मत सरकारी मत के विरोध में प्रकट किया उन न्यायाधीशों का इसी कारण से अतिक्रमण किया गया है। मैं इस का विरोध करता हूं। इसके लिये यह तर्क दिया गया है कि इसी कारण सरकार ने उस मामले के विनिर्णय की घोषणा से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधीकारी के नाम की घोषणा नहीं की। उक्त मामला न्यायालय में काफी लम्बे अर्से तक चलता रहा। यदि सरकार ने नाम की घोषणा पहले ही कर दी होती तो यही लोग यह कहने लगते कि सरकार ने ऐसा इस कारण किया है कि सरकार को पता लग गया था कि उक्त न्यायाधीश सरकार के पक्ष में मत नहीं देने वाले। अतः सरकार ने इसी कारण मामले की सुनवाई और विनिर्णय घोषित किये जाने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय किया।

यह तर्क दिया गया कि यदि संविधान के किसी उपबन्ध कर संशोधन करने संबंधी संसद की शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया तो न्यायपालिका और कार्यकारिणी के बीच खुला संघर्ष प्रारम्भ हो जायेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार कही गई हो। यह बात तो विश्व भर में बार-बार दोहराई गई है कि यदि न्यायपालिका का निर्णय निरन्तर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध रहे तो प्रगति रुक जाती है। ऐसे अवसरों पर अपने मार्ग में बाधक कानून और संविधान को एक तरफ फैंक देते हैं। तर्क यह दिया गया कि लोकतन्त्रात्मक ढांचे में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मण्डल को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिये और उनमें आपस में तालमेल होना चाहिये जिससे कि उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो। इसी बात को ध्यान में रख कर ही यह कहा गया कि यदि संसद को किसी भी कार्य करने की स्वतन्त्रता से वंचित किया गया तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। उस स्थिति में संसद् न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों का ध्यान इसी बात की ओर आकर्षित किया गया था।

यह भी कहा गया है कि सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के मामले में दुर्भावना से काम किया है, इस का कारण यह था कि त्यागपत्र देने वाले न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश ने एक मामले में जिसमें प्रधानमंत्री भी एक पक्ष थीं, निर्णय दिया। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि उस

मामले में निर्णय किसी एक न्यायाधीश ने नहीं दिया था अपितु तीन न्यायाधीशों के पीठ ने दिया था। अतः मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उक्त निर्णय का मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के मामले से कोई संबंध है।

न्यायाधीश हेगड़े ने अपनी एक पुस्तक 'क्राईसिस इन इंडियन ज्यूडीशरी' में मूल अधिकारों वाले मामले का उल्लेख करते हुए सरकारी वकील की दलीलों का तोड़मरोड़ कर उल्लेख किया है। अब तक यह प्रथा नहीं थी कि कोई न्यायाधीश अपना निर्णय घोषित करने के बाद अपने निर्णय के समर्थन में कुछ लिखे। न्यायालय के समक्ष यह दलील प्रस्तुत की गई थी कि संविधान को किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने की संसद् की शक्ति अबाधित है। उस मामले में बड़े बेढंगे से प्रश्न पूछे गये। सरकार का मत यह था कि न्यायालय द्वारा किस के विवेक पर संशय प्रकट किया जा रहा है ? यदि यह समझा जाता है कि देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद् अपनी बुद्धि का त्याग करके देश में लोकतन्त्र के स्थान पर धर्मतन्त्र राज्य अथवा निरंकुश राज्य की स्थापना का निर्णय करेगी या स्वयं संसद् को ही समाप्त करने का निर्णय करेगी तो उस परिस्थिति में कितना भी विख्यात न्यायाधीश हो वह देश के लोगों को बचाने में समर्थ नहीं होगा। देश का भाग्य 1, 2 अथवा 13 न्यायाधीशों के हाथ में नहीं अपितु लोगों के प्रतिनिधियों के विवेक पर निर्भर करता है। यदि उस पर संशय प्रकट किया जा रहा है तो यह ऐसी बात है जो कि पहले कभी नहीं की गई। सरकार समझती है कि संविधान के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने की लोगों को शक्ति देने में कोई डर नहीं है। सरकार इस बात से सहमत नहीं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को बदलने का सोचा जायगा। अतः इस प्रकार का संशय प्रकट करना लोगों के विवेक और उत्तरदायित्व के प्रति अविश्वास प्रकट करना है।

यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कोई अन्य व्यवस्था की जानी चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया कि इसके लिये एक समिति बनाई जाये। उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को तालिका तैयार करने के अधिकार देने और अंत में उसमें से चुनने की भी बात की गई। यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है। इसके साथ ही सरकार अपनी जिम्मेदारी को छोड़ने और उसे किसी अन्य पर डालने का नहीं सोच सकती। यदि सरकार का कदम सही रहता है तो जनता उसका समर्थन करती है और यदि वह गलत है तो सरकार को जनता के सामने उत्तरदायी होना होगा। अतः इस जिम्मेदारी के बारे में किसी सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार के सुझावों पर संविधान सभा ने भी विचार किया था। इनमें तीन सुझाव प्रमुख थे जो कि इस प्रकार थे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी से की जाय; राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति पर संसद् के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृति ली जाये और उनकी नियुक्ति राज्य परिषद् के परामर्श से की जाये। परन्तु अंत में इन को स्वीकार नहीं किया गया। अतः मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जिम्मेदारी किसी अन्य पर डालने का कोई सुझाव नहीं मान सकता।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : This Bill was presented in the year 1971. I had stated in the objects of the Bill that the Government in the name of committed judiciary can take certain steps which may curtail the freedom of judiciary and later happenings have confirmed it.

The Bill has been opposed on the ground that if a senior most justice is appointed the Chief Justice there may be occasions when the senior most justice may not be capable or he may be otherewise inferior for the purpose of the appointment. In fact such an occasion had arisen previously but that individual had submitted his resignation. But it can be argued that he may not resign. Some provision could be made for such an eventuality similar to art. 317(3) relating to U.P.S.C. Constitution could be amended accordingly.

There has been the convention of appointing the senior most judge as the Chief Justice. The Government had been in agreement with this upto the recent part but now this has been contravened.

It appears from the speech of the hon. Minister of Law that the Government wants to have unfettered rights in respect of appointment of the Chief Justice. That is why I have moved this amendment. Had the hon. Minister of Law conceded to the interpretation of the Constitution made by Shri Mishra, there would have been no necessity of bringing forward this Bill. (*Interruptions*). The Government takes the advantage of the ambiguity in the Constitution. I submit that this should be made clear.

It is surprising that the hon. Minister of Law has not referred to my word from the speech of Late Mr. Kumaramangalam. The Government is apathetic to the question as to whether the Chief Justice should follow the ideology of the ruling party or that of the Constitution.

This Parliament is elected on certain different issues. The hon. Minister of Law may recall that when the Constitution (Amendment) Bill was brought forward, I said that if they wanted to abrogate or abridge the Fundamental Rights, they should hold referendum.

The Parliament is limited in itself. But the day the Parliament decides to convert democracy into dictatorship, the day it tries to abrogate the Fundamental Rights, it will be bringing its representative character to nought. If the Government wants to do so they should convene a Constitutent Assembly. But they are claiming this right under Article 368. If the Parliament likes, it may amend the Constitution. But that amendment may be challenged again in the court where they will have to yield before the verdict of the court. Perhaps with this implication, the Government wants committed judges in the Supreme Court. The convention of appointing the senior-most judge as the Chief Justice should be followed.

According to our Directive Principles, there should be separation of Judiciary. I would like to submit that if the Directive Principles are above the Fundamental Rights, they should be inserted in Article 19. But when the question of implementing the Directive Principles comes up, it is said that they are not just. The speech of the hon. Minister of Law does not remove our apprehensions and, therefore, I press for the acceptence of this Bill.

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिये इसे विशेष बहुमत से निपटाना है।

प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided.**

| | |
|---|---|
| **पक्ष में : 7** | **विपक्ष में : 82** |
| **Ayes : 7** | **Noes : 82** |

विधेयक अपेक्षित मत प्राप्त नहीं कर सका। अतः यहां ही समाप्त होता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला विधेयक श्री प्रसन्नभाई मेहता के नाम से है। वह अनुपस्थित हैं। अतः हम अगला विधेयक लेते हैं।

---

## संबिधान (संशोधन) विधेयक के बारे में

## *RE* : CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

**(नये अनुच्छेद 339क का अन्तःस्थापन)**

**(Insertion of new article 339A)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला विधेयक श्री एस० एम० सिद्दया के नाम से है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः हम इस पर विचार नहीं कर सकते।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : देर क्यों हुई है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत यदि किसी विधेयक में भरतीय समेकित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त होता है तो उस पर विचार के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं तो इतना पूछता हूं कि इसमें देर क्यों हुई ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसके लिये कहा भी नहीं ।

**श्री एस० एम० सिद्दय्या** (चामराजनगर) : ऐसे विधेयकों के मामले में कार्यालय हमें राष्ट्रपति की सिफारिश करवाने के लिये सलाह दिया करता था परन्तु मेरे मामले में ऐसा नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यालय ने मुझे सूचित किया है कि माननीय सदस्य को 30 अप्रैल, 1971 को पत्र लिखा गया था कि वह सफारिश प्राप्त करलें।

**श्री एस० एम० सिद्दय्या** : मुझे वह पत्र नहीं मिला।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चन्द्रप्पन उपस्थित नहीं हैं। डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय भी नहीं हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या ऐसे विधेयकों की प्राथमिकता समाप्त हो जायेगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो कुछ होगा वह नियमानुसार होगा।

अगला विधेयक श्री समर गुह के नाम से है। उन्होंने सिफारिश के लिये आवेदन तो किया है परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

## संघ राज्य क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विधेयक के बारे में

## RE : UNION TERRITORIES SECONDARY EDUCATION BILL

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : मेरा विधेयक दो बार आया है और दोनों ही बार राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं की गई है। लेजिस्लेटिव ब्रांच हमारी सहायता कर सकती है । क्या आप ऐसे उपाय सुझायेंगे जिनसे हमें मदद मिले ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्य को सम्बन्धित मंत्री महोदय को आवेदन करना चाहिये। यदि छह महीने से सिफारिश नहीं मिली है तो पत्र-व्यवहार करने वालों की गलती है। क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है? वह यहां उपस्थित ही नहीं हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : वह यहां कैसे उपस्थित हो सकते हैं ?

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : I rise on a point of order. The Bills which require President's assent or recommendation are not assented to by the President at his own but in such matters he acts on the advice of the Central Government. Therefore, the Union Ministers should be asked as to whether such formal Bills can be passed without the assent of the President ? This is a formal thing. I have been observing for the last two or three years that sometimes our suggestions are conceded to but they never allow the Private Members' Bills be passed.

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मधु लिमये ने संवैधानिक स्थिति के बारे में ठीक ही कहा है। यदि गत छह महीनों से राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मुझे आशा है कि मंत्रालय इसे ध्यान में रखेंगे। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये। शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं। हम विरोधी दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे उपस्थित रहें, अन्यथा उनके विधेयकों पर विचार नहीं होता है। हम श्री एच० एम० पटेल के विधेयक पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं। इसलिये यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति नहीं दी है या दी है। माननीय सदस्य को पहले से ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

**श्री समर गुह** : इसका उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्री का है और वह ही इसे स्पष्ट कर सकते हैं। क्या आप शिक्षा मंत्री को निदेश देंगे कि वह मुझे यह बतायें कि विलम्ब क्यों हुआ ? ऐसी परिस्थितियों में मुझे अगली बार प्राथमिकता मिले, इसके बारे में क्या आपकी विशेष शक्तियां हैं ?

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : The Half an Hour Discussion can be taken up and in the meantime the Minister of Education can be summoned. He may receive President's assent and the House can discuss Shri Samar Guha's Bill afterward.

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : सरकार कार्य नहीं कर रही है उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें ? मेरा अनुरोध है कि इस विशेष स्थिति के लिये अपने हाथ में विशेष शक्तियां लीजिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल यही उचित है कि मंत्री महोदय आकर स्पष्टीकरण दें कि यह विलम्ब क्यों हुआ है जहां तक श्री गुह के अनुरोध का सम्बन्ध है मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता ।

श्री वाजपेयी के सुझाव को भी नियमों के अनुसार नहीं माना जा सकता ।

आधे घंटे की चर्चा को समान्यतया सभा के सामान्य कार्य के बाद नहीं लिया जाता। यही प्रथा रही है।

**Shri Madhu Lamiya** : I rise on a point of order. Rule 25 is there. The Speaker has right to change the items given in the Order Paper.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं परन्तु इसमें समय का प्रश्न है अतः इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

अब केवल एक ही उपाय है कि नियमों को टाला जा सकता है और यदि सभा वैसा करना चाहती है तो कर सकती है। यदि मंत्री महोदय यहां नहीं हैं और नियमों को टाला जाये तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं ..... **(व्यवधान)**

**श्री के० रघुरामैया** : मैं एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं **(व्यवधान)**

**श्री समर गुह** : आपने अभी देखा कि मंत्री महोदय यहां नहीं हैं परन्तु वह लॉबी में हैं और सभा में नहीं आ रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

**एक माननीय सदस्य** : मंत्री महोदय आ रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के आने से पूर्व स्थिति इस प्रकार थी। श्री समर गुह के विधेयक पर चर्चा की जानी थी परन्तु इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। श्री समर गुह ने कहा है कि लगभग छह महीने हो गये हैं जब उन्होंने सिफारिश के लिये आवेदन किया था परन्तु कार्यालय ने मुझे बताया है कि दो वर्ष हो गये हैं। सभा आपके मंत्रालय से जानना चाहती है कि दो वर्ष तक सिफारिश प्राप्त क्यों नहीं की गई है।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : सर्व प्रथम मैं सभा में उपस्थित न होने के लिये क्षमा याचना करता हूं । मैं अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सका ।

मैं इस विधेयक पर चर्चा करने को तैयार हूं परन्तु मेरा अनुरोध है कि मुझे इस बात का पता लगाने का अवसर दिया जाये कि क्या इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता है।

अभी-अभी, मंत्री, महोदय ने कहा कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है। जब मैंने कह दिया कि आवश्यकता है तो इस सभा में अन्य कौन अधिकारी है ?

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : मैं राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये तत्काल कार्यवाही करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि हमें इस मामले को छोड़ना चाहिए। मंत्री महोदय ने क्षमा याचना कर ली है और इस बारे में जांच करने का आश्वासन दिया है। श्री गुह संतुष्ट हो गये होंगे।

**श्री समर गुह** : आप कृपया नियमों को टालें और यह अनुमति दें कि इस विधेयक को अगले गैर-विधायी कार्य के दिन प्राथमिकता मिले ताकि इस पर चर्चा हो सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप ने प्रार्थना की है। इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

अब हमने आज की गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही समाप्त कर ली है। यह अच्छी बात है कि श्री मधु लिमये यहां उपस्थित हैं जिनकी आधे घटे की चर्चा होनी है। किन्तु मेरे द्वारा श्री लिमये को बुलाये जाने से पूर्व विदेश मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

---

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

## भारत सोवियत घोषणा आदि

**विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं जिन पर केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सुप्रीम सोवियत की प्रिसीडियम के सदस्य श्री लियोनिद इलिच ब्रेझनेव की यात्रा के दौरान 29 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षर किये गये :—

(1) भारत सरकार की ओर से भारत के प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की ओर से सोवियत संघ साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सुप्रीम सोवियत की प्रिसीडियम के सदस्य श्री लियोनिद इलिच ब्रेझनेव द्वारा हस्ताक्षरित भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा की एक प्रति।

(2) भारत सरकार की ओर से भारत के प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र की ओर से सोवियत संघ समाजवादी दल की केन्द्रीय समिति के महा-सचिव तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सुप्रीम सोवियत की प्रिसीडियम के सदस्य श्री लियोनिद इलिच ब्रेझनेव द्वारा हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच अग्रेतर आर्थिक विकास व्यापार सहयोग सम्बन्धी समझौते की एक प्रति।

(3) भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की ओर से सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सरकार के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको द्वारा हस्ताक्षरित भारतीय गणतन्त्र सरकार और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ को सरकार के बीच वाणिज्य समझौते की एक प्रति।

(4) भारतीय गणतन्त्र की ओर से भारत सरकार के योजना मंत्री श्री डी० पी० धर, और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की ओर से सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की राज्य योजना समिति के चेयरमैन, श्री एन० के० बेबाकोव, द्वारा हस्ताक्षरित भारतीय गणतन्त्र के योजना आयोग और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की राज्य योजना समिति के बीच सहयोग सम्बन्धी समझौते की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 5865/73]

वाणिज्य समझौते के (कानसुलर कन्वेनशन) जो अपेक्षाकृत कुछ लम्बा दस्तावेज है और इसे अभी स्टेंसल किया जा रहा है अतिरिक्त उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां माननीय सदस्यों को बांटने के लिये तैयार हैं। फिर भी मैंने सभा पटल पर इसकी एक प्रति रख दी है। माननीय सदस्यों को वाणिज्य समझौते की प्रतियां भी शाम तक उपलब्ध हो जायेंगी और हम उन्हें बांटने का प्रबन्ध करेंगे।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाकर एक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता हूं। क्या यहां के योजना आयोग, जिसका कोई कार्यकारी कार्य नहीं होता है, और सोवियत संघ के योजना आयोग के बीच कोई समझौता किया जा सकता है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : जी हां, ऐसा किया जा सकता है और तभी तो इस पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : अतीत में सदैव ऐसा होता रहा है।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : हम इन सभी समझौतों पर चर्चा करने की मांग करते हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : Sir, we want that the House should soon be given opportunity to discuss these very important documents.

**Shri Madhu Lamiya** (Banka) : I also demand that these should be discussion on these documents.

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बात कार्यवाही के अन्तर्गत आ गयी है। अब मैं आप को आधे घंटे की चर्चा के लिये बुलाता हूं।

---

## निश्चित तिथि बीत जाने के बाद फर्मों से लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

## *APPLICATION FOR COB LICENCES FROM FIRMS AFTER EXPIRY OF DUE DATE

**Shri Madhu Lamiye** (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am now raising a brief discussion on C.O.B. licences. Our Minister of Industrial Development has been usually complaining that I have been using sharp words.

**औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सो० सुब्रह्मण्यन)** : मुझे आप के तीखे शब्दों पर आपत्ति नहीं है, किन्तु मुझे आपके असंगत शब्दों के बारे में आपत्ति होती है।

**Shri Madhu Lamiye** : These are not impertinent words. I don't want to use sharp words, but do want that the Government should strictly adhere to the declared policies.

The companies, which have come under the purview of the Industrial Development and Regulation Act and required to obtain Governments' permission if they want to increase

---

*आधे-घंटे की चर्चा।

*Half an hour Discussion.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

**Shri K. N. Tiwary in the Chair**

their production or start production of new items. But the Companies, whose assets are not in excess of Rs. 25 lakhs are not required to do so. The Government thought that the Companies, especially foreign Companies, which have been given exemption, are misusing it. Therefore they issued a notification three year ago through which these Companies were asked to submit their application within three months for obtaining a C.O.B. licence. I want to ask the hon. Minister whether it is not a fact that inspite of this notification certain foreign Companies do not apply for a C.O.B. licence. Coca Cola Export Corporation, Cheese borough and Ponds Co and Colgate Palmolive are among such companies which do not submit their applications for getting C.O.B. licences. These Companies increase their production whenever they like. Thus their sales have increased and lakhs of rupees are remitted to foreign countries. The Government have themselves admitted that Colgate Palmolive has made a profit of Rs. 58 lakhs and sent the amount abroad.

The Coca Cola Export Corporation was given two import licences in a year, whereas other companies are given import licences only once in year. I want to know from the hon. Minister that which officer is responsible for this. Then they get ad hoc licences also. The Coca Cola Export Corporation export items like Cashew nuts. They are doing the work of remitting foreign exchange out of the Country.

The Minister of Agriculture, Shri F. A. Ahmed had said that new production capacity, which would be created in Cigarette industry in future, would be for indigenous companies only. But the Indian Tobacco Company is continuously increasing its production which leads to drainage of foreign exchange to foreign countries. My question is this that if the policy of Industrial Developmnt Ministry is not to give permission to any foreign Company for increasing production, because cigarette industry is a non-essential consumer industry, what is the reason for not enforcing this policy strictly ?

The hon. Minister has himself said that he would rather discourage the taking over Coca Cola. This is not an essential Commodity. He also said that sooner he get rid of it, it would be better for the country.

Inspite of this the number of Coca Cola bottling plants have been increasing. The Company is getting more import licences and is exporting items like Cashew nuts. They have also been allowed to send 80 per cent of their profits in foreign exchange.

The declared policy of the Government is to reserve production of Cosmetics for small scale sector. But small Companies and firms, which have been given premission to produce cosmeties have been telling the Government that they are unable to flourish until Companies like Colgate Palmolive and Cheesehar and Ponds go on expanding their production.

There is unanimity in the House that the Government should encourge indigenous Companies. So long as foreign Companies continue production of non-essential consumer articles, our indigenous Companies would not grow. Whether the Government would take a decision to the effect that expansion of production of such consumer articles by

foreign Companies would not be allowed. Stingent action should be taken against those companies which do not get C.O.B. licences. Permission given to Coca Cola to send 80 per cent of their profits in foreign exchange should be withdrawn.

I want that the hon'ble Minister should announce the concrete policy of the Government about foreign Capital and foreign Companies. He should also make a categorical announcement that the foreign Companies would not be allowed expansion so far as production of non-essential commodities is concerned. The Government should take strict action so that indigenous industry may get encouragement. I want that the Hon'ble Minister should classify all the aspects of the policies.

**Shri Shashi Bhushan (South Delhi)** : I want to know this also whether the Hon'ble Minister is serious about this that the remitting of foreign exchange to foreign countries should not be allowed in such a manner.

The Coca Cola Company is remitting its profits out of the country. This should be stopped. I want to know about the steps proposed to be taken by the Governments to have control over the foreign monopoly.

**श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर)** : मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु लिमये को इस लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में चर्चा उठाई तथा हमें इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। जब तक इन कम्पनियों को करोड़ों रुपये के आयात लाइसेंस दिये जाते रहेंगे, तब तक देशी उत्पादन प्रगति नहीं करेगा। विदेशी कम्पनियों के उपयोग को कम करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ? हमें भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि वे भी समान रूप से अच्छी होती हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये कम्पनियां हमारे देश का कितना दुरुपयोग कर रही हैं। क्या ये कम्पनियां इस क्षेत्र में आने वाले अन्य उद्योगों को तबाह कर रही हैं।

**औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : मैं इस चर्चा से सम्बन्धित सम्बद्ध बातों का उत्तर पहले दूंगा। यह मामला सी० ओ० बी० लाइसेंसों से सम्बन्धित है। यह प्रश्न किया गया है कि कितनी कम्पनियों को अधिसूचित तिथि के बाद आवेदन पत्र दिये तथा कितनी कम्पनियों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गए हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करने का हमारा प्रयोजन यह है कि यदि इस अवधि के दौरान, जबकि लाइसेंसों का लेना आवश्यक नहीं था, क्षमता बन गई हो, तो उसके लिये लाइसेंस दे दिया जाए : चूंकि हमने बाद में यह विधान बनाया है कि किसी विशेष प्रकार के उद्योग को ही इस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन उद्योगों तथा जिन फर्मों की क्षमता स्थापित करने के लिये कार्यवाही की गई है, केवल उन्हीं से आवेदन पत्र देते तथा व्यापार जारी रखने के लिये कार्यवाही की गई है, केवल उन्हीं से आवेदन पत्र देने और व्यापार जारी रखने के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कहा गया है। इस लिये हमने सभी कम्पनियों को अधिसूचित किया कि वे एक निश्चित तिथि तक आवेदन पत्र दे दें। हमने इस अवधि को पर्याप्त नहीं समझा तो हमने इस अवधि को बढ़ा दिया और कुछ मामलों में तो इस बढ़ी हुई अवधि में भी आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए। कुछ सप्ताह के पश्चात् ही प्राप्त हुए। क्षमता बनाने की प्रामाणिकता के प्रश्न के बारे में हमने प्रत्येक आवेदन पत्र की जांच की। जब हम इस बात से सन्तुष्ट हो गए कि लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी अधिसूचना से पहले क्षमता बनाई गई हो, तो हमने सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी कर दिये। मेरे विचार में सूची में ऐसी कोई

भी विदेशी कम्पनी नहीं है जिसने अधिसूचित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र दिया हो और उसे लाइसेंस दिया गया हो। किन्तु मैं पुनः जांच करूंगा कि क्या किसी विदेशी कम्पनी ने अधिसूचित तिथि के पश्चात् आवदन पत्र दिया है और लाइसेंस प्राप्त किया है।

**श्री मधु लिमये** : कोका कोला चीज़ बेरो, कालगेट आदि...

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : मैंने उनका नाम सूची में नहीं देखा है। मैं जांच करूगा और पता लगाऊंगा कि क्या कोका कोला, कालगेट आदि... **(व्यवधान)**

इण्डियन टोबाको कम्पनी इसके अन्तर्गत नहीं आती है। इसका मामला भिन्न है, जिसके लिये एक विधेयक लाया गया है और मुझे आशा है कि सोमवार इस पर चर्चा होगी, क्योंकि यह एक सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं है। मुझे केवल एक ही मामला मिला है जिसे हमने अस्वीकृत किया और वह पोलसन्स का मामला था।

इसके अतिरिक्त सामान्य नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम विदेशी कम्पनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उनका नए सिरे से विस्तार करने अथवा उनके नए यूनिटों की स्थापना की अनुमति दे रहे हैं। फरवरी, 1973 में जारी की गई अधिसूचना में हमने अपनी लाइसेंस नीति को स्पष्ट और सुनिश्चित कर दिया है। उसमें हमने उन क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया है जिनमें कि विदेशी कम्पनियां अपना विस्तार कर सकती है या नए एककों की स्थापना कर सकती है। इससे भिन्न क्षेत्रों में हम इन विदेशी कम्पनियों को अपना विस्तार करने या नए एककों की स्थापना करने की अनुमति नहीं देंगे। कोलगेट, पामोलिन, कोका कोला, ये सब कम्पनियां फरवरी, 1973 से पहले ही आस्तित्व में थी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कोका कोला अपना विस्तार केवल यहां ही नहीं अपितु समाजवादी देशों में भी कर रही है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमें इसे इसकी अनुमति देनी चाहिये। यह इतनी आवश्यक वस्तु नहीं है जिसे प्रोत्साहन दिया जाए। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह और अधिक विस्तार न कर पाएं और साथ ही इसकी वर्तमान गतिविधियों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

अतः, जहां तक विदेशी कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनका कार्य क्षेत्र सीमित है। यहां तक कि स्वदेशी कम्पनी के आवेदन पत्र को विदेशी कम्पनियों की तुलना में तरजीह दी जाती है। स्वदेशी कम्पनियों में भी बड़ी कम्पनियों की तुलना में मध्यम दर्जे के उद्यमियों तथा नये उद्यमियों के आवेदन पत्रों को तरजीह दी जाती है।

विदेशी कम्पनियों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में ट्रेडिंग कम्पनियां आती हैं जो केवल व्यापार करती हैं। दूसरे वर्ग की कम्पनियां उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और तीसरे दर्जे की वे कम्पनियां आती हैं जो अत्यावश्यक क्षेत्रों में उत्पादन करने में व्यवस्त हैं। इन तीन वर्गों के लिये हमने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा उनका ध्यान रखने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए हुए हैं। जहां तक तीसरे वर्ग का सम्बन्ध है, जो अत्यावश्यक वस्तुओं और औषधियों का उत्पादन करता है, उस पर कोई मापदण्ड लागू किया जाएगा। जहां तक व्यापारिक कम्पनियों का सम्बन्ध है, मेरा अपना मत यह है कि यहां उनके अनिश्चित समय तक बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अब जबकि मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है। यह धारणा बनी नहीं रहनी चाहिये कि हम सभी विदेशी कम्पनियों के द्वारा विस्तार किये जाने के पक्ष में हैं और हमारी रुचि देशी कम्पनियों के हितों की रक्षा करने की नहीं है। जब आवश्यक होगा, तभी हम विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस देंगे और ऐसे चुनी हुई वस्तुओं के मामले में ही किया जाएगा।

अब चूंकि मैंने उठाई गई सामान्य बातों का उत्तर दे दिया है इस लिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण मुझसे और विवरण प्राप्त करने की आशा नहीं करेंगे।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 दिसम्बर 1973/12 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, 3rd December 1973/Agrahayana 12, 1895 (Saka)**



MGIPRRND—44LSS/73—Ist(Day)—23-3-73—490

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]